



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य के वित्त



हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 4 वर्ष 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

राज्य के वित्त

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या-4 वर्ष 2017

अनुक्रमणिका		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त		
परिचय	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियां	1.3	7
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	12
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	14
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	14
व्यय की गुणवत्ता	1.7	18
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	20
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	25
ऋण प्रबंधन	1.10	27
राजकोषीय असंतुलन	1.11	30
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.12	32
निष्कर्ष	1.13	33
सिफारिशें	1.14	34
अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	35
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	35
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	36
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.4	41
चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम	2.5	41
कोषों के निरीक्षण के परिणाम	2.6	45
निष्कर्ष	2.7	45
सिफारिशें	2.8	46
अध्याय-III: वित्तीय विवरण		
प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	47
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब	3.2	47
प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण	3.3	48
दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि	3.4	48
अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन	3.5	49
निष्कर्ष	3.6	50
सिफारिशें	3.7	51

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1	राज्य रूपरेखा		
	क: सामान्य आंकड़े	1.1	53
	ख: वित्तीय आंकड़े	1.1	53
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	54
	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	55
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति	-	57
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)	-	59
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3, 1.6.1, 1.9.2 तथा 1.11.3	60
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	63
	भाग-ख: 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1 तथा 1.9.1	66
परिशिष्ट-1.5	लिंग बजटीकरण	1.1.4	68
परिशिष्ट-1.6	2015-16 एवं 2016-17 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.2	71
परिशिष्ट-1.7	31 मई 2017 तक अद्यतन अंतिम रूप से तैयार लेखानुसार निवेश पर प्रतिफल हेतु प्रदत्त शेयर पूंजी का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.8.2.2	73
परिशिष्ट-1.8	हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्थिति	1.8.2.3	74
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी	2.3.1	75
परिशिष्ट-2.2	नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य	2.3.1.1	76
परिशिष्ट-2.3	नियमन के लिए अपेक्षित 2016-17 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य	2.3.1.1	77
परिशिष्ट-2.4	2016-17 के दौरान प्रावधानरहित व्यय	2.3.1.3	78
परिशिष्ट-2.5	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.1.4	79
परिशिष्ट-2.6	विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.1.4	80
परिशिष्ट-2.7	निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.2	81

परिशिष्ट संख्या	शीर्षक	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-2.8	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.3	82
परिशिष्ट-2.9	विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ के अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी का विवरण	2.3.4	83
परिशिष्ट-2.10	क: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	84
परिशिष्ट-2.11	ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4.2	87
परिशिष्ट-2.12	31 मार्च 2017 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी	2.3.4.2	90
परिशिष्ट-2.13	31 मार्च 2017 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी	2.4	92
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2017 को बकाया पड़े प्रयुक्त प्रमाण पत्र	3.1	94
परिशिष्ट-3.2	स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी	3.2	98
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्यौरा	3.4	99
परिशिष्ट-3.4	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा	3.4	100
परिशिष्ट-4	शब्दावली		101

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बंधित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम का प्रतिवेदन तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक्-पृथक् रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के निर्धारणार्थ प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व संरचनात्मक रूप रेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करता है। यह प्राप्तियों एवं संवितरणों, बाजार उधारों, व्यय की गुणवत्ता, सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण, ऋण स्थायित्व तथा राजकोषीय असंतुलनों का समयावली लेखा उपलब्ध करवाता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोजनों का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है। यह वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्य प्रणाली में कमियों तथा चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की अनुपालना की एक सूची है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

बजटीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग के अनुसार 2011-12 के दौरान राजस्व घाटा शून्य तक लाया जाना अपेक्षित था और उसके बाद राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण करना था। तथापि राजस्व घाटे को शून्य तक लाने का उद्देश्य 2015-16 तथा 2016-17 में प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 2015-16 में अच्छे निष्पादन के बाद 2016-17 के दौरान सभी तीन घाटा सूचकों जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा में अवरोही प्रवृत्तियाँ पाई गईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,137 करोड़ का राजस्व अधिशेष पूर्व वर्ष की तुलना में घटकर ₹ 920 करोड़ रह गया। यह भी पाया गया कि यद्यपि इस वर्ष केन्द्रीय अन्तरणों में वृद्धि हुई है, तथापि इसके विपरीत राजस्व अधिशेष में कमी हुई है।

राजकोषीय घाटा 2015-16 में ₹ 2,165 करोड़ से ₹ 783 करोड़ बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 2,948 करोड़ हो गया। यह चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत था और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निश्चित लक्ष्य (3.17 प्रतिशत) तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात् 3 प्रतिशत) के अन्तर्गत था। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 990 करोड़ तथा ₹ 411 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष पाया गया।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 26,264 करोड़) पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 2,824 करोड़ (12 प्रतिशत) बढ़ गईं। मात्र 33 प्रतिशत प्राप्तियाँ राज्य के स्व संसाधनों से आई जिसमें कर एवं गैर-कर सम्मिलित थे, जबकि राजस्व प्राप्तियों का बड़ा भाग (67 प्रतिशत) केन्द्रीय अन्तरणों से युक्त है (अर्थात् सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) तथा केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश (17 प्रतिशत))।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 32,133 करोड़) विगत वर्ष की तुलना में ₹ 6,503 करोड़ (25 प्रतिशत) बढ़ गया। राजस्व व्यय 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ से ₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ हो गया तथा कुल व्यय में इसका हिस्सा 79 प्रतिशत रहा। योजना राजस्व व्यय (₹ 4,520 करोड़) विगत वर्ष (₹ 3,493 करोड़) की तुलना में ₹ 1,027 करोड़ (29 प्रतिशत) तक बढ़ गया और विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय के 13 से 18 प्रतिशत से युक्त था। तथापि गैर योजना राजस्व व्यय 2012-17 के दौरान राजस्व व्यय के 82-87 प्रतिशत से युक्त था। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशन तथा सब्सिडी पर व्यय में 2012-17 की अवधि के दौरान निरन्तर वृद्धि देखी गयी जो कि 2012-13 में ₹ 12,939 करोड़ से 2016-17 में ₹ 17,919 करोड़ हो गया और राजस्व व्यय की औसत 76 प्रतिशत से युक्त है। कुल व्यय के प्रति पूँजीगत व्यय का हिस्सा 2015-16 में 11.2 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 10.9 प्रतिशत रह गया।

वर्ष 2014-15 से निधियों को राज्य बजट के माध्यम से जारी करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद ₹ 457.18 करोड़ की बड़ी निधियाँ 2016-17 के दौरान भारत सरकार द्वारा अब भी सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की जा रही थी। इन निधियों से व्यय की निगरानी करने के लिए राज्य में कोई भी अभिकरण नहीं है और इसका निर्धारण करने के लिए कोई भी डाटा तत्काल उपलब्ध नहीं है कि इन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा एक विशेष वर्ष में कितनी धनराशि वास्तविक रूप से व्यय की गई है।

वर्ष 2016-17 के अन्त पर 12 अपूर्ण परियोजनाओं में ₹ 187.62 करोड़ राशि की निधियाँ अवरूद्ध थी।

चालू वर्ष के अन्त पर राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 47,244 करोड़ (इसमें उदय स्कीम के अंतर्गत ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है) थीं जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 38 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों के 180 प्रतिशत पर अवस्थित थी। कुल लोक ऋण में बाजार उधारों का भाग 2012-13 में 57 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 59 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 36 प्रतिशत उधारों का उपयोग पुराने ऋणों के भुगतान के लिए किया गया था जिससे इन उधारों का मुख्य उद्देश्य विफल रहा।

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत दर्ज ₹ 32.29 करोड़ का समग्र आधिक्य ₹ 3,005.32 करोड़ की बचत द्वारा प्रतिसंतुलित ₹ 3,037.61 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक की अवधि से सम्बन्धित ₹ 9,402.18 करोड़ के व्यय आधिक्य का राज्य विधान मंडल के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमन अपेक्षित है।

14 उपशीर्षों में ₹ 2,113.09 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि या तो व्यय मूल प्रावधान तक नहीं पहुँच पाया या फिर सकल असम्बद्ध अधिक व्यय हुआ और 27 उपशीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचत हुई। 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) में वित्त वर्ष के अन्त में ₹ 2,863 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे। 62 मामलों/उपशीर्षों में ₹ 379.63 करोड़ की राशि का शत प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किया गया।

नौ मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही का व्यय 54 से 91 प्रतिशत के बीच था और इन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत मात्र मार्च 2017 के महीने में किया गया व्यय कुल व्यय का 51 से 79 प्रतिशत था।

अध्याय-III

वित्तीय रिपोर्टिंग

31 मार्च 2017 तक ₹ 2,910.67 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अनुदानों के सम्बंध में 2,587 प्रयुक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के ₹ 78.10 लाख की सरकारी धन राशि से अन्तर्ग्रस्त 45 मामले थे जिन पर जून 2017 तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 40 मामले पांच वर्ष से पुराने थे।

सरकार ने विभिन्न विभागों में विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना नहीं की क्योंकि राज्य विभागों में कुल ₹ 23.19 करोड़ राशि के अस्थायी अग्रिम के 76 मामले समायोजन हेतु लम्बित थे।

अध्याय-I

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण के आधार पर हिमाचल प्रदेश एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र (55,673 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सबसे बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2017 (प्रक्षिप्त) में 0.72 करोड़ हो गई, जिसमें 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 11 प्रतिशत रही, जो अखिल भारतीय औसत (22 प्रतिशत) से कम थी। राज्य में विगत दशक में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई तथा इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ की मिश्रित विकास दर 2007-08 से 2016-17 की अवधि में 15.53 प्रतिशत (परिशिष्ट 1) रही।

चालू मूल्यों पर 2015-16 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,24,570 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 82.80 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,47,277² रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

चालू मूल्यों पर राज्य तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में इंगित की गई हैं।

तालिका 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद/हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल राज्य उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,51,344	112,72,764	124,88,205	135,76,086	151,83,709
सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.91	13.28	10.78	8.71	11.84
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17 के दौरान ₹ 1,24,570 करोड़ पर एवं इसकी विकास दर 9.59 प्रतिशत, चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) के अनुमान (क्रमशः ₹ 1,36,914 करोड़ व 13.79 प्रतिशत) से कम रही।

टिप्पणी: भारत सरकार द्वारा उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एक्सपोर्ट्स योजना) योजना की शुरूआत राज्य ऊर्जा वितरण कम्पनियों के वित्तीय एवं परिचालन दक्षता में सुधार हेतु नवम्बर 2015 में की गयी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन किये गये ऋण को इस अध्याय में राजकोषीय मापदंडों की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। आवश्यक टिप्पणियाँ उपयुक्त स्थानों पर की गयी हैं।

¹ परिशिष्ट-4 में शब्दावली का संदर्भ लें।

² अग्रिम आंकड़ा

1.1.1 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2015-16) की तुलना में चालू वर्ष (2016-17) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि परिशिष्ट 1.4 विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.2: राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2015-16	2016-17	संवितरण	2015-16	2016-17		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -क: राजस्व							
राजस्व प्राप्तियां	23,440	26,264	राजस्व व्यय	22,303	20,824	4,520	25,344
कर राजस्व	6,696 (29)	7,039(27)	सामान्य सेवाएं	8,788	9,644	84	9,728
कर-भिन्न राजस्व	1,837 (8)	1,717(6)	सामाजिक सेवाएं	7,980	7,201	2,409	9,610
संघीय करों/शुल्कों का भाग	3,611 (15)	4,344(17)	आर्थिक सेवाएं	5,525	3,970	2,026	5,996
भारत सरकार से अनुदान	11,296(48)	13,164(50)	सहायता अनुदान व अंशदान	10	10	शून्य	10
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	शून्य	पूंजीगत परिव्यय	2,864	384	3,115	3,499
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	26	30	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	463			3,290 *
लोक ऋण प्राप्तियां	6,129	8,603 *	लोक ऋण की चुकौती	3,948			3,943
आकस्मिकता निधि	शून्य	शून्य	आकस्मिकता निधि	शून्य			शून्य
लोक लेखा प्राप्तियां [#]	11,515	13,630	लोक लेखा संवितरण [#]	10,577			12,351
अथ रोकड़ शेष	(-)739	216	अन्तिम रोकड़ शेष	216			316
योग	40,371	48,743	योग	40,371			48,743

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती हैं।

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के शुद्ध आंकड़े राज्य संसाधनों के विश्लेषणार्थ लिए गए हैं।

* इसमें उदय स्कीम के ₹2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

राजस्व प्राप्तियां	₹ 2,824 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि केन्द्रीय अन्तरणों अर्थात् सहायता अनुदान (₹ 1,868 करोड़) तथा केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 733 करोड़) के कारण थी।
राजस्व व्यय	₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ गया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय तथा योजनागत राजस्व व्यय में यह वृद्धि क्रमशः ₹ 2,014 करोड़ तथा ₹ 1,027 करोड़ थी।
राजस्व अधिशेष	राजस्व अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 217 करोड़ घटकर 2016-17 में ₹ 920 करोड़ रहा।
पूंजीगत व्यय	₹ 635 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया।
लोक ऋण प्राप्तियां	प्राप्तियां ₹ 2,474 करोड़ (40 प्रतिशत) बढ़ गईं एवं इसका भुगतान ₹ 5 करोड़ (0.13 प्रतिशत) घट गया।
लोक लेखा प्राप्तियां	प्राप्तियां एवं संवितरण दोनों ही क्रमशः ₹ 2,115 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं ₹ 1,774 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़ गये।
अन्तिम नकद शेष	गत वर्ष ₹ 216 करोड़ से ₹ 100 करोड़ बढ़कर 2016-17 के अन्त में ₹ 316 करोड़ हो गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय घटकों पर राज्य सरकार का निष्पादन तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: मुख्य राजकोषीय घटक

राजकोषीय घटक	2016-17					
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/चौ.वि.आ. में निर्धारित लक्ष्य	बजट/ एम.टी.एफ.पी.एस. [#] में प्रस्तावित/ प्रक्षिप्त लक्ष्य	वास्तविक आंकड़े		वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन (बिना उदय स्कीम के)	
			बिना उदय स्कीम	उदय स्कीम सहित	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/चौ.वि.आ. के लक्ष्य	बजट/ एम0टी0एफ0पी0एस0 [#] में प्रस्तावित /प्रक्षिप्त लक्ष्य
राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-) (करोड़ में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण	(-) 475.62	920	920	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	(-) 3.00 या कम	(-) 3.17	(-) 2.37	(-) 4.69	लक्ष्य लब्ध	लक्ष्य लब्ध
सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर सरकार के कुल बकाया ऋण* का अनुपात (प्रतिशत में)	34.13	32.82	35.61	37.93	(-) 1.48	(-) 2.79

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

#मीडियम टर्म फिस्कल प्लान स्टेटमेंट


*इसमें राज्य सरकार के लोक ऋण तथा अन्य उत्तरदायित्व शामिल हैं।

- चौदहवें वित्त आयोग में उल्लिखित राजस्व अधिशेष को बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 920 करोड़ रहा।
- राजकोषीय घाटा चौदहवें वित्त आयोग व एफ0आर0बी0एम0/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित लक्ष्य (3 प्रतिशत या कम) के प्रति उदय³ स्कीम के प्रभाव को छोड़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 था तथा उदय स्कीम को मिलाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.69 प्रतिशत था।
- कुल बकाया ऋण उदय स्कीम को छोड़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 35.61 प्रतिशत था तथा उदय स्कीम को मिलाकर 37.93 प्रतिशत था जो कि दोनों स्थितियों में चौदहवें वित्त आयोग व एफ0आर0बी0एम0/एम0टी0एफ0पी0एस0 के अनुमान से अधिक था।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 2016-17 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदण्डों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गये हैं:

³ उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेस योजना) स्कीम को भारत सरकार ने राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के वित्तीय एवं परिचालन दक्षता को उन्नत करने के लिए नवम्बर 2015 में आरम्भ किया। इस स्कीम के तहत राज्य द्वारा वहन किया गया ऋण वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में राज्य के राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए पैराग्राफ 1.8.2.1 देखें।



स्रोत: एम.टी.एफ.पी.एस. (मार्च 2016) तथा वित्त लेखा 2016-17


जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है कि अनेक मापदंडों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में बहुत भिन्नताएं थी। इससे प्रश्न उठता है कि बजट प्राक्कलन अवास्तविक था और यह बेहतर सूचना तथा राजस्व की वसूली प्रवृत्तियों पर आधारित होनी चाहिए।

1.1.4 लिंग बजटीकरण

वर्ष 2013 में महिला तथा बाल विकास विभाग में लिंग बजटीकरण कक्ष का गठन किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत की आवंटन सीमा तक 20 स्कीमें तथा 43 स्कीमें आंशिक आवंटन की थीं, जिनके अन्तर्गत परिव्यय किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में उल्लेख किया गया है। इन स्कीमों में ₹ 1,072.71 करोड़ के कुल परिव्यय के सापेक्ष वर्ष 2016-17 के अन्त तक ₹ 897.26 करोड़ की राशि खर्च की गयी थी तथा ₹ 175.45 करोड़ का अव्ययित शेष विभाग के पास पड़ा था।

1.2 राज्य के संसाधन


चार्ट 1.2: 2016-17 के दौरान प्राप्तियों के घटकों तथा उपघटकों को दर्शाता है।



1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

प्राप्तियों के राजस्व तथा पूँजीगत दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ, कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूँजीगत प्राप्तियाँ, विनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखे में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। **तालिका 1.2** वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि **चार्ट 1.3**, 2012-17 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियाँ दर्शाता है।

जैसाकि **चार्ट 1.2** से स्पष्ट है कि 2016-17 के दौरान ₹ 36,176 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ 73 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों, 24 प्रतिशत की पूँजीगत प्राप्तियों तथा तीन प्रतिशत की निवल लोक लेखा प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में भारत सरकार से सहायता अनुदान का अंश, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्यांश तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 50 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 17 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत था।



उपर्युक्त चार्ट 1.3 से स्पष्ट है कि राजस्व, पूंजीगत व शुद्ध लोक लेखे में अधिक प्राप्तियों के कारण गत वर्ष की तुलना में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 30,533 करोड़ से 18 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 36,176 करोड़ हो गयी।

राजस्व प्राप्तियों में 2012-17 के दौरान वृद्धि हुई। यद्यपि, वर्ष 2016-17 में ₹ 2,824 करोड़ की वृद्धि, मुख्यतया संघीय करों/शुल्कों भारत सरकार के अनुदानों में ₹ 2,601 करोड़ के अंश में वृद्धि के कारण हुई। राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में कमी के कारण वर्ष 2015-16 के 77 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 73 प्रतिशत हो गया।

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को काफी मात्रा में निधियों का अंतरण किया जा रहा है जो कि राज्य बजट/कोषागार के माध्यम से नहीं होता है।

इन निधियों को वर्ष 2014-15 से बजट के माध्यम से देने के केन्द्र सरकार के निर्णय के बावजूद 2014-17 के वर्षों में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियाँ सीधे ही हस्तान्तरित की गई।


वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की तुलना में प्रत्यक्षतः अन्तरित ये निधियाँ ₹ 344.68 करोड़ से बढ़कर ₹ 457.18 करोड़ हो गई। इन्हें मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) (₹ 104.32 करोड़), सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय (₹ 92.18 करोड़), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (₹ 35 करोड़) एवं सीमा प्रबंधन स्कीम (अधिशाली अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भाबानगर) (₹ 30 करोड़) को हस्तान्तरित किया गया था (परिशिष्ट 1.6)।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2016-17 के दौरान ₹ 457.18 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जाने से राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 48,527 करोड़ से बढ़ कर ₹ 48,984 करोड़ हो गई। इन निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में अभी तक कोई अलग अभिकरण नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई, पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखे के विवरण संख्या-14 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का परिशिष्ट 1.3 में उल्लेख किया गया है तथा इन्हें निम्न चार्ट 1.4 में भी दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)




- राजस्व प्राप्तियां 12.99 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2012-13 में ₹ 15,598 करोड़ से निरंतर बढ़कर 2016-17 में ₹ 26,264 करोड़ हो गई। 2016-17 के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 2,824 करोड़ बढ़ गई।
- 2016-17 के दौरान केवल 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां, करों तथा कर-भिन्न राजस्व से राज्य के अपने संसाधनों से आई तथा शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (17 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय अन्तरण के रूप में आई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.5 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	15,598	15,711	17,843	23,440	26,264
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.25	0.72	13.57	31.36	12.05
राज्य के अपने कर (₹ करोड़ में)	4,626	5,121	5,940	6,696	7,039
राज्य के अपने करों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.61	10.70	15.99	12.73	5.12
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59
राजस्व प्राप्त/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.95	16.58	17.13	20.62	21.08
उत्प्लावकता अनुपात⁴					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.55	0.05	1.37	3.44	1.26
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर की उत्प्लावकता	0.96	0.71	1.61	1.40	0.53

⁴ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।



- वर्ष 2013-14 में 0.72 प्रतिशत की गिरावट के बाद राजस्व प्राप्तियों की विकास दर में लगातार दो वर्षों 2014-15 में 13.57 प्रतिशत एवं 2015-16 में 31.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि पिछले पांच वर्षों में उच्चतम थी। तथापि, राज्य के अपने करों के न्यून उत्प्लावकता के कारण केन्द्रीय अन्तरणों के अधिक आवंटन के बावजूद वर्ष 2016-17 के दौरान इसमें 12.05 प्रतिशत की गिरावट हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर में 0.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता अनुपात में अर्न्तवर्षीय भिन्नता देखी गयी जो वर्ष 2013-14 में 0.05 कि गिरावट के पश्चात्, 2015-16 में बढ़कर 3.44 हुई और पुनः 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों के विकास दर में गिरावट के कारण गिरकर 1.26 हो गयी।
- वर्ष 2014-15 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के अपने कर उत्प्लावकता अनुपात में निरन्तर गिरावट देखी गई। वर्ष 2016-17 के दौरान यह गिरकर पांच वर्षों में न्यूनतम आ गई और 0.53 रही। यह बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि की प्रतिक्रिया में राजस्व गतिशीलता की दक्षता में सुधार पर राज्य सरकार के अपर्याप्त ध्यान देने का सूचक है।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किये गये निर्धारण की तुलना में वर्ष 2016-17 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 1.6 में दर्शाई गयी हैं।

तालिका 1.6: प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों की प्रतिशत भिन्नता

(₹ करोड़ में)

	14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आधिक्य का प्रतिशत भिन्नता	
				14वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	9,438	7,469	7,039	(-) 25.42	(-) 5.76
कर भिन्न राजस्व	1,876	1,668	1,717	(-) 8.48	लक्ष्य लब्ध

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

कर राजस्व की वास्तविक वसूली चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से ₹ 2,399 करोड़ (25.42 प्रतिशत) कम तथा कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूली 8 प्रतिशत कम थी। वर्ष 2016-17 के लिए कर राजस्व

बजट प्राक्कलनों/एम0टी0एफ0पी0एस0 में उल्लिखित राज्य के अपने करों के अनुमान से 5.76 प्रतिशत कम थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,728 (10)	3,141(15)	3,661(17)	3,993(9)	4,382(10)
राज्य आबकारी	810 (15)	952 (18)	1,044(10)	1,131(8)	1,308(16)
वाहन कर	196 (11)	208 (6)	220 (6)	317(44)	280(-12)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	173 (12)	188 (9)	190(1)	206(8)	209(1)
विद्युत कर एवं शुल्क	262(42)	191(27)	333 (74)	551(65)	372 (-32)
भू-राजस्व	24 (33)	10 (-58)	17(70)	7(-59)	8 (14)
माल तथा यात्री कर	101 (7)	105 (4)	110(5)	115(5)	121(5)
अन्य कर	332 (12)	326 (-2)	365(12)	376(3)	359 (-5)
योग	4,626(13)	5,121 (11)	5,940 (16)	6,696(13)	7,039(5)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/इंगित करते हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान कर राजस्व में ₹ 343 करोड़ (5 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुई। मुख्य वृद्धि बिक्री, व्यापार, राज्य आबकारी व भू-राजस्व में थी जबकि विद्युत कर एवं शुल्क तथा वाहन कर में महत्वपूर्ण गिरावट हुई।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.8: कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ब्याज प्राप्तियां	70 (-39)	119 (70)	101(-15)	94(-7)	146(55)
लाभांश तथा लाभ	100 (16)	103 (3)	171(66)	112(-35)	290(159)
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां, जिनमें	1,207 (-30)	1,563 (29)	1,809(16)	1,631(-10)	1,281(-21)
विविध सामान्य सेवाएं	9(-78)	6(-33)	3(-50)	19(533)	2(-89)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	112(8)	157(40)	161(3)	206(28)	112(-46)
वानिकी तथा वन्य जीवन	64(-40)	358(459)	116(-68)	34(-71)	19(-44)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	46(77)	26(-43)	36(38)	33(-8)	43(30)
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	148(23)	111(-25)	162(46)	155(-4)	176(14)
विद्युत	637(-44)	696(9)	1,122(61)	924(-18)	651(-30)
अन्य	191(12)	209(9)	209 (-)	260(24)	278(7)
योग	1,377 (-28)	1,785 (30)	2,081(17)	1,837(-12)	1,717(-7)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।

कर-भिन्न राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 2016-17 में ₹ 120 करोड़ (7 प्रतिशत) की कमी हुई। वर्ष 2016-17 में अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में 21 प्रतिशत की कमी देखी गई। वानिकी एवं वन्य जीवन के अन्तर्गत गैर कर-राजस्व पेड़ों की बिक्री के लिए तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि व योजना प्राधिकरण के अन्तर्गत भारत सरकार (डी.आर.डी.ओ.) के त्रुटिवश उधार जमा के पुनर्भुगतान के कारण वर्ष 2012-13 के ₹ 64 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 358 करोड़ हो गया। इसमें सबसे लगातार गिरावट हुई और वर्ष 2016-17 में यह ₹ 19 करोड़ हो गई। गत वर्ष के लिए मुफ्त विद्युत के लिए ₹ 340 करोड़ के शेष राशि के प्राप्ति के कारण ऊर्जा के अन्तर्गत गैर-कर राजस्व वर्ष 2012-13 के

₹ 637 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 1,122 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान बाजार में प्रचलित कम ऊर्जा दर के कारण यह 30 प्रतिशत घटा।

1.3.1.3 संग्रहण लागत

वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान बिक्री, व्यापार पर कर, राज्य आबकारी, माल एवं यात्री, स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस, वाहन और विद्युत कर पर करों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर व्यय एवं सकल संग्रहण पर इसकी प्रतिशतता तालिका 1.9 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.9: संग्रहण लागत

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर संग्रहण लागत की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार पर कर	2015-16	3,993	3.92	0.10
	2016-17	4,382	4.27	0.10
राज्य आबकारी	2015-16	1,131	4.15	0.37
	2016-17	1,308	6.03	0.46
माल एवं यात्री	2015-16	115	34.30	29.83
	2016-17	121	39.46	32.61
स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस	2015-16	206	2.20	1.07
	2016-17	209	23.04	11.02
वाहन कर	2015-16	317	6.41	2.02
	2016-17	280	2.95	1.05
विद्युत कर	2015-16	551	1.79	0.32
	2016-17	372	2.06	0.55

विगत वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य आबकारी, माल एवं यात्री कर, स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस और विद्युत कर के लिए सकल संग्रहण पर संग्रहण लागत की प्रतिशतता ज्यादा रही।

1.3.2 भारत सरकार से राज्य को अन्तरण

2012-13 से 2016-17 की अवधि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल केन्द्रीय अन्तरणों में लगातार वृद्धि (2013-14 को छोड़कर) देखी गई जिसे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: भारत सरकार से अन्तरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,313	6,314	7,178	11,296	13,164
संघीय करों व शुल्कों में राज्य का अंश	2,282	2,491	2,644	3,611	4,344
राज्यों को कुल केन्द्रीय अन्तरण	9,595	8,805	9,822	14,907	17,508

केन्द्रीय अन्तरणों की घटक वार स्थिति अनुवर्ती पैरों में दर्शाई गई है।

1.3.2.1 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 1.10 (अ) में दर्शाई गई है:

तालिका 1.10 (अ): भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेतर अनुदान	2,526	2,025	1,199	8,524	8,877
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	4,179	3,765	4,333	756	1,188
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	28	17	31	38	44
केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	580	507	1,615	1,978	3,055
योग	7,313	6,314	7,178	11,296	13,164
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	12.15	(-)13.66	13.68	57.37	16.54
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	47	40	40	48	50

तालिका 1.10 (अ) से देखा जा सकता है कि चौदहवें वित्त आयोग के सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 से भारत सरकार से सहायता अनुदान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 1,868 करोड़ बढ़ गए जिससे विगत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। सहायता अनुदान के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान मुख्य प्राप्तकर्ता थे जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 1,077 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धि ऊर्जा विकास, शहरी विकास व सामान्य शिक्षा में देखी गई थी। 2012-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्रतिशतता 40 से 50 प्रतिशत के बीच रही।

1.3.2.2 केन्द्रीय कर अंतरण

केन्द्रीय कर अन्तरण ₹ 732.53 करोड़ (20 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2015-16 के ₹ 3,611 करोड़ से 2016-17 में ₹ 4,344 करोड़ हो गए जैसा कि तालिका 1.10 (ब) में दिया गया है।

तालिका 1.10 (ब): वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान केन्द्रीय कर अन्तरण

(₹ करोड़ में)

कर	चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति	2015-16 के वास्तविक आँकड़े	2016-17 के वास्तविक आँकड़े	भिन्नता
निगम कर	केन्द्रीय करों की शेर्य करने योग्य राशि का 42 प्रतिशत राज्यों को	1,135.61	1,393.48	257.87
आय कर		786.68	968.47	181.79
सम्पत्ति कर		0.32	3.19	2.87
सीमा शुल्क		579.13	599.42	20.29
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		484.57	684.49	199.92
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क		2.93	0.01	(-)2.92
सेवा कर		621.90	694.64	72.74
आय व व्यय पर अन्य कर		0.03	शून्य	(-)0.03
योग		3,611.17	4,343.70	732.53

1.3.3 चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों का इष्टतम उपयोग

वित्तीय नियम बताते हैं कि अनुदानों को प्राप्त कर रहे संस्थाओं या संगठनों को सहायता अनुदानों को उपयोग करने के पश्चात् भारत सरकार को लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिलेखों की संवीक्षा तथा संबन्धित विभागों अर्थात् निदेशक पंचायती राज, निदेशक शहरी विकास, प्राथमिक शिक्षा व विशेष सचिव (राजस्व विभाग), शिमला से प्राप्त सूचना निम्नलिखित दर्शाता है:

तालिका 1.11: चयनित विभागों को चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदानों को अवमुक्त करना (2016-17)
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	अन्तरण	चौदहवें वित्त अयोग द्वारा सिफारिश	वास्तविक अवमुक्त राशि	व्यय
1	निदेशक शहरी विकास	यू.एल.बी.एस. को प्राथमिक अनुदान	13.83	13.83	13.83
		निष्पादन अनुदान	8.60	8.60	8.60
2	निदेशक पंचायती राज	यू.एल.बी.एस. को प्राथमिक अनुदान	270.56	270.56	270.56
		निष्पादन अनुदान	35.49	35.49	35.49
3	विशेष सचिव (राजस्व विभाग)		248.00	248.00	248.00
योग			576.48	576.48	576.48

यह देखा गया है कि चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार को ₹ 576.48 करोड़ की अनुदान राशि अवमुक्त की गई। राज्य सरकार ने पुनः यह अनुदान राशि निदेशालय पंचायती राज संस्थाएं, निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य कार्यकारी एजेंसियों को अवमुक्त कर दिया। यह देखा गया कि केवल राजस्व विभाग ने ₹ 248 करोड़ के व्यय के प्रति केवल ₹ 108.48 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया था जबकि अन्य संबन्धित विभागों के संदर्भ में सितम्बर 2017 तक न तो कोई उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ न ही कोई व्यय ब्यौरा/विवरण कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई। पुनः पूरी प्राप्त राशि कार्यकारी एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना उपयोग किया हुआ दिखाया गया जो कि वित्तीय नियमों के विरुद्ध है।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दी गई है।

तालिका 1.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूंजीगत प्राप्तियां	3,392	4,067	11,568	6,155	8,633
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	68.84	19.89	184.44	(-) 46.79	40.26
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	शून्य	650	शून्य	शून्य
ऋणों तथा अग्रियों की वसूली	21	17	41	26	30
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (केवल ऋण व अग्रिम)	(-) 16.00	(-) 19.05	141.18	(-) 36.83	15.38
लोक ऋण प्राप्तियां	3,371	4,050	10,877	6,129	8,603
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	69.91	20.14	168.57	(-) 43.65	40.37

वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां पिछले वर्ष (2015-16) से 40.26 प्रतिशत की विकास दर से ₹ 2,478 करोड़ की वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान यह बढ़ती मुख्य रूप से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,474 करोड़ (40.37 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई थी। पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोतों की विस्तृत चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गयी है:

1.4.1 ऋणों तथा अग्रियों की वसूलियां

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी संस्थागत नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारिता, हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता परिसंघ निगम लिमिटेड (हिमफैड), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य

वित्तीय निगमों, आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 31 मार्च, 2017 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 6,044 करोड़ थे। इसमें से राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान केवल ₹ 30 करोड़ वसूल किए। इसके अतिरिक्त ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 80 करोड़ प्राप्त किए गए। ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत स्थिति पैरा 1.8.3 में वर्णित है।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां

आन्तरिक स्रोतों अर्थात् बाजार ऋण/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से उधार से ऋण प्राप्तियाँ 2012-13 से 2016-17 तक निरन्तर राज्य सरकार की प्राप्तियों के स्रोत बने रहे।

तालिका 1.13: आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार ऋण	2,359 (73)	2,367 (59)	2,345 (22)	2,450 (40)	3,400 (40)
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	471 (15)	617 (15)	1,102 (10)	1,307 (22)	शून्य
अर्थोपाय अग्रिम (अधिविकर्ष सहित)	शून्य	629(16)	6,860 (64)	1,785 (29)	1,671 (20)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	400 (12)	350 (9)	400 (4)	500 (8)	500 (6)
अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण	9 (*)	28 (1)	45 (*)	37 (1)	2,931 [#] (34)
आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ	3,239	3,991	10,752	6,079	8,502
आन्तरिक ऋण चुकौतियाँ	2,056	1,639	8,193	3,876	3,869

कोष्ठकों के आंकड़े आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं

* एक प्रतिशत से कम # उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

जैसे कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 के दौरान उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना (उदय) ऋणपत्रों के 2,891 करोड़ के ऋण प्राप्ति के कारण विगत वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण प्राप्तियां बढ़ गयी। पिछले पांच वर्षों से आंतरिक ऋण का मुख्य घटक बाजार ऋण था। 2016-17 में बाजार ऋण (7.5 की औसत ब्याज दर) ₹ 950 करोड़ बढ़ गयी। 2016-17 के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,079 करोड़ से ₹ 2,423 करोड़ (40 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,502 करोड़ हो गई और आंतरिक ऋण चुकौतियां ₹ 3,876 करोड़ से ₹ 7 करोड़ घटकर ₹ 3,869 करोड़ रह गई।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

विगत पाँच वर्षों के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.14 में दी गई है।

तालिका 1.14: भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अथ शेष	947	1,018	1,012	1,070	1,049
वर्ष के दौरान प्रदत्त	132	59	125	50	101
वर्ष के दौरान निस्तारण	61	65	67	71	74
अंत शेष	1,018	1,012	1,070	1,049	1,076
कुल व्यय की प्रतिशतता	5	5	5	4	3

वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार से राज्य योजना स्कीमों के लिए ऋण व अग्रिमों की प्राप्ति (₹ 101.30 करोड़) 103 प्रतिशत बढ़ गयी।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उंचंत, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, के संदर्भ में प्राप्तियों तथा संवितरणों को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं हैं। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया वह उपलब्ध निधि होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति तालिका 1.15 में दर्शाई गयी है।

तालिका 1.15: 2015-16 और 2016-17 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	लोक लेखा प्राप्तियां		लोक लेखा संवितरण		संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	3,116	3,403	2,397	2,198	719	1205
आरक्षित निधि	235	249	244	249	(-) 9	--
जमा तथा अग्रिम	2,408	2,727	2,293	2,546	115	181
उंचंत तथा विविध	617	800	651	872	(-) 34	(-)72
प्रेषण	5,139	6,451	4,992	6486	147	(-)35
कुल	11,515	13,630	10,577	12,351	938	1,279

निवल लोक लेखा प्राप्तियां= लोक लेखा प्राप्तियां- लोक लेखा संवितरण


जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निवल लोक लेखा प्राप्तियां (संवितरणों पर प्राप्तियों का आधिक्य) 2015-16 के ₹ 938 करोड़ से ₹ 341 करोड़ बढ़कर 2016-17 में ₹ 1,279 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान यह बढ़ोतरी मुख्यतः लघु बचतों, भविष्य निधि आदि के अंतर्गत ₹ 486 करोड़ तथा जमा तथा अग्रिम के अंतर्गत ₹ 66 करोड़ रही।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बजट बाधाएं आती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषतः जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

चार्ट-1.5 विगत पांच वर्षों (2012-17) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन प्रस्तुत करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों' द्वारा व्यय की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.6 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।



➤ राज्य का कुल व्यय 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2012-13 में ₹ 18,598 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 32,133 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान वृद्धि ₹ 6,503 करोड़ (25 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹ 3,041 करोड़, ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 2,827 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 635 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

व्यय के इन संघटकों के सापेक्ष अंश की गति से इंगित हुआ कि व्यय के मुख्य संघटकों में अन्तः




वर्षीय भिन्नताएँ थीं। अविकासीय समझे जाने वाला सामान्य सेवा का (ब्याज भुगतान सहित) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय 2012-13 के 35.98 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 36.11 प्रतिशत हो गया लेकिन वर्ष 2016-17 में क्रमशः घटकर 30.92 प्रतिशत पर आ गया। सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत व्यय मुख्यतः ब्याज भुगतानों (34 प्रतिशत) तथा पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (41 प्रतिशत) के कारण था। दूसरी ओर विकास व्यय⁵ अर्थात् सामाजिक

व आर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2015-16 के 63.53 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2016-17 में 58.81 प्रतिशत हो गया। ऋणों एवं अग्रिमों के अंश में उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस स्कीम के क्रियान्वयन के कारण 2016-17 के दौरान 8.43 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई।

⁵ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

➤ **राजस्व व्यय:** राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ से ₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत)



बढ़कर 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ हो गया। व्यय वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं पर ₹ 940 करोड़ (11 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं पर ₹ 1,630 करोड़ (20 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं पर ₹ 471 करोड़ (9 प्रतिशत) थी। समग्र वृद्धि शिक्षा, खेलों, कला एवं संस्कृति (₹ 813 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 510 करोड़),

ब्याज भुगतान (₹ 204 करोड़), स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (₹ 201 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 174 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 124 करोड़) शीर्षों के अन्तर्गत प्रमुख वृद्धि की परिणामी थी। वर्ष 2012-17 के दौरान राजस्व व्यय लगातार कुल व्यय के प्रभावी अनुपात (79 से 88 प्रतिशत) में बना रहा और 13 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा। वर्ष 2016-17 के दौरान यह कुल व्यय का 78.9 प्रतिशत रहा।

योजनागत राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 1,027 करोड़ (29 प्रतिशत) बढ़ गया और उसने कुल राजस्व व्यय में केवल 13 से 18 प्रतिशत का अंशदान किया। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में ₹ 2,014 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया और 2012-17 के दौरान उसका राजस्व व्यय में 82 से 87 प्रतिशत का प्रभावी अंश रहा। 2012-17 वर्षों में राजस्व प्राप्तियों की 79 से 95 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात से (परिशिष्ट 1.3) आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में प्रयुक्ति हुई।

2016-17 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.08 प्रतिशत तथा राजस्व व्यय का 20.35 प्रतिशत रहा। राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 920 करोड़ रहा जो कि चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.74 प्रतिशत था।

➤ **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय 2012-14 के वर्षों में ₹ 1,955 करोड़ से ₹ 99 करोड़ घटकर ₹ 1,856 करोड़ हो गया। पूंजीगत व्यय में पिछले तीन वर्षों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। वर्ष 2016-17 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 3,499 करोड़) गत वर्ष 2015-16 (₹ 2,864 करोड़) की तुलना में ₹ 635 करोड़ (22 प्रतिशत) बढ़ गया। सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 296 करोड़) व जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 434 करोड़), आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 203 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण (₹ 201 करोड़) तथा परिवहन (₹ 1,584 करोड़) प्रमुख लाभकारी क्षेत्र थे जिनमें 2016-17 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर 2015-16 के 11.2 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 10.9 प्रतिशत हो गया।

➤ **ऋण तथा अग्रिम:** 2016-17 में कुल व्यय का 10 प्रतिशत (₹ 3,290 करोड़) था, जो विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष ₹ 2,827 करोड़ बढ़ गया। ऋणों का मुख्य भाग (₹ 2,890.50 करोड़) उदय स्कीम के अन्तर्गत डिस्काम को संवितरित किया गया।

1.6.2 प्रतिबद्धित व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्धित व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों एवं मजदूरियों पर व्यय, पेंशनों तथा उपदानों से समाविष्ट रहता है।

तालिका 1.16: प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें	7,255 (47)	7,545 (48)	8,418 (47)	8,174 (35)	9,682(37)
आयोजनेतर शीर्ष	6,999	7,289	8,159	7,826	9,345
योजनागत शीर्ष	256	256	259	348	337
ब्याज भुगतान	2,370 (15)	2,481 (16)	2,849 (16)	3,155 (13)	3,359(13)
पेंशन	2,747 (18)	2,855 (18)	2,914 (16)	3,836 (16)	4,114(16)
उपदान	567 (4)	467 (3)	801 (4)	1,346 (6)	764(3)
योग	12,939	13,348	14,982	16,511	17,919
राजस्व व्यय पर प्रतिशतता	80	77	76	74	71

* वेतन: ₹ 9,356 करोड़; मजदूरी: ₹ 326 करोड़

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिशतता इंगित करते हैं।

जैसे तालिका 1.16 से स्पष्ट है कि राज्य के प्रतिबद्धित व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,408 करोड़ (9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2012-17 के वर्षों में लगातार, प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का प्रमुख भाग क्रमशः 80, 77, 76, 74 व 71 प्रतिशत रहा।

वेतन एवं मजदूरी

स्टाफ को मंहगाई भत्ता किस्तों व अन्य लाभों के भुगतान के कारण वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष से ₹ 1,508 करोड़ (18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2016-17 के दौरान यह राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 37 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन व्यय (₹ 9,356 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्रक्षेपणों (₹ 9,445 करोड़) के अन्तर्गत था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2012-13 में ₹ 2,747 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 4,114 करोड़ तथा गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 278 करोड़ (7 प्रतिशत) तक बढ़ गया। वेतन एवं पेंशन भुगतानों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों का 53 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 4,200 करोड़) के अन्तर्गत था।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 2012-13 के ₹ 2,370 करोड़ से 2016-17 में ₹ 3,359 करोड़ हो गए तथा इनमें गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹ 204 करोड़ (6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान चौदहवें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक निर्धारण (₹ 3,391 करोड़) तथा राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 3,400 करोड़) के अन्तर्गत था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज भुगतान का वृद्धिकारी निर्गमन बढ़े हुए वाणिज्यिक उधारों के कारण था जैसे कि पैरा 1.9.2 में विवरण दिया गया है।

उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। तालिका 1.16 दर्शाती है कि लगातार दो वर्षों 2014-15 तथा 2015-16 में वृद्धि के पश्चात् 2016-17 के दौरान दिए गए उपदानों में ह्रास हुआ। 2016-17 में उपदान ₹ 582 करोड़ घट गए जो कि राजस्व

प्राप्तियों का लगभग 3 प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक ऊर्जा (₹ 265 करोड़); परिवहन (₹ 160 करोड़), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 175 करोड़) तथा उद्यान (₹ 62 करोड़) थे।

1.6.3 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को अवमुक्त किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अवमुक्त किए गए सहायता अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	संस्था का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	405.62 (29)	451.55 (11)	601.03(33)	663.67 (10)	849.57(28)
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	174.09 (42)	282.33 (62)	211.65 (-25)	321.63 (52)	554.49(72)
3.	पंचायती राज संस्थाएं	282.09 (7)	353.54 (25)	810.37(129)	926.72 (14)	1,011.60(9)
4.	विकास अभिकरण	38.72 (-17)	65.96 (70)	63.52(-4)	80.53 (27)	150.37(87)
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	87.77 (26)	94.63 (8)	216.24 (129)	277.14 (28)	271.64(-2)
6.	अन्य संस्थाएं	214.82 (32)	189.87 (-12)	253.37 (33)	342.58 (35)	519.31(52)
	योग	1,203.11 (23)	1,437.88 (20)	2,156.18 (50)	2,612.27 (21)	3,356.98 (29)
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता अनुदान	7.43	8.28	10.90	11.71	13.25

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़े कोष्ठकों के आंकड़े गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास दर्शाते हैं।

2012-16 की अवधि में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति सामने आई। यह अनुदान विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष (2016-17) के दौरान ₹ 744.71 करोड़ (29 प्रतिशत) तक बढ़ गए। वर्ष 2016-17 के दौरान सहायता अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः विश्वविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों (₹ 185.90 करोड़), नगर निगम व नगरपालिकाएं (₹ 232.86 करोड़), विकास अभिकरणों (₹ 69.84 करोड़) तथा अन्य संस्थानों (₹ 176.73 करोड़) को अधिक अनुदान के कारण थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

राज्य सरकार को समनुदेशित सामाजिक क्षेत्र व आर्थिक मूलाधार से सम्बद्ध व्यय दायित्व अधिकांशतः राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। मानवीय विकास स्तर की वृद्धि हेतु राज्यों से अपेक्षा है कि वे मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपना व्यय बढ़ाएं। यदि किसी विशेष व्यय शीर्ष को प्रदत्त प्राथमिकता उस वर्ष में विशेष श्रेणी वाले राज्यों के औसत से न्यून है तो उस सेक्टर को न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (सकल व्यय पर व्यय श्रेणी अनुपात) से सम्बद्ध किया कहा जा सकता है।

तालिका 1.17 (क) वर्ष 2012-13 को आधार वर्ष मानते हुए 2015-16 व चालू वर्ष 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के सापेक्ष विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय और पूंजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताएं विश्लेषित करती है।

तालिका 1.17 (क): 2012-13, 2015-16 व 2016-17 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स.व./स.रा. घ.उ.	वि.व. [#] / स.व.	सा.क्षे.व./ स.व.	आ.क्षे.व./स.व.	पू.व./स.व.	शि./स.व.	स्वा./स.व.
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2012-13	24.80	61.10	34.30	30.70	15.10	18.10	5.30
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	22.60	63.93	35.31	28.62	10.51	19.27	5.41
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2015-16	24.70	63.90	36.30	30.10	14.00	18.50	6.00
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2015-16	22.55	65.27	34.22	31.04	11.17	17.29	5.53
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	27.40	61.50	34.20	30.00	13.60	16.60	5.40
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2016-17	25.80	69.03	33.15	35.88	10.89	16.31	5.56

स.व.: सकल व्यय, स.रा.घ.उ.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वि.व.: विकास व्यय, सा.क्षे.व.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व.: आर्थिक क्षेत्र व्यय,
विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय व संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल हैं।
स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए 01 अगस्त 2017 को सी.एस.ओ. वेबसाइट पर उपलब्ध तथा राज्यों द्वारा आपूरित सूचना

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा व्यय के एक विशेष वर्गीकरण के लिए दी गई प्राथमिकता को संदर्भित है। 2012-13 तथा 2015-16 के साथ 2016-17 में हुए व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्नवत् दर्शाता है:

- वर्ष 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सरकार का समेकित व्यय 22.60 प्रतिशत था जो 2015-16 में थोड़ा सा 22.55 प्रतिशत तक घट गया। तथापि 2016-17 में यह 25.80 प्रतिशत था जो कि विगत वर्ष से 3.25 प्रतिशत अंक अधिक है। 2012-13, 2015-16 व वर्ष 2016-17 के दौरान यह विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था।
- हिमाचल प्रदेश में समेकित व्यय में विकास व्यय की प्रतिशतता 2012-13, 2015-16 व 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्य के औसत से क्रमशः 2.83, 1.37 व 7.53 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य में समेकित व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय आधार वर्ष 2012-13 में विशेष श्रेणी राज्य के औसत से अधिक था। तथापि, यह 2015-16 व 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्य के औसत से कम था।
- समेकित व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय का अनुपात तुलना के सभी वर्षों में विशेष श्रेणी राज्य की औसत से न्यून था। 2016-17 के दौरान यह विगत वर्ष की तुलना में 0.28 प्रतिशत घटा तथा विशेष श्रेणी राज्य के औसत से 2.71 प्रतिशत कम था।
- वर्ष 2012-13 के दौरान शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत अनुपात विशेष श्रेणी राज्य के औसत से अधिक था लेकिन 2015-16 व 2016-17 की अवधि के दौरान विशेष श्रेणी राज्य के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता व इसकी प्रभावशीलता

नीचे तालिका 1.17 (ख) के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2016-17 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमशः ₹ 880 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं ₹ 255 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय में ₹ 246 करोड़ (26 प्रतिशत) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 133 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

तालिका 1.17 (ख): विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय	क्षेत्र	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
						वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
2015-16	25,630	सामाजिक सेवाएं	7,980	792	0.03	4,776	930
		आर्थिक सेवाएं	5,525	1,984	0.08	1,911	1,147
2016-17	32,133	सामाजिक सेवाएं	9,610	1,041	0.03	5,656	1,176
		आर्थिक सेवाएं	5,996	2,250	0.07	2,166	1,280

स्रोत: वाऊचर स्तर कम्प्यूटरीकरण महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

2016-17 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्यय के अनुपात में पूँजीगत व्यय क्रमशः 0.03 तथा 0.07 रहा जो कि चिन्ता का विषय है।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूँजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, न कि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन किया जाए तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2017 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.18 में दी गई है। मात्र वे परियोजनाएं अपूर्ण परियोजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं जिनमें कार्य समापन की निर्धारित तिथि 31 मार्च 2017 तक पूर्ण हो चुकी थी।

तालिका 1.18: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2017 तक कुल व्यय
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	08	85.68	35.48	99.68
लोक निर्माण कार्य (भवन एवं सड़कें)	04	196.38	उपलब्ध नहीं	87.94
योग	12	282.06		187.62

स्रोत: वित्त लेखे * केवल 3 परियोजनाओं की संशोधित लागत।

अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की केवल 3 परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जहां ₹ 17.78 करोड़ की लागत वृद्धि थी। ये परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा मार्च 2012 के मध्य पूरी की जानी थीं। कार्यों की भौतिक प्रगति के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सभी 12 परियोजनाओं का 70 से 99 प्रतिशत के मध्य कार्य पूर्ण हुआ था तथा 12 वर्षों तक की समय वृद्धि हो चुकी थी।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2017 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 3,294 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.19 (क))। निवेश पर औसत प्रतिफल

5.15 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2012-17 के दौरान अपने उधारों पर 7.85 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

तालिका 1.19 (क): निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	औसत 2012-17
वर्षांत में निवेश	2,767	3,025	2,732	3,041	3,294	लागू नहीं
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज)	100.09	103.42	171.00	111.94	289.63	लागू नहीं
प्रतिफल (प्रतिशत)	3.62	3.42	6.26	3.68	8.79	5.15
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.08	7.71	7.91	7.95	7.60	7.85
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	4.46	4.29	1.65	4.27	(-).1.19	2.70

स्रोत: वित्त लेखे

यद्यपि गत वर्ष 2015-16 (₹ 3,041 करोड़) की तुलना में सरकारी निवेश 2016-17 (₹ 3,294 करोड़) में 8.32 प्रतिशत बढ़े तथा निवेशों के प्रतिफल 2012-15 में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए 2012-13 में ₹ 100.09 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 171 करोड़ हो गये लेकिन 2015-16 के दौरान ₹ 59.06 करोड़ घट गए। 2016-17 के दौरान इसमें ₹ 177.69 करोड़ की वृद्धि हुई। विगत पांच वर्षों (2012-17) में मुख्य अंशदाता सतलुज जल विद्युत निगम था। प्रमुख लाभान्वित सरकारी कम्पनियों में, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,018.64 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹ 161.06 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 80.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (₹ 22.08 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम लिमिटेड (₹ 52.75 करोड़) थे।

1.8.2.1 उदय स्कीम का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय एवं परिचालन क्षमता में सुधार के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेंस योजना (उदय) स्कीम नवम्बर, 2015 में आरंभ की गई थी। यह ब्याज भार, विद्युत लागत तथा कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने का उल्लेख करती है। परिणामस्वरूप डिस्कॉम लंबे समय तक पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति कर सकेगा जिससे 24x7 विद्युत आपूर्ति सक्रिय रहेगी। स्कीम में प्रावधान है कि राज्य दो वर्षों में डिस्कॉम के 75 प्रतिशत ऋण (30 सितंबर, 2015 तक) वहन करेंगे अर्थात् 2015-16 में लिए गए 50 प्रतिशत ऋण तथा 2016-17 में लिए गए 25 प्रतिशत ऋण। एक त्रिपक्षीय करारनामे पर भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य 8 दिसम्बर 2016 को हस्ताक्षर होने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार ने 28 फरवरी 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹ 2,890.50 करोड़ राशि निधियों को लिया और 1 मार्च 2017 को इन निधियों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को अंतरित कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त इस राशि को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा सम्बन्धित ऋणदाता को दे दिया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य द्वारा लिया गया ऋण वित्तीय वर्षों 2015-16 व 2016-17 में राज्य के राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाएगा। यद्यपि, वर्ष 2016-17 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा बिना उदय स्कीम के ₹ 2,948 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत) है तथा राजकोषीय घाटा उदय स्कीम को मिलाकर ₹ 5,839 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.69 प्रतिशत) होगा।

1.8.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति (अगस्त 1982) निर्मित की थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी पर 3 प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना था। मन्त्रि-परिषद् ने 8 अप्रैल 2011 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम (कल्याण एवं यूटिलिटी क्षेत्र को छोड़कर) वित्त वर्ष 2009-10 से अनुगामी वर्षों में करोपरान्त लाभ के 50 प्रतिशत सीमांकन की शर्त पर सरकारी इक्विटी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल की अदायगी कर सकते हैं। यह राशि नवीनतम रूप से अनुवर्ती वर्ष के जून माह के अन्त तक सरकारी कोषागार में जमा की जानी थी तथा विहित था कि लाभ अर्जित करने वाले सभी उपक्रम निर्धारित प्रतिफल भविष्य में भी भुगतान करते रहेंगे। 31 मार्च 2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उपक्रमों में राज्य सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 3,508.59 करोड़ थी।


तालिका 1.19 (ख): प्रदत्त शेयर पूंजी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

निवेश की प्रकृति	सरकारी कम्पनियों		सांविधिक निगम (संख्या)	सकल योग (संख्या)
	कार्यशील (संख्या)	कम्पनियों अकार्यशील कम्पनियों (संख्या)		
प्रदत्त शेयर पूंजी	2,743.81 (19)	16.75 (2) ⁶	748.03 (2)	3,508.59 (23)

31 मई 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार स्थिति निम्नांकित चार्ट 1.8 तथा परिशिष्ट 1.7 में दी गई है:

चार्ट 1.8: प्रदत्त शेयर पूंजी में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विवरण



अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2017 तक निवेशित ₹ 3,508.59 करोड़ की इक्विटी पर इसने मात्र ₹ 1.89 करोड़ का प्रतिफल अर्जित किया जो कि मई 2017 तक नवीनतम

⁶ दो कम्पनियों (एग्रो पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वस्टेंड मिल्लज लिमिटेड) में से एक कम्पनी अर्थात् हिमाचल वस्टेंड मिल्लज लिमिटेड परिसमापनाधीन थी।

अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 3,508.59 करोड़ का 0.05 प्रतिशत था।

1.8.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2017 तक आरम्भ की गई 24 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से 10 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं (लागत ₹ 179.50 करोड़) पूर्ण तथा प्रचालनाधीन थी और सौंपी गई 14 परियोजनाएं (अनुमानित लागत ₹ 1,245 करोड़) कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.8 में वर्णित है।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती है। तालिका 1.20 में 31 मार्च 2017 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.20: राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
अथशेष	951	1,399	1,913	2,346	2,784
वर्ष के दौरान दी गई राशि	469	531	474	463	3,290*
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	21	17	41	25	30
अंत शेष	1,399	1,913	2,346	2,784	6,044
निवल वृद्धि	448	514	433	438	3,260
ब्याज प्राप्तियां	14	15	65	53	80
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	1.19	0.78	2.77	1.90	1.32
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	8.39	8.15	8.41	8.26	8.15
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 7.20	(-) 7.37	(-) 5.64	(-) 6.36	(-) 6.83

स्रोत: वित्त लेखे

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित।

जैसा कि तालिका 1.20 से अवलोकित होता है कि 31 मार्च 2017 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 6,044 करोड़ थी। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रदत्त ₹ 3,290 करोड़ के अग्रिम के प्रति केवल ₹ 30 करोड़ लौटाए गए। अधिकांश ऋण आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों (₹ 3,228.81 करोड़) को उदय स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिए गए। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। यह कमी 2015-16 के दौरान 6.36 प्रतिशत था जो चालू वर्ष में बढ़कर 6.83 प्रतिशत हो गया। 2016-17 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों का प्रतिफल 1.32 प्रतिशत प्राप्त किया तथापि, इस अवधि के दौरान उसने उधारों पर औसतन 8.15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2016-17 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.21 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.21: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋणी-इकाइयाँ	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि, अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश निजी संस्थान नियामक आयोग	1	1.00	ब्याज मुक्त	निर्दिष्ट नहीं
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी	3	27.11	11.45 प्रतिशत	3 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विपणन एवं उपभोक्ता संघ निगम लिमिटेड (हिमफैड)	1	10.00	10.20 प्रतिशत	निर्दिष्ट नहीं
	1	2.68	10.90 प्रतिशत	1 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	44	218.31	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1	2,890.50	अभी निश्चित करना है	निर्दिष्ट नहीं
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	6	120.00	10 प्रतिशत	5 वर्ष
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	3	13.06	8.5 प्रतिशत	2 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	--	7.03	लागू नियमों के अनुसार	लागू नहीं
योग	60	3,289.69		

स्रोत: वित्त लेखे

1.8.4 नकद शेष और नकद शेष का निवेश

तालिका 1.22 नकद शेष और वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा नकद शेष में से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 1.22: नकद शेष तथा नकद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2016 तक	31 मार्च 2017 तक	वृद्धि (+)/कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 340.76	(-) 443.27	(-) 102.51
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	556.80	759.43	202.63
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय कार्यालयों अर्थात् लोक निर्माण विभाग आदि के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
योग (क+ख)	216.23	316.35	100.12
(ग) नकद शेषों से निवेश			
भारत सरकार के कोषागार बिल	556.80	759.43	202.63
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	7,650.79	7,150.02	(-) 500.77
(घ) नैमित्तिक शेषों से निवेश का निधिवार ब्यौरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य
(ङ) वसूल किया गया ब्याज	39.59	53.30	13.71

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष अनुरक्षित करना होता है। यदि किसी भी दिन शेष सम्मत न्यूनतम से नीचे जाता है तो यह कमी समय-समय पर साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार की साधारण अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा 01.02.2016 से ₹ 550 करोड़ है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के गिरवी रखने के प्रति विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने के लिए भी सहमती प्रदान करता है।

वित्त लेखे की विवरणी संख्या 2 (अनुबंध-क) व विवरणी संख्या 17 के अनुसार वर्ष 2015-16 के अन्त में अर्थोपाय अग्रिम और अधिविकर्षों में कुछ भी लम्बित नहीं था। वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार 342 दिनों तक ही न्यूनतम दैनिक नकद शेष रख पायी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 23 अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम ₹ 1,670.72 करोड़ लेने पड़े। 2016-17 के दौरान समस्त राशि की अदायगी कर दी गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पता चला कि चालू वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष 2015-16 में ₹ 216.23 करोड़ से ₹ 100.12 करोड़ बढ़कर 2016-17 में ₹ 316.35 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान ब्याज की उगाही ₹ 13.71 करोड़ बढ़ी।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट 1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2017 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2016 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। यद्यपि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है तथापि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

वर्ष 2016-17 में परिसम्पत्तियां गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,859.34 करोड़ (22.78 प्रतिशत) बढ़ीं जबकि दायित्व ₹ 5,939.62 करोड़ (14.20 प्रतिशत) बढ़े। वित्तीय परिसम्पत्तियों/दायित्वों का अनुपात 2015-16 के 72 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 77 प्रतिशत हो गया।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की 2012-13 से 2016-17 तक के पांच वर्षों के बकाया राजकोषीय देयताओं की स्थिति **परिशिष्ट 1.3 व तालिका 1.23** में दर्शाई गई है। विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **चार्ट 1.9** में प्रस्तुत किया गया है।


तालिका 1.23: राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	30,442	33,884	38,192	41,197	47,244 [#]
वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.84	11.31	12.71	7.87	14.68
राजकोषीय देयताओं का अनुपात से (प्रतिशत में)					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद*	0.37	0.36	0.37	0.36	0.38
राजस्व प्राप्तियां	1.95	2.16	2.14	1.76	1.80
अपने संसाधन	5.07	4.91	4.76	4.83	5.40
राजकोषीय दायित्वों की उत्प्लावकता से					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.60	0.75	1.28	0.86	1.53
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	1.08	15.71	0.94	0.25	1.22
अपने संसाधन (अनुपात)	(-) 23.76	0.75	0.79	1.24	5.62

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 पर संशोधित

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2012-13 के ₹ 30,442 करोड़ से ₹ 16,802 करोड़ (55 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 47,244 करोड़ हो गईं। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 32,570 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 19,023 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1,076 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 12,471 करोड़), जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूति पर ₹ 7,150 करोड़) समाविष्ट हैं।



लोक लेखा देयताओं (₹ 14,674 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 11,844 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 2,610 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 220 करोड़) समाविष्ट हैं।

2016-17 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि की दर 14.68 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात अर्न्तवर्षीय भिन्नता दर्शाता है और यह 2015-16 के 36.24 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 37.93 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2016-17 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.80 गुणा व अपने राजस्व संसाधनों का 5.40 गुणा थी। 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर राजकोषीय दायित्वों का उत्प्लावकता अनुपात 1.53 रहा। यह राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर से अधिक होने का सूचक है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेन-देन

31 मार्च 2016 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 219.58 करोड़ (जमा) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 0.95 करोड़ (जमा) थी तथा इस निधि का ब्याजरहित अंश ₹ 218.63 करोड़ (जमा) था।

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप राज्य सरकारों से अपेक्षित था कि वे दो महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों का सृजन करें अर्थात् (i) बकाया दायित्वों के ऋणशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शास्त्रिक एक समेकित ऋणशोधन निधि का सृजन ताकि वे मुक्त बाजार से लिए गए ऋणों की किश्तें चुकता कर सकें तथा (ii) प्रदत्त प्रत्याभूतियों से उत्पन्न आकस्मिक दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रत्याभूति विमोच्य निधि का सृजन। इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

1.9.3.1 समेकित ऋणशोधन निधि

राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में पड़े बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान करे तथापि राज्य सरकार ने कोई भी समेकित ऋणशोधन निधि सृजित नहीं की है। 31 मार्च 2016 को हिमाचल प्रदेश सरकार के बकाया दायित्व ₹ 41,197 करोड़ थे। यदि समेकित ऋणशोधन निधि होती तो राज्य सरकार की वर्ष 2016-17 में इस निधि में देयता ₹ 205.99 करोड़ (विगत वर्ष में बकाया दायित्वों का 0.5 प्रतिशत) हुई होती। अतः राजस्व व राजकोषीय घाटा उस सीमा तक न्यूनोक्त रहा।

1.9.3.2 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

सरकार से अपेक्षित था कि वह गत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों के 0.5 प्रतिशत की न्यूनतम दर से इस निधि में वार्षिक अंशदान से इस निधि का गठन करे तथापि राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी कोई निधि गठित नहीं की है। परिणामतः 31 मार्च 2017 को ₹ 18.57 करोड़ का राजस्व व राजकोषीय घाटा न्यूनोक्त रहा।

1.9.4 आकस्मिक देयताएं

1.9.4.1 गारंटियों की प्रास्थिति

यदि ऋणी जिसकी राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दी गई है, कोई चूक करता है तो वे गारंटियाँ⁷ आकस्मिक देयतायें हैं।

वित्त लेखे के विवरणी-20 के अनुसार विगत पाँच वर्षों की बकाया गारंटियां तालिका-1.24 में दी गई हैं।

तालिका 1.24: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
गारंटियों की बकाया राशि (₹ करोड़ में)	3,353	4,333	4,281	3,714	4,550
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटियों की बकाया राशि की प्रतिशतता	23	28	27	21	19

चालू वर्ष के दौरान गारंटियों की बकाया ₹ 4,550 करोड़ की राशि विद्युत क्षेत्र (₹ 3,760 करोड़), तीन सांविधिक बोर्डों/निगमों (₹ 430 करोड़), सात सरकारी कम्पनियों (₹ 51 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 280 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹ 24 करोड़) और एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) से सम्बंधित है। चालू वर्ष के दौरान गारंटी जारी नहीं की गई थी।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण रूपरेखा

तालिका 1.25: ऋण की वृद्धि दर व परिपक्वता रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	ब्यौरे	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	आन्तरिक ऋण	19,747 (95)	22,099 (96)	24,658 (96)	26,861(96)	31,494(97)
	(i) बाजार ऋण	11,809 (57)	13,565 (59)	15,196 (59)	16,860(60)	19,023(59)
	(ii) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	शून्य	285 (1)	285 (1)	शून्य	शून्य
	(iii) अधिविकर्ष	शून्य	171 (1)	249 (1)	शून्य	शून्य
	(iv) वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2,589 (12)	2,306 (10)	2,252 (9)	2,350(8)	5,321(16)
	(v) एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां	5,349 (26)	5,772 (25)	6,676 (26)	7,651(28)	7,150(22)
2.	भारत सरकार से ऋण	1,018 (5)	1,012 (4)	1,071 (4)	1,049(4)	1,076(3)
कुल लोक ऋण:		20,765	23,111	25,729	27,910	32,570
राज्य ऋण की परिपक्वता रूप-रेखा (वर्षों में)						
	0 - 1	1,533(8)	1,923(8)	2,046 (8)	2,268(8)	3,096(9)
	1 - 3	2,946(14)	3,514(15)	4,837(19)	6,236(22)	5,729(18)
	3 - 5	4,349(21)	5,470(24)	4,929(19)	4,331(16)	4,279(13)
	5 - 7	4,380(21)	3,162(14)	3,192(12)	4,339(16)	4,952(15)
	7 या उससे ऊपर	7,557(36)	9,042(39)	10,725(42)	10,736(38)	14,514(45)

कोष्ठकों के आंकड़े कुल लोक ऋण की प्रतिशतता इंगित करते हैं।

⁷ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

कुल लोक ऋण 2012-13 के ₹ 20,765 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹ 32,570 करोड़ हो गया जिसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर 10.85 प्रतिशत दर्ज की गयी। कुल लोक ऋण में बाजार से उधारों का अंश 2012-13 के 57 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 60 प्रतिशत तथा 2016-17 में 59 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष (2016-17) के दौरान कुल लोक ऋण गत वर्ष से 17 प्रतिशत बढ़ गया।

राज्य ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (तालिका 1.25) इंगित करती है कि 9 प्रतिशत (₹ 3,096 करोड़) लोक ऋण आगामी वर्ष में चुकता करने योग्य है। इक्कीस प्रतिशत (₹ 10,008 करोड़) आगामी 1-5 वर्षों में चुकता किए जाने हैं जबकि शेष 60 प्रतिशत (₹ 19,466 करोड़) पांच वर्षोंपर अवधि में चुकता करने पड़ेंगे जो उस अवधि के सरकारी बजट पर बोझ डालेंगे। यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा 7 वर्षों के भीतर 55 प्रतिशत ऋण का भुगतान किया जाना अपेक्षित है जो कि एक आरामदायक स्थिति नहीं है।

विगत पाँच वर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण को दर्शाने वाला विश्लेषण तालिका 1.26 में दिया गया है।

तालिका 1.26: प्रति व्यक्ति ऋण

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6962	0.7023	0.7084	0.7147	0.7219
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	30,442	33,884	38,192	41,197	47,244*
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	43,726	48,247	53,913	57,642	65,444*

स्रोत: वित्त लेखे व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

उपर्युक्त तालिका प्रति व्यक्ति ऋण 2012-13 में ₹ 43,726 से 2016-17 में ₹ 65,444 की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है (पाँच वर्षीय अवधि में 50 प्रतिशत वृद्धि)। गत वर्ष की तुलना में 2016-17 में इसमें ₹ 7,802 (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यद्यपि, राज्य की प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2016-17 के लिए उदय स्कीम को मिलाकर ₹ 65,444 है, बिना उदय स्कीम के यह ₹ 61,439 होगा।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता⁸ को निश्चित करते हैं। वर्ष 2012-13 से आरम्भ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि हेतु राज्य की ऋण धारणीयता सूचकों की भिन्नताओं का विश्लेषण तालिका 1.27 में दिया गया है।

तालिका 1.27: ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवाह

ऋण धारणीयता के सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बकाया लोक ऋण (₹ करोड़ में)	20,765	23,111	25,729	27,910	32,570
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6.43	11.30	11.33	8.48	16.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	11.77	11.31	11.67	11.76	11.11
ब्याज की राजस्व प्राप्ति के साथ प्रतिशतता	15.19	15.79	15.97	13.46	12.79
ऋण चुकौती की ऋण प्राप्ति के साथ प्रतिशतता	62.80	42.06	75.94	64.42	45.83
राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण ** (₹ करोड़ में)	(-) 456	544	588	(-) 63	2,201

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के राज्य वित्त लेखे

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित

** राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की गई।

⁸ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

उपर्युक्त तालिका 1.27 से प्रकट होता है कि

- बकाया ऋण की वृद्धि दर 2012-17 के दौरान अन्तः वर्षीय भिन्नता दर्शाती है। 2016-17 के दौरान बकाया ऋण की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 8.22 प्रतिशत अंक बढ़ गई जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान 0.48 प्रतिशत बढ़ा।
- 2012-17 वर्षों के दौरान बकाया ऋण की औसत ब्याज दर लगभग स्थिर रही तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 11.11 प्रतिशत रही।
- 2012-16 वर्षों के दौरान राज्य की लगभग 13-16 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों, ब्याज-भुगतानों के लिए प्रयुक्त की गईं। वर्ष 2016-17 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 12.79 प्रतिशत रहा।
- 2012-17 वर्षों के दौरान ऋण प्राप्तियों के 42.06 से 75.94 प्रतिशत उनकी चुकौतियों के लिए प्रयुक्त किए गए।
- यद्यपि वर्ष 2016-17 में राज्य की उपलब्ध शुद्ध निधियाँ उदय स्कीम के साथ धनात्मक ₹ 2,201 करोड़ थी परन्तु यदि उदय स्कीम को सम्मिलित नहीं किया जाता तो ये ऋणात्मक ₹ 690 करोड़ होती। ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज) के पश्चात् शुद्ध निधि की धनात्मक उपलब्धता लाभकारी/पूँजीगत खर्चे हेतु सक्षमता को दर्शाती है। इसके विपरीत निधि की ऋणात्मक उपलब्धता राज्य के ऋण चुकता अथवा पूँजीगत व्यय करने की असक्षमता को दर्शाती है।

1.10.3.1 एच.पी.एफ.आर.बी.एम.ऐक्ट के उपबन्धों का उल्लंघन

एच.पी.एफ.आर.बी.एम.ऐक्ट, 2005 में नियत है कि उधार स्वधारणीय विकास क्रियाकलापों या पूँजीगत परिसम्पत्तियों के संवर्धन पर प्रयुक्त किए जाने हैं और उन्हें चालू व्यय के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाना है। सरकार ने प्रत्येक ऋण पर यह लक्ष्य अधिसूचित किया कि ऋण की राशि विकास स्कीमों जैसे विद्युत, कृषि, सिंचाई, परिवहन, उद्योग आदि के वित्त पोषणार्थ प्रयुक्त की जाएगी जोकि विशेष रूप से राज्य के कमजोर वर्गों व पिछड़े क्षेत्रों के हित में है और जिसका लोगों की आजीविका व सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर प्रमुख दीर्घकालिक प्रभाव होगा। सरकार ने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए उपर्युक्त लक्ष्य से जो उधार बाजार से जुटाए उनकी वर्षबद्ध स्थिति तालिका 1.28 में दर्शाई गई है:

तालिका-1.28: वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सरकार द्वारा जुटाए गए बाजार ऋणों व अदायगी के व्यौरे (₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण की राशि				
	जुटाए गए	अदायगी के प्रयोजन हेतु		व्यय के प्रयोजन हेतु	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2012-13	2,359	698	30	1,661	70
2013-14	2,367	611	26	1,756	74
2014-15	2,345	714	30	1,631	70
2015-16	2,450	786	32	1,664	68
2016-17	3,400	1,237	36	2,163	64

स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के वित्त लेखे

मार्च 2015 एवं 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विगत दायित्वों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा नवीन बाजार उधारों के उपयोग का उल्लेख किया गया था। इसके बावजूद भी 2016-17 के दौरान सरकार ने परिपक्व बाजार ऋणों की अदायगी हेतु 36 प्रतिशत नवीन उधारों का उपयोग किया। इस प्रकार नवीन ऋणों का भुगतान इन ऋणों के लक्ष्यों को विफल करने के अलावा एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट के उपबन्धों के विपरीत था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह प्रवर्ग इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करती है।



1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

2012-17 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों (राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक) की प्रवृत्तियां को तालिका 1.29 व चार्ट 1.10 एवं 1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.29: घाटों की प्रवृत्तियां

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
घाटे					
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948*
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411
राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (प्रतिशत)					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.70	(-) 1.73	(-) 1.87	1.00	0.74
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 3.62	(-) 4.23	(-) 4.03	(-) 1.90	(-) 2.37
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 0.74	(-) 1.61	(-) 1.30	0.87	0.33

* उदय स्कीम के अंतर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये, राज्य ऊर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) से सम्बन्धित ऋण को वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के राजकोषीय घाटे की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना है। यद्यपि उदय स्कीम को सम्मिलित न किये बिना वर्ष 2016-17 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 2,948 करोड़ है जबकि उदय स्कीम को सम्मिलित करने पर राजकोषीय घाटा ₹ 5,839 करोड़ होता।



एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट/तेरहवें वित्त आयोग के अनुसार राजस्व घाटा 2011-12 में कम करके शून्य पर लाना तथा तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बरकरार रखा जाना अपेक्षित था। तथापि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में राजस्व घाटे को कम करके शून्य पर लाने के लक्ष्य को लब्ध कर लिया गया था। 2015-16 में अच्छे प्रदर्शन के बाद 2016-17 के दौरान घाटे के सभी तीनों सूचक ह्रास की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष ₹ 1,137 करोड़ से घटकर ₹ 920 करोड़ हो गया। यह भी देखा गया कि यद्यपि इस वर्ष केन्द्रीय अन्तरण में वृद्धि हुई फिर भी राजस्व अधिशेष घटा।

राजकोषीय घाटा जो सरकार के कुल उधारों तथा कुल संसाधन अन्तराल को दर्शाता है वर्ष 2012-13 के ₹ 2,979 करोड़ से सीधे बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 4,200 करोड़ हो गया तथा तत्पश्चात् वर्ष 2015-16 में घटकर ₹ 2,165 करोड़ रह गया। राजकोषीय घाटा विगत वर्ष से ₹ 783 करोड़ से बढ़कर 2016-17 के दौरान ₹ 2,948 करोड़ दर्ज किया गया। चालू वर्ष के दौरान यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत था जो कि एफ0आर0बी0एम0 ऐक्ट में निर्धारित लक्ष्य (3.17 प्रतिशत) व चौदहवें वित्त आयोग के प्रक्षेप (तीन प्रतिशत) के अन्तर्गत था।

वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) तथा 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) की अवधि का प्राथमिक घाटा वर्ष 2015-16 (₹ 990 करोड़) तथा 2016-17 में (₹ 411 करोड़) प्राथमिक अधिशेष में बदल गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: राजकोषीय घाटे के संघटक तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजकोषीय घाटे के संघटक					
1 राजस्व घाटा/अधिशेष	(-) 576 ((-) 0.70)	(-) 1,641 ((-) 1.73)	(-) 1,944 ((-) 1.87)	1,137 (1.00)	920 (0.74)
2 शुद्ध पूंजीगत व्यय	1,955(2.38)	1,856(1.96)	1,823(1.75)	2,864(2.52)	3,499(2.81)
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	448(0.54)	514(0.54)	433(0.42)	437(0.38)	3,260(2.62)
4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा *					
1 बाजार उधार	1,662	1,757	1,631	1,664	2,163
2 भारत सरकार से ऋण	71	(-) 6	59	(-) 22	27
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	286	424	904	975	(-) 500
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 764	173	24	(-) 436	80 [#]
5 लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,112	887	1,185	718	1,205
6 निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 156	207	504	115	181
7 उच्च एवं विविध	756	267	28	(-) 590	(-) 274
8 प्रेषण	(-) 174	(-) 23	12	148	(-) 35
9 अन्य	186	325	(-) 147	(-) 407	101
10 समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]

कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं। *ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।

स्रोत: वित्त लेखे # उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

तालिका 1.30 दर्शाती है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 783 करोड़ बढ़ गया। ₹ 2,948 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार के उधारों

(₹ 2,163 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1,205 करोड़) तथा निक्षेप एवं अग्रिम (₹ 181 करोड़) के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध पूंजीगत व्यय 2012-13 के 2.38 से घटकर वर्ष 2014-15 में 1.75 प्रतिशत रह गया। तथापि वर्ष 2015-16 में 2.52 प्रतिशत था और उसके बाद 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.81 प्रतिशत हो गया।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा था तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पृष्ठ पोषण नहीं है। प्राथमिक घाटे का द्विभाजन वह सीमा इंगित करता है जिस पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटा था जो कि राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के सुधारार्थ वांछनीय है। 2012-15 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 से 0.46 तक था। 2015-16 व 2016-17 के दौरान राज्य ने ₹ 1,137 करोड़ व ₹ 920 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुभूत किया (परिशिष्ट 1.3)।

2012-17 की अवधि के दौरान सरकार के प्राथमिक घाटे या अधिशेष में परिणत घटकों का द्विभाजन तालिका 1.31 में इंगित है।

तालिका 1.31: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणतर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2012-13	15,619	13,804	1,955	469	16,228	1,815	(-) 609
2013-14	15,728	14,871	1,856	531	17,258	857	(-) 1,530
2014-15	18,534	16,938	2,473	474	19,885	1,596	(-) 1,351
2015-16	23,466	19,149	2,864	463	22,476	4,317	990
2016-17	26,294	21,985	3,499	399 [#]	25,883	4,309	411 [#]

उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ छोड़कर

इस तालिका से अवलोकित हुआ कि ऋणतर प्राप्तियां वर्ष 2012-13 के ₹ 15,619 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 26,294 करोड़ हो गयी जो कि राजस्व लेखे में प्राथमिक व्यय की आवश्यकता पूर्ति हेतु बिल्कुल पर्याप्त थीं लेकिन वे पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत व्यय की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 (₹ 609 करोड़), 2013-14 (₹ 1,530 करोड़) व 2014-15 (₹ 1,351 करोड़) के दौरान प्राथमिक घाटा हुआ। विगत वर्षों के दौरान प्राथमिक घाटा दर्शाने के बाद, राज्य में 2015-16 व 2016-17 में प्राथमिक अधिशेष क्रमशः ₹ 990 करोड़ व ₹ 441 करोड़ देखा गया।

1.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से अनुगामी वर्षों का प्रतिवेदन तैयार करके राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी है।

1.13 निष्कर्ष

राज्य राजस्व घाटे को कम करके शून्य पर लाने के लक्ष्य को बरकरार नहीं रख सका और 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान समस्त तीनों सूचकों अर्थात् राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा व प्राथमिक घाटा में भारी घाटे की अनुभूति हुई।

तथापि, 2015-16 व 2016-17 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष क्रमशः ₹ 1,137 करोड़ व ₹ 920 करोड़ रहा। विगत वर्ष की तुलना में 2016-17 के दौरान राजस्व अधिशेष, राजस्व व्यय ₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत) के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,824 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थोड़ा कम रहा।

राजकोषीय घाटा 2015-16 के ₹ 2,165 करोड़ से ₹ 783 करोड़ बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 2,948 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.37 प्रतिशत था जो कि एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित लक्ष्य (3.17 प्रतिशत) व चौदहवें वित्त आयोग के प्रेक्षकों (तीन प्रतिशत) के अन्तर्गत था। 2015-16 व 2016-17 में प्राथमिक अधिशेष क्रमशः ₹ 990 करोड़ व ₹ 411 करोड़ था।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 26,264 करोड़) गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,824 करोड़ (12 प्रतिशत) बढ़ गईं। केवल 33 प्रतिशत प्राप्तियाँ ही कर व कर-भिन्न राजस्व से युक्त राज्य के अपने संसाधनों से आईं जबकि अधिकांश राजस्व प्राप्तियाँ (67 प्रतिशत) केन्द्रीय अन्तरणों (अर्थात् सहायता अनुदान (50 प्रतिशत) व केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (17 प्रतिशत)) से प्राप्त हुईं।

वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय (₹ 32,133 करोड़) गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,503 करोड़ (25 प्रतिशत) बढ़ गया। राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 के ₹ 22,303 करोड़ से ₹ 3,041 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 25,344 करोड़ हो गया लेकिन 2015-16 में कुल व्यय में इसका अंश (87 प्रतिशत) से घटकर 2016-17 में 79 प्रतिशत हो गया। योजनागत राजस्व व्यय (₹ 4,520 करोड़) गत वर्ष (₹ 3,493 करोड़) की तुलना में ₹ 1,027 करोड़ (29 प्रतिशत) बढ़ गया और विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय का 13 से 18 प्रतिशत रहा। तथापि आयोगनेत्तर राजस्व व्यय 2012-17 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय का 82-87 प्रतिशत रहा। वेतन, ब्याज भुगतानों, पेंशन व उपदानों पर हुए व्यय ने 2012-17 वर्षों की अवधि में निरन्तर वृद्धि देखी गयी और यह वर्ष 2012-13 के ₹ 12,939 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016-17 में ₹ 17,919 करोड़ हो गया जो कि राजस्व व्यय का औसतन 76 प्रतिशत था। कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का अंश 2015-16 के 11.2 प्रतिशत से वर्ष 2016-17 में 10.9 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय पर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2015-16 के 63.53 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 58.81 प्रतिशत हो गयी।

आयोगनेत्तर व्यय का प्रमुख हिस्सा वेतन, ब्याज अदायगी तथा पेंशन में रहता है। वेतन एवं पेंशन दोनों मिलकर राजस्व व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक प्रयोग में लाते हैं। ये बड़े पैमाने पर अपरिहार्य हैं। राज्य सरकार आयोगनेत्तर राजस्व व्यय के संघटकों को नियंत्रित करने हेतु उचित उपाय करें ताकि राज्य परिसम्पत्ति निर्माण एवं निरन्तर विकास हेतु राजस्व अधिशेष बनाया रखा जा सके।

केन्द्र सरकार के निर्णय कि वर्ष 2014-15 से निधियां राज्य के बजट के माध्यम से हस्तांतरित की जाए के बावजूद भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 457.18 करोड़ की निधियां राज्य कार्यकारी अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित की गईं। राज्य में कोई भी अभिकरण ऐसा नहीं है जो इन निधियों से किए गए व्यय का अनुश्रवण करें तथा किसी भी तरह का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो बता सके की इन कार्यकारी अभिकरणों द्वारा वर्ष विशेष में वास्तव में कितना धन खर्च किया गया।

वर्ष 2016-17 के अन्त में कुल ₹ 182.62 करोड़ की निधियाँ 12 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध थीं। चालू वर्ष के अन्त में गत वर्ष की तुलना से 15 प्रतिशत की वृद्धि से ₹ 47,244 करोड़ के (उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित) राजकोषीय दायित्व थे जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38 व राजस्व प्राप्तियों के 180 प्रतिशत थे। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों के अन्तिम शेष का हिस्सा 2012-13 के 57 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 59 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान 36 प्रतिशत उधार पुराने ऋणों को चुकाने में खपे जिससे इन ऋणों के लक्ष्य ही विफल हो गए।

1.14 सिफारिशें

- (i) राज्य सरकार द्वारा कर व कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधारार्थ तथा राजस्व व्यय को नियन्त्रणार्थ प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।
- (ii) निधियाँ जो कोषालयों के माध्यम से न गयी हो, की समुचित लेखाबद्धता के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए व इनकी प्रभावी प्रयुक्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वैधीकृत अद्यतन सूचना होनी चाहिए।
- (iii) राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई की दृष्टि से अपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित पूर्णता हेतु मार्ग दर्शिकाएँ बनानी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई के साथ-साथ समय एवं लागत वृद्धि के कारणों का सख्ती से अनुश्रवण करना चाहिए।

अध्याय-II
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखा वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखा के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वास्तविक रूप से विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बंधित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: 2016-17 के मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय का स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-) / आधिव्यय ⁹ (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित बचतों का प्रतिशत (कॉलम 7/ कॉलम 6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
दत्तमत	I राजस्व	25,385.73	1,502.78	26,888.51	24,512.27	(-) 2,376.24	3,047.89	128
	II पूंजी	3,240.85	580.78	3,821.63	3,509.95	(-) 311.68	418.14	135
	III ऋण एवं अग्रिम	428.19	114.25	542.44	3,289.69*	2,747.25	142.63	लागू नहीं
कुल दत्तमत		29,054.77	2,197.81	31,252.58	31,311.91	59.33	3,608.66	
प्रभारित	IV राजस्व	3,455.44	4.49	3,459.93	3,410.75	(-) 49.18	84.30	171
	V पूंजी	शून्य	73.85	73.85	42.06	(-) 31.79	-	लागू नहीं
	V लोक ऋण-चुकोती	2,228.52	1,660.39	3,888.91	3,942.84	53.93	2.00	लागू नहीं
कुल प्रभारित		5,683.96	1,738.73	7,422.69	7,395.65	(-) 27.04	86.30	लागू नहीं
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग		34,738.73	3,936.54	38,675.27	38,707.56	32.29	3,694.96	-

स्रोत: विनियोजन लेखे

* उदय स्कीम के आधार पर ₹2,890.50 करोड़ सम्मिलित है।

वर्ष 2016-17 के दौरान मूल बजट प्रावधान ₹ 34,738.73 करोड़ था इसमें ₹ 3,936.54 करोड़ का अनुपूरक अनुदान किया गया जिससे कुल बजट प्रावधान ₹ 38,675.27 करोड़ हो गया। कुल बजट

⁹ निधियों के उपयोग में कमी

प्रावधान के विरुद्ध ₹ 38,707.56 करोड़ प्रयुक्त किये गये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.29 करोड़ का आधिक्य हुआ।

2016-17 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 32.29 करोड़ का समग्र व्यय आधिक्य राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत दो अनुदानों एवं दो विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत एक विनियोजन में ₹ 3,037.61 करोड़ (इसमें उदय स्कीम से संबंधित ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है) (संदर्भ: विनियोजन लेखा का सारांश) के आधिक्य तथा राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 30 अनुदानों एवं छः विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 22 अनुदानों एवं एक विनियोजन में ₹ 3,005.32 करोड़ (संदर्भ: विनियोजन लेखा के सारांश) की बचतों के परिणामस्वरूप था। इस अवधि के दौरान ₹ 3,694.96 करोड़ की बचतें अभ्यर्पित की गई थी।

अनुदान जिनके प्रति वर्ष के दौरान ₹ 25 करोड़ से अधिक महत्वपूर्ण बचतें पाई गई थीं उनमें भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन, पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन, कृषि, पशुपालन, योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना, वन एवं वन्य जीवन, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, विद्युत विकास, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण, शहरी विकास, वित्त, जनजातीय विकास एवं अनुसूचित जाति उप-योजना (राजस्व दत्तमत्त), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, जनजातीय विकास एवं अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत दत्तमत्त)। इसी प्रकार, अनुदान/विनियोजन जिनके प्रति वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटनों की तुलना में महत्वपूर्ण व्यय आधिक्य पाया गया उनमें सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व दत्तमत्त), विद्युत विकास एवं लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन (पूंजीगत दत्तमत्त) और वित्त (पूंजीगत प्रभारित) थे।

महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा नियन्त्रक कार्यालयों को मासिक व्यय प्रतिवेदनों के माध्यम से नियमित रूप से बचतें एवं आधिक्य सूचित किए गए थे। उन्होंने मई एवं जून में आरंभिक एवं अंतिम लेखा के निपटान के लिए अथवा नियंत्रक कार्यालयों से भिन्नताओं हेतु कारणों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध करने सम्बन्धित मामला उठाया था लेकिन कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2017)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 व्यय आधिक्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अनुसार इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुरूप विधि द्वारा निर्मित विनियोजन को छोड़कर राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबन्धों के बावजूद बजट प्रावधान की तुलना में व्यय आधिक्य 2015-16 के ₹ 2,848.43 करोड़ से ₹ 1,89.18 करोड़ (6.64 प्रतिशत) बढ़कर 2016-17 में ₹ 3,037.61 करोड़ हो गया (इसमें उदय स्कीम से संबंधित ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है)। जो दर्शाता है कि बजट आकलनों की समीक्षा ठीक प्रकार से नहीं की गयी थी। विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के ब्यौरे जहां चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में कुल व्यय (₹ 10,803.41 करोड़) अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 3,037.22 करोड़ तक अधिक हुआ, परिशिष्ट 2.1 में दिये गए हैं।

अधिक व्यय से बचने हेतु दोषी विभागों के विरुद्ध सुदृढ़ उपाय करने की आवश्यकता है। अधिक व्यय की अपरिहार्यता का कोई ठोस कारण नहीं है जबकि सरकार को वर्ष में विधानमण्डल के तीन सत्रों के दौरान अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करने के अवसर प्राप्त होते हैं। बजटीय अनुदान की अधिकता खराब योजना, दूरदर्शिता के अभाव तथा बजट आकलनों के साथ-साथ अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों पर असक्षम अनुश्रवण का परिणाम थी।

2.3.1.1 प्रावधानों की तुलना में आधिक्य जो नियमन हेतु अपेक्षित है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए अनुदान/विनियोजन की तुलना में आधिक्य को राज्य विधायिका से नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखों पर परिचर्चा पूर्ण किए जाने के उपरांत व्यय आधिक्य का नियमन किया जाता है। तथापि, 2011-12 से 2015-16 तक के वर्षों का ₹ 6,364.57 करोड़ (परिशिष्ट 2.2) का व्यय आधिक्य सितम्बर 2017 तक नियमित किया जाना शेष था। वर्ष 2016-17 के दौरान पांच अनुदानों तथा तीन विनियोजनों में हुए ₹ 3,037.61 करोड़ (परिशिष्ट 2.3) के व्यय आधिक्य को भी नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

2.3.1.2 निरंतर व्यय आधिक्य

2010-11 से 2016-17 की अवधि के विनियोजन लेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2010-11 (₹ 586.72 करोड़), 2011-12 (₹ 350.71 करोड़), 2012-13 (₹ 285.21 करोड़), 2013-14 (₹ 255.33 करोड़), 2014-15 (₹ 474.07 करोड़), 2015-16 (₹ 184.97 करोड़) तथा 2016-17 (₹ 188.29 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के अन्तर्गत राजस्व-दत्तमत्त में निरन्तर व्यय आधिक्य था।

निरन्तर व्यय आधिक्य ने इंगित किया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं है क्योंकि वर्ष के लिए निधियां आवंटित करते समय गत वर्षों की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया।

2.3.1.3 प्रावधानरहित व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, यह देखा गया कि 10 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में कोई प्रावधान किए बिना तथा इस आशय के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के बिना ₹ 37.16 करोड़ का व्यय किया गया जिसका परिशिष्ट 2.4 में ब्यौरा दिया गया है।

कुल 10 मामलों में से चार मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) ऐसे थे जहां प्रावधान के बिना किया गया व्यय ₹ 35.39 करोड़ तक बढ़ गया था। अतः विनियोजन से आधिक्य अथवा विनियोजनों/राज्य विधानमण्डल की स्वीकृति के बिना किया गया व्यय अनियमित है और बजट नियन्त्रण तन्त्र में चूक का द्योतक है।

2.3.1.4 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान के परिणामस्वरूप बचत/आधिक्य व्यय

अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन, मूल प्राधिकृत अनुदान अथवा विनियोजन में बढ़ौतरी है। बजट नियमावली के परिच्छेद 170 में विनिर्दिष्ट है कि अनुपूरक विनियोजनों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में कड़ी मेहनत सम्मिलित रहती है।

- 10 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 119.70 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से भी कम रहा था (परिशिष्ट 2.5)।
- चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में ₹ 1,993.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए और कुल ₹ 3,037.22 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट 2.6)। इस आधिक्य में से ₹ 2,687.01 करोड़ (88 प्रतिशत) विद्युत विभाग द्वारा उदय स्कीम के आधार पर अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत व्यय किए गए थे।

इससे इंगित हुआ कि प्रशासनिक विभाग मासिक व्यय नियंत्रण तन्त्र के माध्यम से व्यय की खराब निगरानी के कारण वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का यथार्थ निर्धारण/आकलन नहीं कर सके थे।

2.3.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 27 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में बचतें/आधिक्य हुआ (परिशिष्ट 2.7)। इनमें से, नौ उप-शीर्षों में (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) आधिक्य/बचतें हुईं।

2.3.3 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार व्यय के तीव्र प्रवाह से विशेषकर वित्तीय वर्ष के समापन मास में बचना चाहिए।

इसके विपरीत वर्ष के दौरान 39 उप-शीर्षों में ₹ 1,096.09 करोड़ का व्यय, जो प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक था और वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा अधिक था, मार्च 2017 के महीने में किया गया था (परिशिष्ट 2.8)। मुख्य शीर्षों, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ या 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, का ब्यौरा तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत/प्रभारित)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2017 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	52.08	28.22	54	28.05	54
2.	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	27.62	15.05	54	14.65	53
3.	4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	241.38	189.47	78	189.47	78
4.	2216-आवास	15.60	12.49	80	10.26	66
5.	4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	58.08	34.03	59	29.73	51
6.	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	35.23	30.35	86	27.84	79
7.	4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	27.99	20.00	71	15.35	55
8.	2216-आवास	25.00	22.63	91	12.50	50
9.	4202- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	13.42	10.91	81	10.37	77
योग		496.40	363.15		338.22	

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी।

2.3.4 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 42 मामलों में से 11 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ व अधिक अथवा कुल प्रावधान से 20 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गईं (परिशिष्ट 2.9)। कुल ₹ 3,005.32 करोड़ की बचतों में से ₹ 2,113.53 करोड़ (70 प्रतिशत) की अत्यधिक बचत सात अनुदानों से सम्बन्धित थी जिसमें प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक अंतर्ग्रस्त थे, जैसा कि तालिका 2.3 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.3: ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	स्कीमों जहां बहुत अधिक बचतें हुईं
राजस्व दत्तमत्त					
1.	08-शिक्षा	5,262.91	4,397.95	864.96(16)	सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सहायता अनुदान: 151.19; मिडिल विद्यालय: 471.80
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,618.40	1,322.50	295.90(18)	अस्पताल एवं चिकित्सालय (ग्रामीण): 69-33; अस्पताल एवं चिकित्सालय (शहरी): 58.91; जिला स्थापना: 24.92; आयुर्वेदिक अस्पताल/चिकित्सालय: 27.97
3.	20-ग्रामीण विकास	1,218.40	1,096.79	121.61(10)	मनरेगा: 70.88; एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम: 40.56
4.	23-विद्युत विकास	967.00	820.65	146.35(15)	टैरिफ रोल के आधार पर सब्सिडी: 145.00
5.	31-जनजातीय विकास	1,033.37	855.52	177.85(17)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम: 48.60; सर्व शिक्षा अभियान: 25.28; राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन: 10.79; एकीकृत बाल विकास स्कीम: 13.05; एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम: 8.33
6.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	1,126.06	804.92	321.14(29)	मिडिल विद्यालय: 12.30; सर्व शिक्षा अभियान: 61.42; राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान: 15.11; राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 26.76; एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम: 18.00; नरेगा: 139.32; कुल स्वच्छता कार्यक्रम: 22.67
पूंजीगत दत्तमत्त					
7.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	583.45	397.73	185.72(32)	ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम का अनुरक्षण एवं सुधार: 121.42; राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: 16.79
योग		11,809.59	9,696.06	2,113.53	

स्रोत: विनियोजन लेखे

कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

अनुदानों में इस प्रकार की बड़ी बचतें दर्शाती हैं कि सरकार द्वारा प्राप्तियों/राजस्वों का यथार्थ अनुमान लगाए बिना ही बजट प्रावधान आधिक्य में किये गये। राज्य सरकार द्वारा अधिक मात्रा में बचतों (उपयोग में कमी) के कारण नहीं बताए गए थे (सितम्बर 2017)।

2.3.4.1 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों के दौरान सात मामलों में निरंतर बचतें थी (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक), जैसा कि तालिका 2.4 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.4: 2012-17 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व दत्तमत्त						
1.	03-न्याय प्रशासन	14.78	16.71	4.52	12.53	9.82
2.	08-शिक्षा	119.99	342.46	385.37	1,076.22	864.96
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	6.89	13.44	11.61	31.40	28.40
4.	20-ग्रामीण विकास	72.69	60.04	109.86	208.74	121.61
पूंजीगत-दत्तमत्त						
5.	29-वित्त	5.07	4.52	5.49	5.20	1.51
6.	31-जनजातीय विकास	8.54	45.42	7.17	17.38	177.85
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	61.22	83.63	9.27	108.71	321.14

स्रोत: विनियोजन लेखे

निरंतर बचतें दर्शाती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं था तथा चालू वर्ष के लिए निधियां आवंटित करते समय विगत वर्षों की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

2.3.4.2 अधिक मात्रा में अभ्यर्पण

संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता, भारत सरकार द्वारा राज्य के अंशदान के बराबर निधियां निर्गत न करने, भवनों के निर्माण पर कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने, स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन इत्यादि के कारणों से 138 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.10) के सम्बंध में अधिक मात्रा में अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत अथवा अधिक अभ्यर्पित किया गया) किये गये थे। ₹ 1,443.50 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 1,124.30 करोड़ (78 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये थे जिसमें 62 स्कीमों (₹ 379.63 करोड़) (परिशिष्ट 2.11) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण किया गया था। 62 स्कीमों में से बहुत अधिक अभ्यर्पण मुख्यतः अनुदान संख्या 09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत 'राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 14.99 करोड़)', अनुदान संख्या 31-जनजातीय विकास के अंतर्गत 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) (₹ 48.60 करोड़)', अनुदान संख्या 15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम (₹ 18.07 करोड़)', अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास के अंतर्गत 'हिमाचल प्रदेश संचारण निगम सीमित को इक्विटी अंशदान (₹ 20.49 करोड़)', अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत 'ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में एल.आई.एस. (₹ 17 करोड़) तथा विभिन्न जिलों में एफ.आई.एस. का अपवर्तन (₹ 12.60 करोड़)' तथा अनुदान संख्या 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत 'ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई स्कीम (₹ 44.42 करोड़) तथा (₹ 29.62 करोड़)' जिला शिमला में पब्लर नदी का नहरीकरण (₹ 15.19 करोड़)।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2017 तक 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) में ₹ 2,863 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (परिशिष्ट 2.12)। मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप जरूरतमंद क्षेत्रों में अन्य विकासशील उद्देश्यों के लिए निधियों की प्रयुक्ति नहीं हुई।

2.3.4.3 प्रत्याशित बचतें अभ्यर्पित न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जैसी एवं जब प्रत्याशित हो, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, निम्नलिखित अनुदानों में यह पाया गया कि ₹ 476.65 करोड़ की कुल बचतों में से ₹ 45.32 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये गये थे जैसाकि तालिका 2.5 में वर्णित है।

तालिका 2.5: अभ्यर्पित नहीं किए गए ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	20-ग्रामीण विकास	121.61	121.38	0.23
2.	30-विविध सामान्य सेवाएं	13.00	8.00	5.00
पूँजीगत-दत्तमत्त				
3.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2.84	0	2.84
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	185.72	185.58	0.14
5.	29- वित्त	1.51	0.01	1.50
6.	31- जनजातीय विकास	20.88	20.64	0.24
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	99.31	73.13	26.18
पूँजीगत-भारित				
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन	31.78	0	31.78
	योग	476.65	408.74	67.91

जैसाकि तालिका 2.5 से स्पष्ट है, बचतों की बड़ी राशि के बावजूद मुख्यतः अनुदान संख्या 32-अनुसूचित जाति उप-योजना: ₹ 26.18 करोड़ (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्पण नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन (पूँजीगत-भारित) और 05-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन (पूँजीगत-दत्तमत्त) के अन्तर्गत पर्याप्त बचतों के बावजूद कोई अभ्यर्पण नहीं किये गये थे।

2.4 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखे (पी.डी.ए.) समेकित निधि को डेबिट द्वारा सृजित किये जाते हैं और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों में शेष को माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि 15 जिला कोषागारों में 113 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे। तथापि, 2016-17 के दौरान कोई व्यक्तिगत निक्षेप लेखा न तो खोला गया और न ही बंद किया गया। 31 मार्च 2017 तक (परिशिष्ट 2.13) इन 113 लेखों में ₹ 325.28 करोड़ शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 325.18 करोड़ के शेष से युक्त 76 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- ₹ 0.10 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा 2010-11 से परिचालन में नहीं था।
- 36 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में शून्य शेष था।

वित्तीय वर्ष के अन्त के बाद व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में निधियां रखने के चलन से निधियों के दुरुपयोग का जोखिम रहता है, अतः इससे बचने तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखा में अव्ययित शेषों को जांच-पड़ताल के पश्चात् समेकित निधि में वापिस हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

2.5 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

दो नमूना जांच किये गए अनुदानों, अनुदान संख्या 10¹⁰- "लोक निर्माण, पुल एवं भवन" तथा अनुदान संख्या 13¹¹- "सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता" से सम्बन्धित बजट प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई थी (जुलाई एवं अगस्त 2017) और समीक्षा के दौरान पाये गये प्रमुख बिन्दुओं का विवरण निम्नवत् है:

2.5.1 अनुदान संख्या 10- "लोक निर्माण, पुल एवं भवन"

2.5.1.1 बजट एवं व्यय

2016-17 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत निधियों के आवंटन एवं किये गये व्यय की समग्र स्थिति तालिका 2.6 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.6: 2016-17 के दौरान निधियों के आवंटन एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
राजस्व	2,376.83	2,790.90	414.07
पूँजी	1,042.35	1,141.46	99.11
कुल	3,419.18	3,932.36	513.18

स्रोत: विनियोजन लेखे

¹⁰ राजस्व प्रवर्ग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़कें एवं पुल तथा पूँजीगत प्रवर्ग के अन्तर्गत 4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय तथा 5054-सड़कों एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय सहित।

¹¹ 2059-लोक निर्माण, 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवास, 2700-मुख्य सिंचाई योजना, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई तथा 2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4705- कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय तथा 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2016-17 के दौरान छः मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,419.18 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति, जैसा कि तालिका 2.7 में दिया गया है, ₹ 3,932.36 करोड़ का व्यय किया गया था, परिणामतः ₹ 513.18 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। उप नियन्त्रक (वित्त एवं लेखे) ने बताया (अगस्त 2017) कि व्यय आधिक्य का मुख्य कारण उच्चत शीर्ष के अंतर्गत सामग्री की बुकिंग था और इसे राज्य विधान सभा से नियमित करवाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका 2.7: बजट प्रावधान की तुलना में आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल		
राजस्व (दत्तमत)							
1.	2059-लोक निर्माण	548.58	शून्य	(-) 50.91	497.67	1,048.05	550.38
2.	2216-आवास	16.76	शून्य	(-) 0.44	16.32	15.65	(-) 0.67
3.	3054- सड़क एवं पुल	2,228.96	10.48	(-) 376.60	1,862.84	1,727.20	(-) 135.64
योग		2,794.30	10.48	(-) 427.95	2,376.83	2,790.90	414.07
पूँजीगत (दत्तमत)							
4.	4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	22.99	43.17	शून्य	66.16	66.13	(-) 0.03
5.	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	35.00	0.25	शून्य	35.25	35.23	(-) 0.02
6.	5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	817.88	75.97	(-) 22.90	870.95	1,001.89	130.94
योग		875.87	119.39	(-) 22.90	972.36	1,103.25	130.89
पूँजीगत (प्रभारित)							
7.	5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	शून्य	69.99	शून्य	69.99	38.21	(-) 31.78
योग		शून्य	69.99	शून्य	69.99	38.21	(-) 31.78
सकल योग		3,670.17	199.86	(-) 450.85	3,419.18	3,932.36	513.18

2.5.1.2 अवास्तविक अनुमान के परिणामस्वरूप प्रावधानों की तुलना में आधिक्य नियमन हेतु अपेक्षित

- राजस्व शीर्ष "2059-लोक निर्माण" के अंतर्गत ₹ 548.58 करोड़ के मूल प्रावधान को ₹ 50.91 करोड़ पुनर्विनियोजन कर कम किया गया था, के प्रति विभाग ने ₹ 1,048.05 करोड़ का व्यय किया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 550.38 करोड़ (आवंटित निधियों के सौ प्रतिशत से अधिक) का व्यय आधिक्य हुआ जिसका कारण उच्चत शीर्ष के अंतर्गत सामग्री की बुकिंग बताया गया।
- इसी प्रकार, पूँजीगत शीर्ष (दत्तमत) "5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय" विभाग ने उच्चत के अंतर्गत सामग्री के बुकिंग पर ₹ 130.94 करोड़ का अधिक व्यय किया था।

अतः निर्माण कार्यों के वास्तविक निष्पादन के बिना बजट की तुलना में व्यय आधिक्य और विनियमन के बिना सामग्री का काल्पनिक पुस्तांकन वित्तीय औचित्य एवं बजट प्रक्रिया के सिद्धांतों के विपरीत है।

- दूसरी ओर, राजस्व शीर्ष "3054-सड़क एवं पुल" के अंतर्गत विभाग द्वारा ₹ 376.60 करोड़ के पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के बाद भी आवंटित निधियों के उपयोग करने में विफल रहा, परिणामतः वर्ष के अंत पर ₹ 135.64 करोड़ की निधियां अव्ययित/अप्रयुक्त रहीं।
- पूंजीगत शीर्ष-प्रभारित "5054-सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय" के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान में किए गए ₹ 69.99 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति विभाग ने मात्र ₹ 38.21 करोड़ का व्यय किया था तथा ₹ 31.78 करोड़ की राशि अव्ययित/अप्रयुक्त रही जिससे अनुपूरक अनुदान की मांग अनावश्यक/गलत इंगित हुई।

2.5.1.3 बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने में विलंब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से वित्त विभाग को 1 अक्टूबर 2015 तथा 1 दिसंबर 2016 तक निर्धारित तरीके एवं फार्मों में क्रमशः बजट आकलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तथापि यह पाया गया कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने 2016-17 के दौरान 15 दिसम्बर 2015 एवं 23 फरवरी 2017 को बजट आकलन तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणियां प्रस्तुत की थी और इस प्रकार क्रमशः 84 दिनों तथा 76 दिनों का विलंब हुआ था। इसने दर्शाया कि विभाग द्वारा बजट आकलनों तथा आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणियों को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सारणी का अनुसरण नहीं किया गया था।

2.5.2 अनुदान संख्या 13-"सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता"

2016-17 के दौरान अनुदान के अंतर्गत आवंटित निधियों तथा हुए व्यय की समग्र स्थिति निम्न तालिका 2.8 में दी गई है जो इंगित करता है कि विनियमन हेतु अपेक्षित ₹ 188.29 करोड़ का आधिक्य था।

तालिका 2.8: 2016-17 के दौरान आवंटित निधियों का प्रावधान तथा हुआ व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रवर्ग	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)
राजस्व	2,411.00	2,599.29	188.29
पूंजी	583.45	397.74	(-) 185.71
कुल	2,994.45	2,997.03	2.58

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अनुदान के अंतर्गत ₹ 2,994.45 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 2,997.03 करोड़ का व्यय किया गया था परिणामतः ₹ 2.58 करोड़ का समग्र व्यय आधिक्य हुआ (पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 185.71 करोड़ की बचतों तथा राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत ₹ 188.29 करोड़ का आधिक्य के परिणामस्वरूप)। मुख्य अभियन्ता ने बताया (अगस्त 2017) कि व्यय आधिक्य उचंचत शीर्षों के अंतर्गत सामग्री के बुकिंग के कारण था तथा आधिक्य राज्य विधानसभा से विनियमन हेतु सरकार को प्रस्तुत किया गया है और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारत सरकार से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे ए.आई.बी.पी., पी.एम.के.एस.वाई. एवं एफ.एम.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बजट प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2016-17 के दौरान 12 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2,994.45 करोड़ का कुल प्रावधान था जैसा कि निम्न तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9: बजट प्रावधानों की तुलना में आधिक्य (+)/बचत (-)

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान की तुलना में आधिक्य (+)/ बचत (-)
		वास्तविक	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल		
राजस्व प्रवर्ग							
1.	2059-लोक निर्माण	0.68	शून्य	शून्य	0.68	0.68	शून्य
2.	2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता (दत्तमत)	1673.91	95.50	(-) 49.93	1719.48	1911.20	191.72
	2215-जलापूर्ति तथा स्वच्छता (प्रभारित)	शून्य	0.64	शून्य	0.64	0.64	शून्य
3.	2216-आवास	0.04	शून्य	शून्य	0.04	0.04	शून्य
4.	2700-मुख्य सिंचाई	24.24	शून्य	(-) 5.40	18.84	12.62	(-) 6.22
5.	2701-मध्यम सिंचाई	16.89	शून्य	23.40	40.29	44.01	3.72
6.	2702-लघु सिंचाई	535.59	53.53	(-) 24.33	564.80	563.85	(-) 0.95
7.	2711-बाढ़ नियन्त्रण	9.96	शून्य	56.26	66.23	66.25	0.02
	योग	2261.31	149.67	--	2411.00	2599.29	188.29
पूंजीगत प्रवर्ग							
1.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	239.16	44.15	(-) 39.02	244.29	244.11	(-) 0.18
2.	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	40.03	शून्य	(-) 14.76	25.27	25.27	शून्य
3.	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	139.38	शून्य	(-) 86.89	52.49	52.48	(-) 0.01
4.	4705-कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	47.18	शून्य	(-) 19.21	27.97	27.99	0.02
5.	4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	73.56	शून्य	(-) 25.70	47.85	47.89	0.04
	योग	539.31	44.15	(-) 185.58	397.87	397.74	(-) 0.13
	सकल योग	2800.63	193.82	(-) 185.58	2808.87	2997.03	(-) 185.71

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

- मुख्य शीर्ष 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत ₹ 1,673.91 करोड़ के मूल विनियोजन के प्रति अनुपूरक अनुदानों तथा पुनर्विनियोजन के समायोजन के पश्चात् ₹ 1,911.20 करोड़ का व्यय हुआ था, परिणामतः ₹ 191.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। वर्ष के दौरान ₹ 95.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था। लेकिन उसी समय ₹ 49.93 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। इससे अनुपूरक प्रावधान के गलत निर्धारण के साथ-साथ ₹ 49.93 करोड़ का अनावश्यक/अनुचित पुनर्विनियोजन हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय ₹ 191.72 करोड़ तक अधिक था।
- मुख्य शीर्ष 2215-01-799 के अंतर्गत सामग्री की अधिक खरीद (₹ 115.69 करोड़), जलापूर्ति स्कीम/ सिंचाई के विद्युत प्रभारों के भुगतान (₹ 100.58 करोड़), ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों (₹ 41.29 करोड़), बिना कारण बताये मुख्य/मध्यम सिंचाई (₹ 30.27 करोड़), जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन एवं अनुरक्षण (₹ 77.65 करोड़) के लिए पुनर्विनियोजन किए गए थे जो वर्ष के लिए बजट प्रावधान के गलत आकलन को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त सामग्री की अधिक खरीद के लिए किया गया पुनर्विनियोजन (₹ 115.69 करोड़) स्पष्टीकरण रहित है।

2.5.2.1 बजटीय रिटर्न को प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष से निर्धारित तरीके और फार्मों में बजट आकलन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। वर्ष 2016-17 के लिए बजट आकलन वित्त विभाग को 1 अक्टूबर 2015 तक प्रस्तुत किए जाने थे लेकिन ये 6 जनवरी 2016 को प्रस्तुत किए गए, परिणतः 98 दिनों का विलम्ब हुआ। आगे, 1 दिसम्बर 2016 तक वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित आधिक्य एवं अभ्यर्पणों की विवरणी वास्तव में 28 जनवरी 2017 को 59 दिनों के विलम्ब सहित प्रस्तुत की गई थी। अतः विभाग आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों की विवरणियाँ प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सारिणी का अनुसरण नहीं किया गया था।

उपर्युक्त बिन्दु सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा असक्षम योजना तथा निधियों की आवश्यकता का अवास्तविक आकलन को इंगित करते हैं।

2.6 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

2.6.1 पेंशन लाभों का अधिक भुगतान

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जिला कोषागारों/कोषागारों/उप-कोषागारों के निरीक्षण (2016-17 के दौरान) के दौरान पेंशन भुगतान के अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि नौ जिला कोषागार अधिकारियों ने 32 पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को ₹ 26.18 लाख तक अधिक भुगतान किया था, जैसाकि तालिका 2.10 में ब्यौरा दिया गया है। अधिक भुगतान सम्बन्धित पेंशनभोगियों को पेंशन के कम्प्यूटिड भाग को न घटाने/पूर्व बहाली और निर्धारित अवधि के बाद बढ़ाई गई परिवार पेंशन के भुगतान के कारण हुआ था।

तालिका 2.10: वर्ष 2015-16 के दौरान (निरीक्षण प्रतिवेदन 2016-17 में जारी किए गए) पेंशन लाभों का अधिक भुगतान (कम्प्यूटेशन/परिवार पेंशन के आधार पर)

क्रमांक	जिला कोषागार/कोषागार का नाम	अधिक भुगतान की प्रकृति	मामलों की संख्या	भुगतान		
				बैंक के माध्यम से	कोषागार के माध्यम से	कोषागार वार कुल (₹ लाख में)
1.	जिला कोषागार, बिलासपुर	पारिवारिक पेंशन	02	--	कोषागार के द्वारा	3.74
2.	जिला कोषागार, चम्बा	पारिवारिक पेंशन	01	--	कोषागार के द्वारा	1.60
		कम्प्यूटेशन	01	--	उपर्युक्त	0.13
3.	जिला कोषागार, हमीरपुर	पारिवारिक पेंशन	02	--	कोषागार के द्वारा	4.34
4.	जिला कोषागार, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	पारिवारिक पेंशन	04	--	कोषागार के द्वारा	2.41
5.	जिला कोषागार, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ	पारिवारिक पेंशन	02	--	कोषागार के द्वारा	4.65
6.	जिला कोषागार, मंडी	कम्प्यूटेशन	10	--	कोषागार के द्वारा	2.02
7.	जिला कोषागार, शिमला	पारिवारिक पेंशन	05	--	कोषागार के द्वारा	2.63
8.	जिला कोषागार, सिरमौर स्थित नाहन	कम्प्यूटेशन	01	--	कोषागार के द्वारा	0.11
9.	जिला कोषागार, सोलन	पारिवारिक पेंशन	04	--	कोषागार के द्वारा	4.55
योग			32			26.18

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार की गई वर्ष 2015-16 के लिए हिमाचल प्रदेश में कोषागारों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत ₹ 32.29 करोड़ का समग्र आधिक्य व्यय ₹ 3,005.32 करोड़ की बचत तथा ₹ 3,037.61 करोड़ (उदय स्कीम से संबंधित ₹ 2,890.50 करोड़ सहित) के आधिक्य का निवल परिणाम था। 2011-12 से 2016-17 की अवधि से सम्बन्धित

₹ 9,402.18 करोड़ का व्यय आधिक्य राज्य विधानसभा के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन हेतु अपेक्षित था।

14 उप-शीर्षों में ₹ 2,113.09 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि व्यय या तो मूल प्रावधान के अनुरूप नहीं था अथवा कुल अनावृत् अधिक व्यय रहा था और 27 उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक) में निधियों का पुनर्विनियोजन अनुचित रूप से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आधिक्य/बचतें हुईं। 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक) में वित्त वर्ष के अंत पर ₹ 2,862.82 करोड़ अभ्यर्पण किया गया था। 62 मामलों/उप-शीर्षों में ₹ 379.63 करोड़ राशि के 100 प्रतिशत अनुदान अभ्यर्पित किए गए थे।

नौ मामलों में वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय 54 से 91 प्रतिशत के मध्य था और मार्च 2017 के महीने के दौरान इन लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत किया गया व्यय कुल व्यय का 51 से 79 प्रतिशत था।

2.8 सिफारिशें

- (i) नियन्त्रण/वितरण अधिकारी आवश्यकता अनुसार आवंटित निधियों के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए संस्वीकृत आवंटन के प्रति व्यय की प्रगति पर सख्त व नियमित निगरानी रखें। वे मासिक व्यय नियन्त्रण तथा निगरानी तंत्र को भी विशेष रूप से मजबूत करें।
- (ii) समस्त विभागों द्वारा वर्ष के अंत पर बड़े स्तर पर बचतों/आधिक्यों, पुनर्विनियोजनों एवं अभ्यर्पणों से बचने के लिए व्यय की प्रवृत्तियों के मद्देनजर वास्तविक बजट आकलन प्रस्तुत किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उनको अन्य क्षेत्रों/स्कीमों में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सके।
- (iii) राज्य सरकार को वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही/मास में व्यय की तीव्रता से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र बनाना चाहिए।

अध्याय-III
वित्तीय विवरण

अध्याय - III

वित्तीय विवरण

ठोस आन्तरिक वित्तीय विवरण सहित प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की प्राप्ति पर विवरण की समयबद्धता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निदेशों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर विवरण, यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है, राज्य सरकार को नीतिगत योजना तथा निर्णय क्षमता सहित इसकी मूल प्रबंधकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व निदेशों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्राप्ति उपलब्ध करवाता है।

3.1 प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदानों के प्रयुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किया जाना चाहिए, जब तक कि अन्य कोई निर्देश निर्दिष्ट न हो। तथापि, मार्च 2017 तक ₹ 4,837.67 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बंध में देय 17,826 प्रयुक्त प्रमाणपत्रों में से ₹ 2,910.67 करोड़ (60 प्रतिशत) की कुल राशि के 2,587 (15 प्रतिशत) प्रयुक्त प्रमाणपत्र लम्बित थे। बकाया प्रयुक्त प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है तथा प्रयुक्त प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब का सार तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: 31 मार्च 2017 तक प्रयुक्त प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया प्रयुक्त प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	0 - 1	14,882	2,612.27	1,056	1,238.20
2.	2 - 3	2,307	1,742.70	1,001	1,259.79
3.	4	427	258.37	350	205.60
4.	5	210	224.33	180	207.08
योग		17,826	4,837.67	2,587	2,910.67

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)

लम्बित प्रयुक्त प्रमाणपत्र मुख्यतः ग्रामीण विकास (1,605 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 2,196.14 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (195 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 24.57 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (124 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 149.85 करोड़), वन (201 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 15.45 करोड़), पशुपालन (90 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 73.56 करोड़), उद्योग (43 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 6.54 करोड़), शहरी विकास (102 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 369.86 करोड़), तथा विद्युत (8 प्रयुक्त प्रमाणपत्र: ₹ 33.48 करोड़) से सम्बन्धित थे। प्रयुक्त प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों को उस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया था जिसके लिए वे दिये गये थे।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बहुत से स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। राज्य में पांच स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने,

लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधानसभा पटल पर रखने की प्रास्थिति **परिशिष्ट 3.2** में इंगित की गई है।

दो बोर्डों नामतः हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (2014-15 एवं 2015-16 के लिए) तथा हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, शिमला (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए) ने अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। समस्त निकायों के सम्बंध में विलम्ब तीन से तीन साल आठ मास के मध्य था। अगस्त 2017 तक वर्ष 2016-17 के लिए समस्त छः निकायों के लेखे उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं के न पकड़े जाने का जोखिम रहता है इसीलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा लेखापरीक्षा के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

3.3 प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण

संस्थाओं/संगठनों जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा आकृष्ट करते हैं, को पहचानने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों से प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं के कुल व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 में प्रावधान है कि सरकारें तथा विभागाध्यक्ष जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण की संस्वीकृति देते हैं, ऐसे निकायों अथवा प्राधिकरणों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदान और/या ऋण दिए गए थे, का विवरण प्रतिवर्ष जुलाई के अंत में लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित किया गया हो।

अगस्त 2017 तक वर्ष 2016-17 के लिए किसी विभाग/स्वायत्त निकाय (कुल 20 विभागों/स्वायत्त निकायों में से) ने इस तरह का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के समक्ष उपर्युक्त ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करने के कारण निकायों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए पहचान नहीं की जा सकी थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की समेकित निधि में से दिये गए ऐसे ऋणों एवं अनुदानों में से व्यय की परिशुद्धता एवं औचित्य की लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी, इत्यादि के मामलों के संबंध में वर्णन किया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 2017 तक इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2016-17 के दौरान भी स्थिति यथावत रही।

जून 2017 तक राज्य सरकार ने ₹ 78.10 लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के 45 मामले सूचित किये जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। इनमें से 40 मामले पांच साल से अधिक पुराने थे। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.4** में दी गयी है। लम्बित मामलों की अवधि-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी 'चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि' में लम्बित मामलों की संख्या जो इन परिशिष्टों से उजागर हुई, को **तालिका 3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2: दुर्विनियोजन/हानियों एवं चोरी की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
वर्षों में अवधि	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति/लक्षण	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (₹ लाख में)
0 - 5	05	5.79	चोरी	09	11.06
5 - 10	05	7.20			
10 - 15	06	15.57			
15 - 20	13	42.12			
20 - 25	02	3.62			
25 व इससे ऊपर	14	3.80	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	36	67.04
योग	45	78.10			

आगे का विश्लेषण इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण तालिका-3.3 में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन/हानि, चोरी इत्यादि के बकाया मामलों के कारण

विलम्ब/बकाया मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
i)	विभागीय एवं अपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	25	27.40
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	01	2.57
iii)	न्यायालय में लम्बित	06	26.72
iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते में डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	12	20.99
v)	अन्य	01	0.42
योग		45	78.10

3.5 अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 में प्रावधान है कि कार्यालय अध्यक्ष या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी वस्तुओं की खरीद अथवा सेवाएं किराये पर लेने अथवा अन्य किसी विशेष उद्देश्य हेतु सरकारी सेवक को इस शर्त पर अग्रिम संस्वीकृत कर सकता है कि सम्बंधित सरकारी सेवक द्वारा समायोजन बिल, शेष सहित यदि कोई है, अग्रिम आहरण के पंद्रह दिन के भीतर जमा करवाया जाएगा।

अभिलेखों की नमूना जांच तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से उजागर हुआ कि सात विभागों द्वारा उनके अभिलेखों में 2012-13 से 2016-17 की अवधि से संबंधित ₹ 23.19 करोड़ के अस्थायी अग्रिमों के 76 मामले उसी वित्त वर्ष में समायोजन वाउचरों को प्रस्तुत न किये जाने के कारण समायोजन हेतु लम्बित थे।

लम्बित अग्रिमों का अवधि वार विश्लेषण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: मार्च 2017 तक लम्बित अग्रिमों के मामलों का अवधि-वार विश्लेषण

क्रमांक	विभाग	लम्बित वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5
1.	निदेशक, आयुर्वेद	2012-13	01	19.70
		2013-14	02	100.00
		2014-15	04	55.50
		2015-16	16	312.50
		2016-17	10	368.71
2.	निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली	2012-13	01	0.29

1	2	3	4	5
3.	युवा सेवाएं एवं खेल	2016-17	01	10.00
4.	निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2012-13	01	35.00
		2014-15	13	1,398.33
5.	निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति	2014-15	01	18.20
6.	निदेशक, कारागार एवं सुधार सेवाएं	2012-13	01	0.10
		2015-16	02	0.25
7.	निदेशक एवं कमांडेंट जनरल, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा	2013-14	23	0.35
योग			76	2,318.93

अग्रिमों की अवसूली/असमायोजन संबंधित विभागों में प्रभावी आंतरिक नियन्त्रण के न होने को इंगित करता है।

3.6 लेखों पर टिप्पणियां

3.6.1 लेखों की शुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक

सरकार के लेखा रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं। सरकारी लेखा में दृष्टिगोचर कुछ लेन-देन जिनकी प्राप्तियां एवं भुगतान सूचना के अभाव अथवा किसी अन्य कारण से तुरन्त प्राप्ति अथवा व्यय के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाए जा सकते हैं, 'उचंत लेखा शीर्ष' के अंतर्गत अस्थायी रूप से डाले जाते हैं। संबंधित ब्यौरों/सूचना की प्राप्ति पर ये लेखा शीर्ष अंततः माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा निपटाए जाते हैं जब इनके अंतर्गत राशि इनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्ष के प्रति बुक किए जाते हैं। यदि ये लेखा निपटाए नहीं जाते तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाएंगे और सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय को शुद्धतापूर्वक नहीं दर्शाएंगे। ऋण, जमा तथा छूट शीर्षों में वो लेन-देन होते हैं जहां सरकार सरकारी धन की अभिरक्षक के रूप में ऐसी धन राशि को प्राप्त करती है और रखती है।

राज्य के वित्त लेखा 2016-17 की परिशुद्धता अंतिम वर्गीकरण के लिए प्रतीक्षित उचंत शीर्षों के अंतर्गत बड़ी संख्या में लेन-देन द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। लेन-देन की सामान्य समीक्षा से निम्नवत् इंगित हुआ:

मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

कुछ मुख्य उचंत लेखा शीर्षों जैसा कि महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित खाता बही में अभिलिखित है, के अंतर्गत शेष तालिका 3.5 में इंगित किए गए हैं।

तालिका 3.5: उचंत शीर्ष (8658 - उचंत लेखा)

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	45.63	23.37	55.66	18.15	77.13	29.96
निवल	22.26	डेबिट	37.51	डेबिट	47.17	डेबिट
102-उचंत लेखा (सिविल)	139.08	131.80	194.87	212.23	275.05	275.24
निवल	7.28	डेबिट	17.36	क्रेडिट	0.19	क्रेडिट
110-रिजर्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	36.40	36.40	0.08	---	---	0.03
निवल	-	शून्य-	0.08	डेबिट	0.03	क्रेडिट
112-स्रोत पर कर कटौती-उचंत	263.90	285.67	284.65	303.47	380.08	394.95
निवल	21.77	क्रेडिट	18.82	क्रेडिट	14.87	क्रेडिट
129-सामग्री खरीद निपटान उचंत लेखा	68.51	370.99	143.71	407.35	175.64	399.29
निवल	302.48	क्रेडिट	263.64	क्रेडिट	223.65	क्रेडिट

वित्त लेखा इन शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। बकाया शेष की बकाया डेबिट तथा क्रेडिट को पृथक रूप से जोड़ कर गणना की जाती है।

3.7 निष्कर्ष


प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अधिक विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनुदानों की उचित प्रयुक्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, इत्यादि के ₹ 78.10 लाख राशि के 45 मामलों के निपटान के प्रति सरकारी अनुपालना लम्बी अवधि से लम्बित थी। ₹ 23.19 करोड़ के अस्थायी अग्रिमों के प्रति समायोजन सितम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

3.8 सिफारिशें

राज्य सरकार लेखापरीक्षा की सुविधा हेतु अनुदान संस्थानों को अवमुक्त अनुदानों के सम्बंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करना तथा स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखा समय पर तैयार एवं प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। चोरी, दुर्विनियोजन एवं हानि से सम्बंधित मामलों का शीघ्र समायोजन सुनिश्चित किये जाने के लिए एक प्रभावी एवं समयबद्ध तंत्र प्रतिष्ठापित करने की आवश्यकता है।

शिमला

दिनांक: 25 जनवरी 2018



(कुलवन्त सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 06 फरवरी 2018



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना (2011) के अनुसार 2017 (अनुमान)	0.69 करोड़ 0.72 करोड़
3	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख)जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)	109 व्यक्ति/वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 21.9%)	10.90%
5	(क)साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख)साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6	(क) शिशु मृत्यु दर (2015) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 37) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2011-15) (अखिल भारतीय औसत = 68.3)	28 72
7	गिनी गुणांक (2009-10) (शहरी-ग्रामीण जनसंख्या) (क) ग्रामीण (अखिल भारतीय औसत = 0.29) (ख) शहरी (अखिल भारतीय औसत = 0.38)	0.31 0.40
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2016-17	1,24,570
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2007-08 से 2016-17)	15.53 (एस.सी.एस: 15.7)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2007-08 से 2015-16		2011-12 से 2015-16		2015-16 से 2016-17	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियाँ	13.40	12.49	11.79	12.67	14.44	12.05
ख	कर राजस्व	17.20	16.61	14.50	12.99	4.99	5.12
ग	कर-भिन्न राजस्व	6.58	0.10	4.51	-1.03	21.61	(-) 6.53
घ	कुल व्यय	11.78	12.88	10.09	12.15	18.78	25.37
ड.	पूँजीगत व्यय	6.17	9.22	6.86	12.16	50.62	22.17
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	15.30	13.66	11.36	8.42	13.86	19.68
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	17.91	14.57	16.41	13.01	20.55	15.46
ज	वेतन एवं मजदूरी	15.95	10.88	10.75	7.09	4.41	18.45
झ	पेंशन	17.87	19.08	16.74	14.69	11.76	7.25

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना सूचना (2011), गरीबी की माप के लिए पद्धति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का प्रतिवेदन, योजना आयोग (जून 2014), एस आर एस बुलेटिन (सितम्बर 2014), आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि; (ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के चुकाने से प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, जमाओं आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2016-17 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

रूपरेखा	
खण्ड-I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी अनुलग्नक-क: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य देयताओं की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार के निवेशों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 11	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
विवरणी 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश
	लेखा टिप्पणियाँ
खण्ड-II	
भाग I : विस्तृत विवरणियाँ	
विवरणी 14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	लघु शीर्षों एवं उप-शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	उधारों एवं अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 20	सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 22	चिन्हित निधियों के निवेशों की विस्तृत विवरणी
भाग II : परिशिष्ट	
I	मुख्य शीर्षों द्वारा वेतन पर तुलनात्मक व्यय
II	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
III	सहायता अनुदान/राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता (स्कीमवार व संस्थावार)

IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण
V	योजनागत स्कीम व्यय क- केन्द्रीय स्कीमे (केन्द्र प्रायोजित स्कीमें तथा केन्द्रीय योजना स्कीमें) ख- राज्य योजना स्कीमें
VI	राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां)
VII	शेषों की स्वीकृति एवं मिलान
VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
IX	सरकार की प्रतिबद्धताएं-अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों की सूची
X	वेतन एवं गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुरक्षण व्यय
XI	वर्ष के दौरान सरकार के प्रमुख नीति निर्णयों के निहितार्थ या भावी नकद प्रवाह हेतु प्रस्तावित नई स्कीमें
XII	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देयताएं

परिशिष्ट-1.2

भाग-क

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2012-17 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्ण योगों की प्रवृत्ति का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनके व्यवहार पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय योगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपण भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलिओं में निर्दिष्ट किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई प्रतिबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय योगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय योगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक आकलन करने के लिए उपयोग किया गया है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय योगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का तरीका इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय योगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2011-12 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	82,294	94,764	1,04,177	1,13,667	1,24,570
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.16	15.15	9.93	9.11	9.59

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

राजकोषीय योगों की प्रवृत्ति एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[$(\text{विगत वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2$]* 100
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [$(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष}) / 2$]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष	राजस्व प्राप्तियां घटा मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत दर्ज व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगामी कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकशीलता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- राजस्व घाटे को खत्म करना तथा राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना;
- वित्तीय वर्ष 2016-17 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 35.42 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से कम दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक आंकड़े वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3, 1.6.1, 1.9.2 तथा 1.11.3; पृष्ठ: 7, 16, 25 व 32)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भाग-क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	15,598	15,711	17,843	23,440	26,264
(i) कर राजस्व	4,626 (30)	5,121 (33)	5,940 (33)	6,696 (29)	7,039 (27)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,728 (59)	3,141 (61)	3,661 (62)	3,993 (60)	4,382 (63)
राज्य आबकारी	810 (18)	952 (19)	1,044 (18)	1,131 (17)	1,308 (19)
वाहनों पर कर	196 (4)	208 (4)	220 (4)	317 (05)	280 (4)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	173 (4)	188 (4)	190 (3)	206 (03)	209 (3)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	262 (6)	191 (4)	333 (5)	551 (8)	372 (5)
भू-राजस्व	24 (-)	10 (-)	17 (-)	7 (-)	8 (-)
माल व यात्रियों पर कर	101 (2)	105 (2)	110 (2)	115 (02)	121 (2)
अन्य कर	332 (7)	326 (6)	365 (6)	376 (5)	359 (4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,377 (9)	1,785 (11)	2,081 (12)	1,837 (08)	1,717 (6)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	2,282 (14)	2,491 (16)	2,644 (15)	3,611 (15)	4,344 (17)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7,313 (47)	6,314 (40)	7,178 (40)	11,296 (48)	13,164 (50)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	650	-	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	21	17	41	26	30
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	15,619	15,728	18,534	23,466	26,294
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,371	4,050	10,877	6,129	8,603
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,239 (96)	3,362 (83)	3,892 (36)	4,294 (70)	6,831 [†] (79)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	629 (16)	6,860 (63)	1,785 (29)	1,671 (20)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	132 (4)	59 (1)	125 (1)	50 (01)	101 (01)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	18,990	19,778	29,411	29,595	34,897
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	9,146	10,300	10,575	11,515	13,630
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	28,136	30,078	39,986	41,110	48,527
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	16,174	17,352	19,787	22,303	25,344
योजनागत	2,079 (13)	2,387 (14)	3,204 (16)	3,493 (16)	4,520 (18)
आयोजनेत्तर	14,095 (87)	14,965 (86)	16,583 (84)	18,810 (84)	20,824 (82)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	6,618 (41)	7,047 (41)	7,604 (38)	8,788 (39)	9,728 (38)
सामाजिक सेवाएं	6,131 (38)	6,706 (39)	7,451 (38)	7,980 (36)	9,610 (38)
आर्थिक सेवाएं	3,418 (21)	3,590 (20)	4,723 (24)	5,525 (25)	5,996 (24)
सहायता अनुदान व अंशदान	7 (-)	9 (-)	9 (-)	10 (-)	10 (-)
11. पूंजीगत व्यय	1,955	1,856	2,473	2,864	3,499
योजनागत	1,859 (95)	1,815 (98)	2,431 (98)	2,568 (90)	3,115 (89)
आयोजनेत्तर	96 (5)	41 (2)	42 (2)	296 (10)	384 (11)
सामान्य सेवाएं	74 (4)	81 (4)	83 (3)	88 (3)	208 (6)
सामाजिक सेवाएं	436 (22)	478 (26)	522 (21)	792 (28)	1,041 (30)
आर्थिक सेवाएं	1,445 (74)	1,297 (70)	1,868 (76)	1,984 (69)	2,250 (64)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	469	531	474	463	3,290 [‡]
13. योग (10+11+12)	18,598	19,739	22,734	25,630	32,133

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
14. लोक ऋण की चुकौतियाँ	2,117	1,704	8,260	3,948	3,943
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	2,056	1,467	1,410	1,557	2,198
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	172	6,783	2,320	1,671
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	61	65	67	71	74
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	20,715	21,443	30,994	29,578	36,076
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	8,285	9,227	8,844	10,577	12,351
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	29,000	30,670	39,838	40,155	48,427
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 576	(-) 1,641	(-) 1,944	1,137	920
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,979	(-) 4,011	(-) 4,200	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 609	(-) 1,530	(-) 1,351	990	411 [#]
भाग घ. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,370	2,481	2,849	3,155	3,359
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,203	1,438	2,156	2,612	3,357
25. प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष	-	11	125	31	23
प्राप्त किए गए (दिवस) अर्थोपाय अग्रिम	-	10	77	25	23
प्राप्त किए गए (दिवस) अधिविकर्ष	-	01	48	06	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	-	0.11	14.80	6.40	16.17
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	82,294 (13.16)	94,764 (15.15)	1,04,177 (9.93)	1,13,667 (9.11)	1,24,570 (9.59)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	30,442	33,884	38,192	41,197	47,244 [#]
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,353	4,333	4,281	3,714	4,550
30. प्रत्याभूति अधिकतम राशि (वर्षान्त)	9,455	9,316	9,316	9,658	12,320
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	12	12	13	12	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	115	130	141	143	188
भाग ड. राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता (अनुपात)					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.12	0.09	0.09	0.13	0.14
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.13	0.21	0.22	0.23	0.26
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.19	1.26	1.27	1.09	1.22
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.86	0.88	0.87	0.87	0.79
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.36	0.35	0.34	0.33
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.26	0.25	0.29	0.29	0.26
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
III राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.37	0.36	0.37	0.36	0.38
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	1.95	2.16	2.14	1.76	1.80
IV अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़)	100.09	103.42	170.99	111.94	289.63
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-)3,284	(-)3,544	(-) 4,719	1,858	1,153
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं (अनुपात)	0.70	0.68	0.67	0.72	0.77
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.19	0.41	0.46	*	*
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर					
कुल व्यय (₹ करोड़)	18,598	19,739	22,734	25,630	32,133
कुल व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.80	6.14	15.17	12.74	25.37
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	16,174	17,352	19,787	22,303	25,344
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.38	7.28	14.03	12.72	13.63
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	14,095	14,965	16,583	18,810	20,824
आयोजनेतर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.56	6.17	10.81	13.43	10.70
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	2,079	2,387	3,204	3,493	4,520
योजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.22	14.81	34.23	9.02	29.40
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.13	15.79	15.92	16.55	16.72
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	86.97	87.91	87.04	87.02	78.87
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	75.79	75.81	72.94	73.39	64.81
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजनागत राजस्व व्यय	11.18	12.09	14.09	13.63	14.07
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	90.36	95.25	92.94	80.25	79.29
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	87.15	86.24	83.81	84.34	82.17
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	12.85	13.76	16.19	15.66	17.83
के साथ राजस्व व्यय की उत्लावकता					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.24	0.48	1.41	1.40	1.42
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	2.26	10.11	1.03	0.41	1.13
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	1.05	1.18	1.30	0.95	1.27
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	0.74	0.49	0.41	1.41	0.46

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के कुल की प्रतिशतता (पूर्णांकित) दर्शाते हैं।

उदय स्कीम के 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं

उदय स्कीम के 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं

*राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1; पृष्ठ: 2)

भाग-क: वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण					
2015-16		2016-17			2015-16	2016-17				
						गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		23,440.48		26,264.34	I-राजस्व व्यय	22,302.81	20,824.39	4,519.83	25,344.22	25,344.22
(i) कर राजस्व	6,695.81		7,039.05		सामान्य सेवाएं	8,788.46	9,643.78	84.17	9,727.95	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,837.15		1,717.24		सामाजिक सेवाएं	7,979.92	7,200.62	2,409.30	9,609.92	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का रान्यांश	3,611.17		4,343.70		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,132.16	3,954.69	990.50	4,945.19	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	8,524.32		8,877.19		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,300.16	1,054.20	447.12	1,501.32	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	755.52		1,187.48		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	1,267.23	1,323.63	453.62	1,777.25	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	2,016.51		3,099.68		सूचना एवं प्रसारण	30.65	44.09	0.33	44.42	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	57.36	11.55	51.22	62.77	
					श्रम एवं श्रम कल्याण	103.46	109.59	13.60	123.19	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	1,071.64	691.45	442.88	1,134.33	
					अन्य	17.26	11.42	10.03	21.45	
					आर्थिक सेवाएं	5,524.47	3,969.96	2,026.36	5,996.32	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	1,554.34	954.71	723.47	1,678.18	
					ग्रामीण विकास	1,004.97	578.55	600.24	1,178.79	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	337.69	433.62	28.21	461.83	
					ऊर्जा	973	375.08	447.21	822.29	
					उद्योग एवं खनिज	71.49	54.40	67.12	121.52	
					परिवहन	1,479.12	1,516.23	30.18	1,546.41	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	7.58	2.91	6.61	9.52	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	96.28	54.46	123.32	177.78	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	9.96	10.03	-	10.03	
योग		23,440.48		26,264.34	योग	22,302.81	20,824.39	4,519.83	25,344.22	
II-प्रवर्ग-ख में लाया गया राजस्व घाटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	1,137.67			920.12	
योग		23,440.48		26,264.34	योग	23,440.48			26,264.34	

प्राप्तियां					संवितरण					
2015-16		2016-17			2015-16		2016-17			
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग- ख-पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		(-)739.32		216.23	III- भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां		--			IV-पूंजीगत परिव्यय	2,864.49	383.52	3,115.51		3,499.03
					सामान्य सेवाएं	88.51	10.66	197.71	208.37	
					सामाजिक सेवाएं	792.03	158.70	882.36	1,041.06	
					शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	299.29	82.86	212.86	295.72	
					स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	117.23	--	285.53	285.53	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	354.39	69.34	364.39	433.73	
					सूचना एवं प्रसारण	0.98	0.51	0.26	0.77	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.63	--	8.64	8.64	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	12.91	6.00	9.93	15.93	
					अन्य	0.60	--	0.75	0.75	
					आर्थिक सेवाएं	1,983.95	214.16	2,035.44	2,249.60	
					कृषि एवं सम्यद्ध कार्यक्रम	48.00	(-)2.77	53.22	50.45	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4.61	--	3.49	3.49	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	142.21	5.01	196.35	201.36	
					ऊर्जा	265.00	--	202.78	202.78	
					उद्योग एवं खनिज	64.94	5.00	51.33	56.33	
					परिवहन	1,327.14	206.92	1,376.69	1,583.61	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	132.05	--	151.58	151.58	
					योग	2,864.49			3,499.03	
V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		25.90		29.50	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	463.17				3,289.69
विद्युत परियोजनाओं से	-		-		विद्युत परियोजनाओं से	412.26			3,228.81	
सरकारी कर्मचारियों से	8.46		8.79		सरकारी कर्मचारियों को	13.42			7.03	
सहकारिता से	15.16		16.52		सहकारिता को	-			39.79	
अन्य से	2.28		4.19		अन्य को	37.49			14.06	
VI-अग्रोनित राजस्व अधिशेष		1,137.67		920.12	VI- अग्रोनित राजस्व घाटा					

प्राप्तियां					संवितरण					
2015-16		2016-17			2015-16		2016-17			
							गैर-योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
VII-लोक ऋण प्राप्तियां		6,129.21		8,603.31	VII-लोक ऋण की चुकौती	3,947.73				3,942.84
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	4,294.29		6,831.29		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1,557.22			2,198.19	
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	1,785.40		1,670.72		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन	2,319.18			1,670.72	
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	49.52		101.30		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती	71.33			73.93	
VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन		-		-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-			-	
IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		-		-	IX-आकस्मिकता निधि से व्यय				-	
X- लोक लेखा प्राप्तियां		11,515.45		13,629.90	X-लोक लेखा संवितरण	10,577.29				12351.15
लघु बचतों एवं भविष्य निधियां	3,115.93		3,402.37		लघु बचतों एवं भविष्य निधियां	2,397.50			2,197.86	
आरक्षित निधियां	235		249		आरक्षित निधियां	244.14			2,48.76	
निक्षेप एवं अग्रिम	2,408.35		2,727.39		निक्षेप एवं अग्रिम	2,293.49			2,546.02	
उचन्त एवं विविध	617.00		799.83		उचन्त एवं विविध	650.55			871.97	
प्रेषण	5,139.17		6,451.31		प्रेषण	4,991.62			6,486.54	
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतशेष अधिविकर्ष					XI-अंत में रोकड़ शेष	216.23				316.35
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--			-	
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.19			0.19	
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप	(-)340.76			(-) 443.27	
					रोकड़ शेष निवेश	556.80			759.43	
योग:		18,068.91		23,399.06	योग:	18,068.91				23,399.06

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ: 2 व 25)

भाग-ख: 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2017 तक	
	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2017 तक
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	27,108.86	30,607.89
कम्पनियों, निगमों, आदि के शेयरों में निवेश	3,040.64	3,293.53
अन्य पूंजीगत परिव्यय	24,068.22	27,314.36
ऋण तथा अग्रिम-	2,784.07	6,044.26
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	2,534.74	5,763.55
अन्य विकास ऋण	207.58	240.72
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	41.75	39.99
आरक्षित निधि निवेश		
रोकड़ -	216.23	316.35
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	-	
भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप	(-) 340.76	(-) 443.27
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16
स्थायी अग्रदाय	0.03	0.03
रोकड़ शेष निवेश	556.80	759.43
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	11,720.08	10,800.37
योग	41,829.24	47,768.87

* प्राप्ति की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे हैं।

दायित्व	31 मार्च, 2016 तक	31 मार्च, 2017 तक	
आंतरिक ऋण	26,860.93		31,494.03
ब्याज वाले बाजार ऋण	16,860.42	19,023.07	
ब्याजरहित बाजार ऋण	-	-	
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	98.67	74.95	
नाबार्ड से ऋण	1,931.10	2,101.10	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	81.48	95.99	
केन्द्र सरकार की एन0एस0एस0एफ0 को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,650.79	7,150.02	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	-	2,890.50	
अन्य संस्थाओं से ऋण	238.46	158.40	
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम-	1,049.05		1,076.43
आयोजनेत्तर ऋण	4.85	4.23	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	1,044.07	1,072.07	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	-	-	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	5.00		5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	10,639.90		11,844.41
निक्षेप एवं अग्रिम	2,427.68		2,609.04
आरक्षित निधियां	219.32		219.57
उच्च एवं विविध शेष	263.91		192.17
प्रेषण शेष	363.45		328.22
योग	41,829.24		47,768.87

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4; पृष्ठ: 4)

लिंग बजटीकरण

1. मार्च 2017 के अंत तक 100 प्रतिशत आवंटन की सीमा तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना	-	0.18	0.18	-	0.18
2	महर्षि बाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना	-	0.05	0.05	-	0.02
3	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	-	3.50	3.50	-	1.61
4	सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (कन्याओं के लिए छात्रावास)	0.32	0.04	0.36	0.28	0.03
5	आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.	9.58	-	9.58	9.19	-
6	विधवा पेंशन	-	105.35	105.35	-	101.59
7	कन्याओं के लिए छात्रावास	1.25	1.25	2.50	-	1.01
8	राज्य स्तरीय महिला लेखक सम्मेलन	-	0.01	0.01	-	-
9	आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण	1.95	0.22	2.17	1.71	0.22
10	विशेष महिला उत्थान योजना	-	1.25	1.25	-	1.00
11	बलात्कार पिड़ितों हेतु वित्तीय सहायता एवं सहायता सेवाएं	-	1.10	1.10	-	1.35
12	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.35	-	0.35	0.28	-
13	राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना (सबला) (पोषण घटक)	13.11	1.47	14.58	13.11	1.47
14	बेटी है अनमोल योजना	-	9.51	9.51	-	9.51
15	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	-	6.62	6.62	-	6.62
16	विधवा पुर्नविवाह योजना	-	1.19	1.19	-	1.19
17	मदर टेरेसा मैत्री आश्रय सबल योजना	-	11.79	11.79	-	11.79
18	माता शबरी महिला योजना	-	0.66	0.66	-	0.66
19	हि.प्र. महिला विकास निगम, सोलन	-	1.40	1.40	-	1.40
20	महिलाओं के लिए स्व रोजगार	-	1.03	1.03	-	1.03
	योग	26.56	146.62	173.18	24.57	140.68

2. मार्च 2017 के अंत तक महिलाओं के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय आवंटन

क्रमांक	स्कीम का नाम	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
		केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	2	3	4	5	6	7
1	नीली क्रांति मिशन: मत्सय पालन का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन	0.90	0.04	0.94	0.90	0.04
2	मधुमक्खी पालन का विकास	-	0.03	0.03	-	0.03
3	पुष्पोत्पादन का विकास	-	0.02	0.02	-	0.02
4	मशरूम खेती योजना का विकास	-	0.02	0.02	-	0.02
5	किसानों हेतु प्रशिक्षण	-	0.03	0.03	-	0.02
6	फल प्रसंस्करण योजना	-	0.03	0.03	-	0.03
7	चिप बडिंग	-	0.21	0.21	-	0.19
8	स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना	-	3.74	3.74	-	2.21
9	डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना एस.वी.	-	1.80	1.80	-	1.82
10	डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना अ.पि.व.	-	1.66	1.66	-	1.69
11	ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना	-	0.34	0.34	-	0.19
12	आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति योजना	-	3.45	3.45	-	2.72
13	इंदिरा गांधी बारहवी पास उत्कृष्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	-	0.04	0.04	-	0.03
14	आर.आई.एम.एस.	-	0.02	0.02	-	0.02
15	सैनिक स्कूल सुजानपुर, टिहरा छात्रवृत्ति योजना	-	0.23	0.23	-	-
16	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	-	1.75	1.75	-	0.96
17	सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	257.38	28.60	285.98	150.75	15.46
18	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	39.48	-	39.48	39.35	-
19	वृद्धावस्था पेंशन	-	166.06	166.06	-	164.18
20	विकलांगो हेतु छात्रवृत्ति	-	1.03	1.03	-	1.02
21	विकलांगो हेतु विवाह अनुदान	-	0.36	0.36	-	0.29
22	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	2.00	3.33	5.33	1.27	1.43
23	अंतर्जातीय विवाह हेतु पुरस्कार	0.92	0.91	1.83	0.84	0.84
24	अत्याचार पीडितों के लिए मुआवजा	0.41	0.40	0.81	0.12	0.12
25	अनुवर्ती कार्यक्रम	-	1.45	1.45	-	1.36
26	नौकरी/आउटसोर्सिंग गारंटी के साथ कौशल उन्नयन	-	0.38	0.38	-	0.29

1	2	3	4	5	6	7
27	राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	4.50	-	4.50	-	3.82
28	आवास सॉल्यूटि	-	26.73	26.73	-	26.70
29	राजस्व आवास योजना	-	3.87	3.87	-	3.87
30	एकीकृत बाल विकास योजना (प्रशिक्षण)	199.32	21.58	220.90	167.45	15.45
31	विशेष पोषण योजना	55.08	6.48	61.56	55.08	6.48
32	मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना	-	5.20	5.20	-	5.20
33	राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना	-	0.18	0.18	-	0.18
34	आश्रमों का नवीकरण	-	1.00	1.00	-	1.00
35	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	23.24	2.22	25.46	23.24	2.22
36	बेटी है अनमोल योजना	-	9.51	9.51	-	9.51
37	सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड	-	0.91	0.91	-	0.91
38	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	-	6.62	6.62	-	6.62
39	विधवा पुनर्विवाह योजना	-	1.19	1.19	-	1.19
40	मदर टेरेसा मैत्री आशय सबल योजना	-	11.79	11.79	-	11.79
41	माता शबरी महिला योजना	-	0.66	0.66	-	0.66
42	हि.प्र. महिला विकास निगम, सोलन	-	1.40	1.40	-	1.40
43	महिलाओं के लिए स्व रोजगार	-	1.03	1.03	-	1.03
	योग	583.23	316.30	899.53	439.00	293.01

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग

परिशिष्ट-1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ: 6)

2015-16 एवं 2016-17 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधि का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर निधियां) (लेखापरीक्षा किए बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2016-17	2015-16
1.	2.	3.	4.
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	35.00	42.50
	योग		42.50
सहायक एवं अनुसंधान विकास (आर. एंड डी. मिशन)	पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग	3.92	3.65
	योग		3.65
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास	विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2.83	--
	योग	2.83	--
अनुसूचित जनजाति को कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाओं एवं अनुकरणीयों को पुरस्कार हेतु एन.जी.ओ. को सहायता अनुदान	स्पिति विकास के लिए रिनचेन जांगपो सोसाइटी	1.45	0.02
	डी गोम्पा बौद्ध सांस्कृतिक सोसाइटी	0.13	0.07
	बौद्ध दर्शन एवं जनजातीय सांस्कृतिक सोसाइटी अध्ययन संस्थान, ताबो	0.75	0.23
	रामधा बौद्ध सोसाइटी	0.12	0.06
	हिमालयन बौद्ध सांस्कृतिक एसोसिएशन, मनाली, हिमाचल प्रदेश	0.32	--
	योग	योग	0.38
ग्रिड अंतः क्रियात्मक अक्षय ऊर्जा एम.एन.आर.ई.	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	5.90	0.03
	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	0.25	1.37
	युको बैंक	--	1.30
	शोबला हाइड्रो पावर पराइवेट	--	2.50
	हिमाचल प्रदेश सरकारी बैंक सीमित	--	3.90
	योग	6.15	9.10
एकीकृत कृषि गणना एवं सांख्यिकी स्कीम	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	1.96	5.02
	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	0.01	--
	योग	1.97	5.02
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम आई.आई.यू.एस. डी.आई.पी.पी.	बद्दी अवसंरचना	--	1.61
	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	--	7.87
	योग		9.48
परिवहन सब्सिडी स्कीम	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	--	153.68
	योग		153.68
ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी	27.21	41.03
	जैवप्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान, शूलीनी विश्वविद्यालय	0.03	--
	वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय	0.03	--
	हिमाचल प्रदेश कृषि मंत्रालय	0.36	--
	हिमाचल सलाहकार संगठन	--	0.01
	नेचर इंडिया हेतु वर्ल्ड वाइड फंड	--	0.07
	योग	27.63	41.11
निर्यात विकास हेतु राज्यों को सहायता	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	7.83	--
	योग	7.83	--
ऑटोमागबाइल उद्योग का विकास	हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम	21.10	--
	योग	21.10	--

1.	2.	3.	4.
उच्च शिक्षा योजना	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	19.28	--
	राजकीय पोलिटेक्निक, सुन्दरनगर	0.21	--
योग		19.49	--
पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम सीमित	8.86	--
	योग		8.86
खाद्य संस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय	9.34	--
	योग		9.34
राष्ट्रीय कृषि बाजार (नाम)	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	5.70	--
	योग		5.70
एस.टी.डी. नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समाज	9.74	--
	योग		9.74
विकलांग व्यक्तियों के उत्थान से सम्बन्धित योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न स्कीम	विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग	5.10	--
	योग		5.10
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई हिमाचल प्रदेश	0.20	--
	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसाइटी	104.12	--
	योग		104.32
सीमा प्रबंधन हेतु योजना	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भाबानगर	30.00	--
	योग		30.00
स्वदेश दर्शन	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	19.95	--
	योग		19.95
अन्य योजनाएं	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	92.18	75.91
	योग		92.18
अन्य	--	43.30	3.85
	योग		43.30
सकल योग		457.18	344.68

स्त्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ: 22)

31 मई 2017 तक अद्यतन अंतिम रूप से तैयार लेखानुसार निवेश पर प्रतिफल हेतु प्रदत्त शेयर पूंजी का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	31.03.2017 को प्रदत्त पूंजी (एस जी)	घाटा	लाभ
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो उद्योग निगम सीमित	11.80	0.86	--
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	38.76	3.14	--
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	11.71	4.08	--
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13.00	--	0.61
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	7.19	--	0.20
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	11.34	1.50	--
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	25.00	--	--
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	30.82	--	8.25
9	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	7.16	--	5.47
10	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	300.00	--	--
11	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	1,585.16	17.92	--
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	150.05	--	2.88
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम	522.03	113.51	--
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3.51	--	2.12
15	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	3.72	--	1.01
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम सीमित	9.25	--	0.69
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	12.30	--	1.40
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	--	0.03
19	हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ सीमित	1.00	--	--
योग		2,743.80	141.01	22.66
सांविधिक निगम				
20	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	92.98	1.09	--
21	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	655.05	--	1.73
योग		748.03	1.09	1.73
अक्रियाशील सरकारी कम्पनी				
22	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	16.75	--	--
23	हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड	--	--	--
योग		16.75	--	--
सकल योग		3,508.59	142.10	24.39

परिशिष्ट-1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.3; पृष्ठ: 23)

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्राप्ति

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (₹ करोड़ में)
परियोजनाएं-प्रदान की गई, पूर्ण तथा प्रचालनाधीन		
परिवहन विभाग		
1.	कांगड़ा बस अड्डा	9.50
2.	आई0एस0बी0टी0, शिमला	15
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
3.	रज्जु मार्ग-सह-स्की केन्द्र, सोलंग नाला	15
4.	जाखू रज्जु मार्ग	15
स्वास्थ्य विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन		
5.	हिमाचल प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवा	100
6.	हिमाचल प्रदेश में सचल डाइग्नोस्टिक इकाइयां	5
7.	हिमाचल प्रदेश में हिमोडायलिसिस इकाइयां	5
8.	जे एस एस के ऐम्बुलेंस का संचालन एवं रख-रखाव	5
9.	सी.टी. स्कैन	5
10.	24x7 ट्रौमा केन्द्र	5
परियोजनाएं- प्रदान की गई तथा कार्यान्वयनाधीन		अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
परिवहन विभाग		
11.	मकलोडगंज बस अड्डा	5
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग		
12.	धर्मशाला मकलोडगंज रज्जु मार्ग	140
13.	हिमानी चामुण्डा रज्जु मार्ग	280
14.	पल्चान रोहतांग रज्जु मार्ग	350
15.	कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव यात्री रज्जु मार्ग	100
शहरी विकास विभाग		
16.	पार्किंग परिसर, छोटा शिमला	15
17.	पार्किंग परिसर, संजौली	25
18.	पार्किंग परिसर, लिफ्ट	45
19.	पार्किंग परिसर, विकासनगर	10
20.	पार्किंग परिसर, पालमपुर	10
21.	पार्किंग परिसर, बिलासपुर	10
22.	पार्किंग परिसर, रोहडू	5
23.	टूटीकंडी-लिफ्ट-माल रोड रज्जु मार्ग	175
राजस्व विभाग		
24.	पार्किंग परिसर, (जेल रोड एवं जैन्चु का नोन) मण्डी	75

स्रोत: हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ: 36)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	व्यय आधिक्य की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व- दत्तमत्त						
1.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,410.36	2,598.65	188.29	--
पूंजीगत-दत्तमत्त						
2.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल	995.26	1,103.26	108.00	--
3.	23	विद्युत विकास	471.65	3,158.66*	2,687.01	--
पूंजीगत-प्रभारित						
4.	29	वित्त	3,888.92	3,942.84	53.92	--
योग			7,766.19	10,803.41	3,037.22	

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन की संख्याएं	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)	लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने की स्थिति
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9,10,13,15,21, तथा 23 29	752.51	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेजी गईं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2012-13	11 अनुदान 3 विनियोजन	1,2,3,10,11,13,14,18,19,21 तथा 23 2,3 तथा 29	703.08	
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2,3,4,5,10,13,16,17,21 तथा 28 2,7 तथा 79	474.86	बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय/बचत आधिक्य के विनियमन पर वित्त विभाग से आत्म प्रेरित उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। अतः लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी/विनियमन किया जाना है।
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1,2,6,11,12,13,18,19, 23 (राजस्व) तथा 23 (पूँजीगत) 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत) तथा 31	1,585.69	
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5,8,10,13,19,23 तथा 28 13,16, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत)	2,848.43	
योग			6,364.57	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.1; पृष्ठ: 37)

नियमन के लिए अपेक्षित 2016-17 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य

(₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	02-राज्यपाल व न्याय परिषद	17,67,02,000	17,82,33,566	15,31,566
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	24,10,35,78,049	25,98,64,58,108	1,88,28,80,059
राजस्व-प्रभारित				
3.	01-विधान सभा	69,39,000	69,57,000	17,900
4.	16-वन एवं वन्य जीव	44,14,000	67,01,000	22,87,000
पूँजीगत-दत्तमत्त				
5.	03- न्याय प्रशासन	57,08,17,000	57,08,17,531	531
6.	10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	9,95,25,68,000	11,03,25,62,918	1,07,99,94,918
7.	23-विद्युत विकास	4,71,65,01,000	31,58,66,43,000*	26,87,01,42,000
पूँजीगत-प्रभारित				
8.	29-वित्त	38,88,91,67,000	39,42,83,95,497	53,92,28,497
योग		78,42,06,86,049	1,08,79,67,68,620	30,37,60,82,471 अर्थात् ₹ 3,037.61 करोड़

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.3; पृष्ठ: 37)

2016-17 के दौरान प्रावधानरहित व्यय

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	प्रावधानरहित व्यय की राशि
05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन		
1.	2401/00/111/04 (कृषि जनगणना)	34.89
2.	2702/80/800/07 (सिंचाई आंकड़ों में सुधार के लिए योजना)	24.66
10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन		
3.	5054/04/337/15 (मध्यस्थता मामलों के लिए भुगतान)	2,446.44
31-जनजातीय विकास		
4.	2215/01/796/04 (स्टॉक)	399.13
5.	2215/01/796/05 (स्टॉक विनिर्माण)	5.96
6.	2215/01/796/06 (विविध लोक निर्माण अग्रिम)	51.45
7.	2702/80/796/08 (उच्चत (स्टॉक) पर व्यय)	539.55
8.	2702/80/796/09 (उच्चत (स्टॉक विनिर्माण) पर व्यय)	15.02
9.	2702/80/796/10 (उच्चत (विविध लोक निर्माण अग्रिम) पर व्यय)	153.57
10.	4059/01/796/10 (न्यायपालिका अकादमी)	45.00
	योग	3,715.67 अर्थात् ₹37.16 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेख/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	27,94,29,62	27,90,89,19	13,88,30	10,47,87
2.	11-कृषि	3,51,38,26	3,32,40,35	27,03,71	8,05,80
3.	14- शिक्षा	3,13,76,91	2,84,50,02	35,17,98	5,91,09
4.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	6,65,47,80	6,57,41,16	20,78,19	12,71,55
5.	21-सहकारिता	34,31,27	34,14,68	10,23,23	10,06,64
6.	30-विविध सामान्य सेवाएं	84,57,34	84,28,92	13,00,46	12,72,04
पूँजीगत-दत्तमत्त					
7.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	54,87,00	42,51,74	13,68,00	1,32,74
8.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	5,39,30,83	3,97,73,49	1,85,71,81	44,14,47
9.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	13,70,01	10,52,96	4,44,62	1,27,57
10.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	8,23,08,50	7,36,78,17	99,30,93	13,00,60
योग		56,74,77,54	53,71,20,68	4,23,27,23	1,19,70,37 अर्थात् ₹119.70करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1.4; पृष्ठ: 37)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2,261.33	149.03	2,410.36	2,598.65	188.29
पूंजीगत-दत्तमत्त							
2.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	875.87	119.39	995.26	1,103.26	108.00
3.	23	विद्युत विकास	407.08	64.57	471.65	3,158.66 *	2,687.01
पूंजीगत-प्रभारित							
4.	29	वित्त	2,228.52	1,660.40	3,888.92	3,942.84	53.92
योग			5,772.80	1,993.39	7,766.19	10,803.41	3,037.22

* उदय स्कीम का ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ: 38)

निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1.	5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-00-102-03	(-) 1.38	3.77
2.			2053-00-093-01	(-) 0.53	14.27
3.			2245-02-193-01	39.00	1.00
4.			2245-02-109-01	31.00	(-) 1.00
5.	8	शिक्षा	2202-01-111-01	(-) 23.00	9.43
6.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-05	0.03	2.12
7.			2210-05-105-12	16.50	(-) 2.12
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-02	16.97	(-) 8.23
9.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-102-12	(-) 129.07	2.85
10.			2215-01-799-01	50.41	76.51
11.			2215-01-799-03	65.28	138.62
12.			2215-01-101-02	86.23	(-) 2.48
13.			2215-01-101-04	31.66	(-) 2.85
14.			2215-01-102-03	(-) 121.42	(-) 19.15
15.			2700-01-001-01	(-) 9.08	(-) 1.04
16.			2701-15-001-01	(-) 0.01	(-) 2.21
17.	29	वित्त	2071-01-104-02	(-) 19.42	3.22
18.			2071-01-102-02	(-) 106.42	(-) 3.46
19.			2071-01-105-02	(-) 22.06	(-) 17.10
20.			2071-01-115-01	72.26	(-) 73.33
21.			2049-01-123-01	30.32	21.38
22.			2049-03-104-01	10.00	16.91
23.			2049-03-108-01	0.20	3.97
24.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2215-01-789-03	0.88	1.86
25.			4215-01-789-08	36.03	(-) 20.22
26.			4215-01-789-08	4.00	(-) 2.02
27.			4215-01-789-08	(-) 2.81	(-) 1.90

स्रोत: विनियोजन लेखे/वी.एल.सी.

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ: 38)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष स्कीम/सेवा	जनवरी-मार्च 2017 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2017 में किया गया व्यय	2016-17 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2017	मार्च 2017
1.	03- न्याय प्रशासन	4059-01-051-15	11.09	10.92	11.29	98.23	96.72
2.		4059-01-051-31	17.13	17.13	17.50	97.89	97.89
3.	05- भू राजस्व व जिला प्रशासन	2245-02-101-01	21.38	17.36	30.69	69.66	56.57
4.	07- पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	4055-00-211-03	15.05	14.65	27.62	54.49	53.04
5.	08- शिक्षा	2202-02-109-05	14.00	14.00	25.14	55.69	55.69
6.		4202-01-202-08	30.00	30.00	30.00	100	100
7.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-03-105-05	99.49	99.49	99.49	100	100
8.		4210-03-105-06	43.31	43.31	43.31	100	100
9.		4210-03-105-07	46.67	46.67	46.67	100	100
10.	10- लोक निर्माण कार्य, सड़कें, पुल व भवन	2216-05-053-01	12.49	10.26	15.60	80.06	65.77
11.		4059-80-051-03	22.19	19.01	28.34	78.30	67.08
12.		4059-80-051-05	11.84	10.73	15.38	76.98	69.77
13.		4216-01-106-01	30.35	27.84	35.23	86.15	79.02
14.		5054-03-101-01	33.27	27.08	38.80	85.75	69.79
15.		5054-04-337-09	274.54	245.17	372.29	73.74	65.85
16.		5054-04-337-10	38.35	33.33	50.00	76.70	66.67
17.		5054-04-337-11	34.20	32.79	50.01	68.39	65.57
18.	12- उद्यान	2401-00-119-56	14.73	14.73	22.62	65.12	65.12
19.		2401-00-119-57	27.50	27.50	27.50	100	100
20.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-800-01	21.42	19.11	35.01	61.18	54.58
21.		4701-20-800-02	12.24	12.24	12.24	100	100
22.		4702-00-101-03	13.19	12.28	22.69	58.13	54.12
23.		4705-00-313-01	20.00	15.35	27.99	71.45	54.84
24.	15- आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	5475-00-800-03	13.45	11.64	20.15	66.75	57.77
25.	20-ग्रामीण विकास	2216-03-102-06	22.63	12.50	25.00	90.52	50.00
26.		2505-02-101-03	10.00	10.00	10.00	100	100
27.	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-01-102-12	13.83	13.83	13.83	100	100
28.	29-वित्त	2049-01-101-04	12.78	12.78	25.56	50.00	50.00
29.		2049-01-101-05	34.51	34.51	60.49	57.05	57.05
30.		2049-01-101-07	19.58	19.58	39.15	50.01	50.01
31.		2049-01-101-15	18.33	18.33	36.65	50.01	50.01
32.		2049-01-101-80	12.24	12.24	24.48	50.00	50.00
33.		2049-01-101-95	21.08	21.08	42.15	50.01	50.01
34.		31-जनजातीय विकास	3054-04-796-05	29.61	21.29	35.09	84.38
35.	4202-01-796-01		10.91	10.37	13.42	81.30	77.27
36.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
37.		4215-01-789-02	28.78	25.44	44.95	64.03	56.60
38.		5054-03-789-02	49.39	44.62	73.27	67.41	60.90
39.		5054-04-789-04	18.25	15.28	21.04	86.74	72.62
योग			1191.45	1096.09	1582.29		

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4; पृष्ठ: 38)

विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत					
1.	03	न्याय प्रशासन	151.02	9.82	
2.	04	सामान्य प्रशासन	167.97	11.62	
3.	05	भू राजस्व व जिला प्रशासन	726.48	84.36	
4.	06	आबकारी एवं कराधान	62.00	1.84	
5.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1,092.66	37.08	
6.	08	शिक्षा	5,262.91	864.96	
7.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,618.40	295.90	
8.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	2,804.77	13.88	
9.	11	कृषि	359.44	27.04	
10.	12	उद्यान	258.08	17.22	
11.	14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	319.68	35.18	
12.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	83.15	28.40	34
13.	16	वन एवं वन्य-जीव	454.48	57.50	
14.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	108.22	8.46	
15.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	678.19	20.78	
16.	20	ग्रामीण विकास	1,218.41	121.61	
17.	21	सहकारिता	44.38	10.23	23
18.	22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	236.43	41.05	
19.	23	विद्युत विकास	967.00	146.35	
20.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	29.45	6.02	20
21.	25	सड़क एवं जल परिवहन	293.54	1.06	
22.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	241.23	71.98	30
23.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्रामीण आयोजना तथा आवास	581.73	41.75	
24.	29	वित्त	4,281.55	97.70	
25.	30	विविध सामान्य सेवाएं	97.29	13.00	
26.	31	जनजातीय विकास	1,033.38	177.85	
27.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	1,126.07	321.14	29
राजस्व-प्रभारित					
28.	03	न्याय प्रशासन	40.85	5.95	
29.	04	सामान्य प्रशासन	10.47	1.22	
30.	29	वित्त	3,400.00	41.09	
पूँजीगत-दत्तमत					
31.	05	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	10.88	2.84	26
32.	07	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	56.20	13.68	24
33.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	260.77	2.93	
34.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	583.45	185.72	32
35.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	273.27	18.95	
36.	16	वन एवं वन्य-जीव	8.40	3.05	36
37.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	14.98	4.45	30
38.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	58.72	4.74	
39.	29	वित्त	13.02	1.51	
40.	31	जनजातीय विकास	273.82	20.88	
41.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	836.09	99.31	
पूँजीगत-प्रभारित					
42.	10	लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल एवं भवन	69.99	31.78	45
योग			30,208.82	3,001.88	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

क: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	07	4055-00-211-03	368.00	368.00	100
2.	08	2202-01-102-03	84.00	84.00	100
3.	08	2202-01-111-01	23,692.00	13,927.86	59
4.	08	2202-02-109-10	1,645.00	1,336.73	81
5.	08	2202-03-103-02	489.53	251.07	51
6.	08	2202-04-103-05	54.00	54.00	100
7.	08	2202-80-107-15	100.00	100.00	100
8.	08	2225-03-277-06	121.00	119.95	99
9.	08	4202-01-202-05	54.62	53.48	98
10.	09	2210-05-105-07	329.00	329.00	100
11.	09	2210-06-101-07	646.40	343.81	53
12.	09	2210-06-101-21	1,499.00	1,499.00	100
13.	09	2211-00-001-01	95.20	88.56	93
14.	09	2211-00-800-07	362.00	362.00	100
15.	10	3054-04-105-05	376.63	343.13	91
16.	11	2401-00-800-13	241.00	133.24	55
17.	11	2401-00-800-13	2,168.00	1,195.77	55
18.	11	2401-00-800-15	1,185.00	596.02	50
19.	11	2401-00-800-15	132.00	72.57	55
20.	12	2401-00-119-51	50.00	50.00	100
21.	12	2401-00-119-51	658.00	387.56	59
22.	13	4701-20-800-02	1,778.00	1,778.00	100
23.	13	4701-23-800-01	59.00	59.00	100
24.	13	4701-24-800-01	59.00	59.00	100
25.	13	4701-25-800-01	59.00	59.00	100
26.	13	4701-26-800-01	59.00	59.00	100
27.	13	4702-00-101-06	4,442.00	4,442.00	100
28.	13	4702-00-101-06	561.00	561.00	100
29.	13	4702-00-101-07	2,962.00	2,962.00	100
30.	13	4702-00-101-07	374.00	374.00	100
31.	13	4702-00-800-14	400.00	400.00	100
32.	13	4705-00-313-01	1,974.00	1,725.00	87
33.	13	4705-00-313-01	224.00	195.50	87
34.	13	4711-01-800-12	790.00	790.00	100
35.	13	4711-01-800-13	524.00	524.00	100
36.	13	4711-01-800-15	294.00	294.00	100
37.	13	4711-01-800-15	1,009.00	1,009.00	100
38.	13	4711-01-800-16	75.00	75.00	100
39.	13	4711-01-800-17	449.00	449.00	100
40.	13	4711-01-800-17	1,519.00	1,519.00	100
41.	14	2403-00-101-10	182.38	168.74	93
42.	14	2404-00-191-04	300.00	300.00	100
43.	15	2202-01-101-03	580.00	580.00	100
44.	15	2210-03-104-01	193.74	126.13	65
45.	15	3451-00-101-19	400.00	400.00	100
46.	15	3451-00-101-20	110.00	93.37	85

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
47.	15	3451-00-101-22	500.00	250.00	50
48.	15	5475-00-800-02	1,807.00	1,807.00	100
49.	16	2406-01-101-08	2,632.00	1,518.99	58
50.	16	4406-02-110-10	184.00	175.46	95
51.	18	2851-00-103-25	98.00	67.45	69
52.	19	2225-03-102-01	299.00	177.65	59
53.	19	2235-02-103-01	137.52	113.82	83
54.	19	2235-60-200-24	50.00	50.00	100
55.	19	4235-02-800-01	178.00	161.80	91
56.	19	4235-02-800-01	540.00	281.81	52
57.	23	4801-01-190-07	2,049.00	2,049.00	100
58.	23	6801-00-190-01	18,239.00	14,110.86	77
59.	27	2203-00-105-06	948.00	794.93	84
60.	27	2203-00-112-02	105.00	105.00	100
61.	27	2230-03-003-07	100.00	69.39	69
62.	27	2230-03-003-07	185.00	159.05	86
63.	27	2230-03-003-10	299.00	299.00	100
64.	27	4202-02-104-01	286.00	286.00	100
65.	27	4202-02-104-02	188.00	188.00	100
66.	28	2217-80-191-47	252.50	252.50	100
67.	28	2217-80-191-48	3,366.00	2,296.00	68
68.	28	2217-80-191-50	173.00	123.23	71
69.	28	2217-80-191-51	400.00	280.09	70
70.	28	2217-80-192-04	565.59	345.64	61
71.	28	2217-80-193-14	303.00	257.78	85
72.	29	2235-60-102-05	1,000.00	897.06	90
73.	30	2204-00-800-02	98.00	98.00	100
74.	31	2202-01-796-11	901.02	504.79	56
75.	31	2202-01-796-12	3,240.00	2,250.75	69
76.	31	2202-03-796-02	297.00	258.90	87
77.	31	2202-03-796-08	810.00	432.00	53
78.	31	2210-06-796-14	204.00	153.75	75
79.	31	2211-00-796-09	219.00	200.80	92
80.	31	2211-00-796-10	50.00	50.00	100
81.	31	2215-01-796-11	227.00	174.28	77
82.	31	2235-02-796-03	196.00	161.18	82
83.	31	2235-02-796-03	1,766.00	1,144.40	65
84.	31	2401-00-796-02	257.51	131.56	51
85.	31	2401-00-796-24	90.00	90.00	100
86.	31	2401-00-796-43	101.00	101.00	100
87.	31	2401-00-796-48	288.00	288.00	100
88.	31	2406-01-796-24	360.00	293.43	82
89.	31	2406-02-796-07	75.00	75.00	100
90.	31	2501-06-796-02	899.99	758.99	84
91.	31	2501-06-796-03	81.00	61.09	75
92.	31	2501-06-796-05	142.00	142.00	100
93.	31	2505-01-796-07	4,860.00	4,860.00	100
94.	31	4235-02-796-01	74.00	65.42	88
95.	31	4702-00-796-08	1,013.00	736.73	73
96.	31	4705-00-796-01	270.00	270.00	100

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख)	अभ्यर्पण राशि (₹ 50लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
97.	31	4711-01-796-01	720.00	720.00	100
98.	31	5054-03-796-03	270.00	270.00	100
99.	32	2202-01-789-03	1,889.00	1,229.59	65
100.	32	2202-01-789-07	9,068.00	5,526.89	61
101.	32	2202-01-789-07	1,008.00	614.55	61
102.	32	2202-03-789-05	252.00	168.00	67
103.	32	2204-00-789-04	68.00	68.00	100
104.	32	2210-06-789-01	574.00	574.00	100
105.	32	2235-02-789-01	549.00	290.78	53
106.	32	2235-02-789-14	89.00	81.87	92
107.	32	2401-00-789-25	92.00	54.11	59
108.	32	2401-00-789-25	830.00	492.27	59
109.	32	2401-00-789-28	252.00	146.00	58
110.	32	2401-00-789-31	282.00	216.01	77
111.	32	2401-00-789-31	71.00	71.00	100
112.	32	2401-00-789-38	806.00	444.88	55
113.	32	2401-00-789-38	202.00	167.73	83
114.	32	2406-01-789-08	1,008.01	927.07	92
115.	32	2406-01-789-09	73.00	73.00	100
116.	32	2406-01-789-10	60.00	54.07	90
117.	32	2406-02-789-01	71.00	71.00	100
118.	32	2501-06-789-03	227.01	144.15	63
119.	32	2501-06-789-04	397.00	397.00	100
120.	32	2501-06-789-05	113.00	113.00	100
121.	32	2505-01-789-02	13,603.00	11,813.99	87
122.	32	4235-02-789-01	207.00	207.00	100
123.	32	4701-20-789-04	680.00	680.00	100
124.	32	4701-20-789-04	76.00	76.00	100
125.	32	4702-00-789-06	189.00	188.02	99
126.	32	4702-00-789-06	1,700.00	1,700.00	100
127.	32	4702-00-789-06	189.00	188.02	99
128.	32	4702-00-789-07	126.00	126.00	100
129.	32	4702-00-789-07	1,134.00	1,134.00	100
130.	32	4702-00-789-09	100.00	100.00	100
131.	32	4705-00-789-01	76.00	69.83	92
132.	32	4705-00-789-01	756.00	704.50	93
133.	32	4711-01-789-09	76.00	76.00	100
134.	32	4711-01-789-09	302.00	302.00	100
135.	32	4711-01-789-10	176.00	176.00	100
136.	32	4711-01-789-12	101.00	101.00	100
137.	32	4711-01-789-15	151.00	151.00	100
138.	32	4711-01-789-15	605.00	605.00	100
योग			1,44,349.70	1,12,430.40	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
1.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संस्थान	4055-00-211-03	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	368.00	पुलिस आवासीय भवन पर कम खर्च के कारण
2.	08-शिक्षा	2202-01-102-03	कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस अदायगी	84.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
3.		2202-04-103-05	साक्षर भारत योजना	54.00	-उपरोक्त-
4.		2202-80-107-15	प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना	100.00	-उपरोक्त-
5.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-05-105-07	सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का उन्नयन	329.00	-उपरोक्त-
6.		2210-06-101-21	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	1,499.00	-उपरोक्त-
7.		2211-00-800-07	राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा	362.00	-उपरोक्त-
8.	12-बागवानी	2401-00-119-51	सेब तथा आम के लिए मौसम आधारित फसल बीमा	50.00	स्कीम स्थगित होने के कारण
9.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-20-800-02	अन्य व्यय	1,778.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
10.		4701-23-800-01	कोंसिल झरेडा मंडप परियोजना पर व्यय	59.00	-उपरोक्त-
11.		4701-24-800-01	परचू खड्ड के बाएँ तथा दाएँ किनारों पर वर्षा संचयन संरचना का निर्माण	59.00	-उपरोक्त-
12.		4701-25-800-01	मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण, सुक्का हर, जिला कांगडा	59.00	-उपरोक्त-
13.		4701-26-800-01	मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण, प्रिनी, जिला कुल्लू	59.00	-उपरोक्त-
14.		4702-00-101-06	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)	4,442.00	-उपरोक्त-
15.		4702-00-101-06	-उपरोक्त-	561.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
16.		4702-00-101-07	प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सिंचाई प्रवाह योजना	2,962.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
17.		4702-00-101-07	-उपरोक्त-	374.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
18.		4702-00-800-14	जल विज्ञान परियोजना	400.00	प्रयोजना के चरण-II कार्यों की पूर्णता के कारण निधि अप्रयुक्त रही
19.		4711-01-800-12	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डाउन स्ट्रीम से पंजाब बाउंड्री चरण-III तक स्वान का चैनलाइजेशन	790.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
20.		4711-01-800-13	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वान तथा इसकी सहायक नदियों का चैनलाइजेशन	524.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
21.		4711-01-800-15	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौँछ खड्ड तहसील इंदोरा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	294.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण
22.		4711-01-800-15	-उपरोक्त-	1,009.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
23.		4711-01-800-16	जिला कुल्लू में पलछन से औट का चैनलाइजेशन	75.00	-उपरोक्त-
24.		4711-01-800-17	जिला शिमला में पब्वर नदी का चैनलाइजेशन	449.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारण न करने के कारण सम्बद्ध राज्यांश अनुप्रयुक्त रहा
25.		4711-01-800-17	-उपरोक्त-	1,519.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
26.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्यिकी	2404-00-191-04	डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी को अनुदान	300.00	राज्य में पात्र डेयरी को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा प्रस्ताव योजना प्राप्त न होने के कारण
27.	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2202-01-101-03	माध्यमिक स्कूल	580.00	रिक्त पदों की भर्ती न होने के कारण
28.		3451-00-101-19	कौशल विकास परिषद	400.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
29.		5475-00-800-02	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना	1,807.00	भवन संरचना पर कम खर्च के कारण
30.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-200-24	सफाई कर्मचारियों एवं जल उपचार संयंत्र कर्मचारियों का जीवन बीमा	50.00	स्कीम के क्रियान्वयन न होने के कारण
31.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	हिमाचल प्रदेश संचरण निगम सीमित को इक्विटी योगदान	2,049.00	कम निवेश के कारण
32.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	2203-00-112-02	विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज	105.00	भारत सरकार द्वारा निधि निस्तारित न होने के कारण
33.		2230-03-003-10	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन	299.00	-उपरोक्त-
34.		4202-02-104-01	भवन	286.00	-उपरोक्त-
35.		4202-02-104-02	महिला छात्रावासों का निर्माण	188.00	-उपरोक्त-
36.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा भवन	2217-80-191-47	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहायता अनुदान	252.50	योजना के अंतर्गत केन्द्र से हिस्सेदारी प्राप्त न होने के कारण
37.	30-अन्य सामान्य सेवाएँ	2204-00-800-02	एन.एस.एस. हेतु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	98.00	भारत सरकार द्वारा स्कीम/निधि स्वरूप का राज्य से केन्द्र में बदलाव के कारण
38.	31-जनजातीय विकास	2211-00-796-10	राष्ट्रीय एम्ब्लेंस सेवा (एन.ए.एस.)	50.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
39.		2401-00-796-24	सेब के मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर व्यय	90.00	सेब के मौसम आधारित फसल बीमा योजना पर कम सहायता अनुदान के कारण
40.		2401-00-796-43	उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत सुरक्षित खेती योजना	101.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
41.		2401-00-796-48	बागवानी के एकीकृत विकास पर व्यय	288.00	-उपरोक्त-
42.		2406-02-796-07	शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित के लिए प्रबंधन कार्य योजना पर व्यय	75.00	निधियन प्रणाली में परिवर्तन के कारण
43.		2501-06-796-05	जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	142.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण
44.		2505-01-796-07	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	4,860.00	-उपरोक्त-

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	लेखा शीर्ष	स्कीम का नाम	अभ्यर्पण की राशि (₹ लाख में)	कारण	
45.		4705-00-796-01	कमांड क्षेत्र विकास पर व्यय	270.00	-उपरोक्त-	
46.		4711-01-796-01	बाढ़ नियंत्रण कार्यो पर व्यय	720.00	-उपरोक्त-	
47.		5054-03-796-03	सी.आर.एफ. के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	270.00	जनजातीय क्षेत्रों में सी.आर.एफ. के अंतर्गत कार्य न होने के कारण	
48.		2204-00-789-04	पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान/राजीव गांधी खेल अभियान	68.00	हिस्सेदारी स्वरूप में बदलाव के कारण	
49.		2210-06-789-01	एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	574.00	भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त न होने के कारण	
50.		2401-00-789-31	उत्तर पूर्वी एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत सुरक्षित खेती योजना	71.00	सब्सिडी मामलें कम प्राप्त होने के कारण	
51.		2406-01-789-09	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.)	73.00	भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त न होने के कारण	
52.		2406-02-789-01	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणों का विकास	71.00	-उपरोक्त-	
53.		2501-06-789-04	जिला ग्रामीण विकास संस्था प्रशासन	397.00	-उपरोक्त-	
54.		2501-06-789-05	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के अंतर्गत आजीविका कौशल	113.00	-उपरोक्त-	
55.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4235-02-789-01	बहु उद्देशीय समुदाय/आंगनवाड़ी केन्द्र	207.00	-उपरोक्त-	
56.		4701-20-789-04	फ्रीना सिंह परियोजना	756.00	-उपरोक्त-	
57.		4702-00-789-06	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विभिन्न जिलों में एल.आई.एस. सिंचाई योजना	1,700.00	-उपरोक्त-	
58.		4702-00-789-07	विभिन्न जिलों में सिंचाई प्रवाह योजना	1,260.00	-उपरोक्त-	
59.		4702-00-789-09	जल विज्ञान परियोजना	100.00	जरूरी औपचारिकताओं का पूरा न करने के कारण	
60.		4711-01-789-10	बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दौलतपुर से गगरेट पुल तक स्वान तथा इसकी सहायक नदियों का चैनलाइजेशन	176.00	-उपरोक्त-	
61.		4711-01-789-12	बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अंतर्गत चौँछ खड्ड तहसील इंदोरा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	101.00	भारत सरकार द्वारा निधि प्राप्त न होने के कारण सम्बद्ध राज्यांश निस्तारित न होना	
62.		4711-01-789-15	शिमला जिले में पब्वर नदी का चैनलाइजेशन	756.00	-उपरोक्त-	
योग				37,962.50		

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.2; पृष्ठ: 40)

31 मार्च 2017 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	05	2029- भू-राजस्व	129.88	40.78	31
2.	05	2029- भू-राजस्व	25.81	10.61	41
3.	05	2053- जिला प्रशासन	134.36	39.92	30
4.	07	2055-पुलिस	416.21	11.23	3
5.	08	2202-सामान्य शिक्षा	1,347.92	165.16	12
6.	08	2202-सामान्य शिक्षा	1,254.47	468.13	37
7.	08	2202-सामान्य शिक्षा	236.92	139.28	59
8.	08	2202-सामान्य शिक्षा	65.87	11.28	17
9.	08	2202-सामान्य शिक्षा	16.45	13.37	81
10.	08	2202-सामान्य शिक्षा	244.40	32.97	13
11.	08	2202-सामान्य शिक्षा	59.23	15.67	26
12.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	210.40	46.85	22
13.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	78.24	22.54	29
14.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	330.84	55.07	17
15.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	96.67	27.17	28
16.	09	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	14.99	14.99	100
17.	09	2211-परिवार कल्याण	183.61	79.26	43
18.	10	2059-लोक निर्माण कार्य	129.06	34.98	27
19.	10	3054-सड़क एवं पुल	165.28	51.79	31
20.	10	3054-सड़क एवं पुल	228.76	21.46	9
21.	10	3054-सड़क एवं पुल	109.65	19.59	18
22.	10	3054-सड़क एवं पुल	56.07	16.68	30
23.	10	3054-सड़क एवं पुल	604.83	118.32	20
24.	10	3054-सड़क एवं पुल	604.83	118.74	20
25.	10	3054-सड़क एवं पुल	56.40	17.05	30
26.	10	5054-सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	64.74	22.86	35
27.	11	2401-फसल उत्पादन	21.68	11.96	55
28.	13	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	17.78	17.78	100
29.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	44.42	44.42	100
30.	13	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	29.62	29.62	100
31.	13	4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	19.74	17.25	87
32.	13	4711-खाद्य नियंत्रण परियोजनाएं पर पूंजीगत परिव्यय	10.09	10.09	100
33.	13	4711-खाद्य नियंत्रण परियोजनाएं पर पूंजीगत परिव्यय	15.19	15.19	100
34.	14	2403-पशुपालन	215.63	19.67	9

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
35.	15	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पर पूंजीगत परिव्यय	18.07	18.07	100
36.	16	2406-वानकी एवं वन्य जीवन	321.19	31.70	10
37.	16	2406-वानकी एवं वन्य जीवन	26.32	15.19	58
38.	20	2505-ग्रामीण रोजगार	355.37	70.88	20
39.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास योजना	100.35	26.58	26
40.	22	2408-खाद्य भंडारण	210.00	35.58	17
41.	23	2801-विद्युत	410.00	145.00	35
42.	23	4801-विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	103.15	46.73	45
43.	23	4801-विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20.49	20.49	100
44.	23	6801-विद्युत योजनाओं के लिए ऋण	182.39	141.11	77
45.	27	2230-श्रम एवं रोजगार	99.00	45.25	46
46.	28	2217-शहरी विकास	33.66	22.96	68
47.	29	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	581.60	116.23	20
48.	31	2202-सामान्य शिक्षा	32.40	22.51	69
49.	31	2211-परिवार कल्याण	25.11	10.79	43
50.	31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	17.66	11.44	65
51.	31	2505-ग्रामीण रोजगार	48.60	48.60	100
52.	32	2202-सामान्य शिक्षा	18.89	12.30	65
53.	32	2202-सामान्य शिक्षा	90.68	55.27	61
54.	32	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	70.28	24.80	35
55.	32	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	49.42	13.13	27
56.	32	2505-ग्रामीण रोजगार	136.03	118.14	87
57.	32	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	17.00	17.00	100
58.	32	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	11.34	11.34	100
योग			10,219.04	2,862.82	

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4; पृष्ठ: 41)

31 मार्च 2017 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
1	एन.जे.पी.सी.	21,684.78
2	हि.प्र. उच्च न्यायालय	19.00
3	आई.जी.एम.सी., शिमला	17.07
4	युवा व खेल	20.14
5	पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर	60.22
6	पुलिस अधीक्षक, चम्बा	2.96
7	पुलिस अधीक्षक बेतार, शिमला	42.59
8	पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर	3.68
9	पुलिस अधीक्षक, कुल्लू	5.73
10	पुलिस अधीक्षक, कांगडा स्थित धर्मशाला	72.29
11	पुलिस उप-महानिरीक्षक प्रशिक्षण, दरोह	56.17
12	पुलिस अधीक्षक, केलांग	17.46
13	पुलिस अधीक्षक, किन्नौर	20.59
14	पुलिस अधीक्षक, मण्डी	5.33
15	पुलिस अधीक्षक, शिमला	106.38
16	पी.टी.एस., जुना	23.74
17	पुलिस अधीक्षक, नाहन	32.58
18	पुलिस अधीक्षक, सोलन	45.41
19	पुलिस अधीक्षक, ऊना	77.61
20	एन.ए.सी., चौवड़ी	0.55
21	एन.ए.सी., सुजानपुर	0.06
22	नगरपालिका, हमीरपुर	19.57
23	नगरपालिका, कल्पा	0.84
24	नगरपालिका, केलांग	0.16
25	नगरपालिका, मण्डी	1.64
26	नगरपालिका, सुन्दरनगर	0.07
27	एन.ए.सी., जुब्बल	0.87
28	नगरपालिका, शिमला	5.39
29	एन.पी., संतोखगढ़	0.06
30	आई.सी.ए.आर. की निधि	9.91
31	पी.एस., झण्डूता	3.04
32	पी.एस., चम्बा	1.68
33	पी.एस., महला	3.28
34	पी.एस., भटियात	18.36
35	पी.एस., नादौन	0.79
36	पी.एस., भौरंज	0.13
37	पी.एस., कुल्लू	0.96
38	पी.एस., आनी	0.18
39	पी.एस., कांगडा	0.69
40	पी.एस., नगरोटा बगवां	0.00*
41	पी.एस., रायत	2.45
42	पी.एस., नूरपुर (33)	1.08
43	पी.एस., परागपुर	1.60
44	पी.एस., नगरोटा सूरियां	1.05
45	पी.एस., पंचरूखी	0.58

क्रमांक	कोषागार/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अव्ययित शेष
46	पी.एस., लम्बागाँव	1.99
47	पी.एस., काल्या	5.73
48	पी.एस., पुद्दू	3.09
49	पी.एस., निचार	3.22
50	पी.एस., केलांग	2.04
51	पी.एस., मंडी	0.16
52	पी.एस., सेराज	0.26
53	पी.एस., चौतडा	2.28
54	पी.एस., सुन्दरनगर	0.81
55	पी.एस., पांगी	0.01
56	पी.एस., नारकंडा	51.22
57	पी.एस., ठियोग	4.45
58	पी.एस., जुब्बल	0.21
59	पी.एस., चारगाँव	0.91
60	पी.एस., नाहन	1.22
61	पी.एस., पच्छाद	0.00**
62	पी.एस., सोलन	0.09
63	पी.एस., कुनिहार	1.20
64	पी.एस., नालागढ़	0.32
65	पी.एस., अंब	2.55
66	पी.आर.आई. राजकीय सैनिक विद्यालय, बिलासपुर	0.26
67	पी.आर.आई., डी.ए.वी. कॉलेज, बानीखेत	0.27
68	डी.ए.वी., कोटखाई	9,795.05
69	पी.आर.आई., सेन कॉलेज, कुल्लू	0.26
70	डी.ए.वी., कांगडा	221.81
71	एम.एस. एम.एल. कॉलेज, थूराल	2.67
72	एम.एस. एम.एल. कॉलेज, सुन्दरनगर	32.88
73	एस.डी.ओ. सिविल, नाहन	3.25
74	पी.आर.आई., जी.डी.सी., सुबाथू	0.01
75	पी.आर.आई., नेशनल कॉलेज, अंब	0.04
76	एस.बी.एस.डी. कॉलेज, बठौली	1.18
77	प्रौद्योगिकी कॉलेज, सुन्दरनगर	0.06
योग		32,528.23

* वास्तविक आंकड़ा केवल ₹ 91/- है

** वास्तविक आंकड़ा केवल ₹ 282/- है

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ: 47)

31 मार्च 2017 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय प्रयुक्ति प्रमाण पत्र		बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान सभाएं	2015-16	1	8.23	-	-
			1	8.23	-	-
2	2029- भू-राजस्व	2015-16	2	26.00	1	1.00
			2	26.00	1	1.00
3	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं	2015-16	6	125.89	1	0.89
			6	125.89	1	0.89
4	2055- पुलिस	2013-14	1	10.00	-	-
		2015-16	1	10.00	-	-
			2	20.00	-	-
5	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2015-16	20	846.37	20	846.37
			20	846.37	20	846.37
6	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2013-14	3	125.27	1	5.72
		2014-15	18	164.29	8	141.00
		2015-16	21	250.92	21	250.92
			42	540.48	30	397.64
7	2202- सामान्य शिक्षा	2013-14	21	3,585.27	-	-
		2014-15	140	16,996.49	-	-
		2015-16	11,525	45,932.54	4	152.00
			11,686	66,514.30	4	152.00
8	2204- खेल एवं युवा सेवाएं	2014-15	1	2.71	1	2.71
		2015-16	27	608.25	-	-
			28	610.96	1	2.71
9	2205- कला एवं संस्कृति	2014-15	148	101.66	-	-
		2015-16	155	437.59	-	-
			303	539.25	-	-
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य						
10	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2012-13	1	100.00	1	100.00
		2013-14	43	1,650.91	34	1,083.60
		2014-15	49	5,667.59	40	5,584.31
		2015-16	993	9,947.34	48	7,684.20
			1,086	17,365.84	123	14,452.11
11	2211- परिवार स्वास्थ्य	2013-14	1	533.00	1	533.00
		2015-16	57	17,767.45	-	-
			58	18,300.45	1	533.00
योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)			1,144	35,666.29	124	14,985.11
शहरी विकास						
12	2215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2015-16	3	643.29	2	322.84
			3	643.29	2	322.84
13	2217- शहरी विकास	2010-11	5	1,919.83	5	1,919.83
		2011-12	6	781.13	4	728.63
		2012-13	9	566.32	-	-
		2014-15	40	18,665.84	29	11,973.51
		2015-16	69	29,928.33	60	21,250.05
			129	51,858.45	98	35,872.02

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14	3054- सड़क एवं पुल	2011-12	1	600.00	-	-
		2012-13	1	600.00	-	-
		2013-14	1	600.00	-	-
		2014-15	1	600.00	1	330.00
		2015-16	1	600.00	1	462.00
			5	3,000.00	2	792.00
	योग (शहरी विकास)		137	55,501.74	102	36,986.86
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
15	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण	2011-12	10	1,000.00	4	592.50
		2012-13	20	1,006.49	19	926.14
		2013-14	3	8.60	3	8.60
		2014-15	4	225.10	4	225.10
		2015-16	8	243.00	7	241.00
			45	2,483.19	37	1,993.34
16	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2013-14	102	510.15	-	-
		2014-15	584	2,822.14	-	-
		2015-16	724	3,403.90	158	463.64
			1,410	6,736.19	158	463.64
	योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		1,455	9,219.38	195	2,456.98
	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं					
17	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2014-15	12	457.22	11	453.22
		2015-16	14	695.15	11	630.06
			26	1,152.37	22	1,083.28
18	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2012-13	1	3.00	1	3.00
		2013-14	2	15.02	2	15.02
		2014-15	10	1,445.09	5	417.59
		2015-16	5	35.69	5	35.69
			18	1,498.80	13	471.30
	योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)		44	2,651.17	35	1,554.58
19	2401- कृषि कर्म	2012-13	13	681.41	-	-
		2014-15	21	5,070.75	11	400.00
		2015-16	22	7,185.00	-	-
			56	12,937.16	11	400.00
20	2403- पशुपालन	2012-13	25	2,039.06	8	141.06
		2013-14	26	1,904.04	15	1,770.35
		2014-15	28	3,890.07	15	965.37
		2015-16	37	3,497.39	31	2,813.12
			116	11,330.56	69	5,689.90
21	2404- डेयरी विकास	2015-16	22	1,853.56	21	1,666.16
			22	1,853.56	21	1,666.16
22	2405- मत्स्य पालन	2014-15	6	25.20	5	25.00
		2015-16	20	19.40	15	13.58
			26	44.60	20	38.58
23	2408- खाद्य भंडारण एवं भण्डारगृह	2011-12	8	20.40	-	-
		2012-13	12	26.99	-	-
		2013-14	18	33.50	-	-
		2014-15	22	35.71	2	2.21
		2015-16	19	31.47	13	21.70
			79	148.07	15	23.91

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
24	2425- सहकारिता	2012-13	4	7.05	-	-
		2013-14	17	12.85	-	-
		2014-15	27	42.45	4	3.95
		2015-16	51	129.73	34	53.86
			99	192.08	38	57.81
	ग्रामीण विकास					
25	2216- आवास	2014-15	59	1,253.36	45	981.73
		2015-16	103	5,507.01	85	5,165.14
			162	6,760.37	130	6,146.87
26	2501- विशेष कार्यक्रम	2014-15	23	963.39	20	932.91
		2015-16	40	3,774.35	22	3,277.40
			63	4,737.74	42	4,210.31
27	2505-ग्रामीण रोजगार	2011-12	9	284.86	9	284.86
		2012-13	17	3,911.91	17	3,911.91
		2013-14	14	4,996.53	14	4,996.53
		2014-15	19	39,245.37	19	39,245.37
		2015-16	31	45,559.04	31	45,559.04
			90	93,997.71	90	93,997.71
28	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2011-12	156	16,970.30	156	16,970.30
		2012-13	292	15,257.85	292	15,257.85
		2013-14	290	21,376.70	268	20,482.68
		2014-15	345	31,111.12	345	31,111.12
		2015-16	397	41,606.98	282	31,437.60
			1,480	1,26,322.95	1,343	1,15,259.55
	योग (ग्रामीण विकास)		1,795	2,31,818.77	1,605	2,19,614.44
29	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
		2013-14	1	1,854.00	1	1,854.00
		2014-15	1	1,259.00	1	1,259.00
		2015-16	1	90.00	-	-
			5	3,415.00	4	3,325.00
30	2810- ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत	2015-16	5	25.00	4	23.00
			5	25.00	4	23.00
31	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2011-12	1	9.60	-	-
		2012-13	14	565.74	3	49.21
		2013-14	23	285.17	4	147.21
		2014-15	21	1,008.43	3	69.09
		2015-16	128	3,270.15	33	388.53
			187	5,139.09	43	654.04
32	3055- पथ परिवहन	2015-16	6	10,243.20	-	-
			6	10,243.20	-	-
33	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2013-14	5	40.70	-	-
		2014-15	4	50.40	-	-
		2015-16	8	24.70	-	-
			17	115.80	-	-
34	3452- पर्यटन	2010-11	1	10.00	-	-
		2011-12	10	606.62	-	-
		2012-13	9	900.68	-	-
		2013-14	9	1,905.06	-	-
		2014-15	8	2,103.30	2	3.30
		2015-16	14	3,079.15	2	4.15
			51	8,604.81	4	7.45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2015-16	27	995.58	12	543.01
			27	995.58	12	543.01
36	2406-वन एवं वन्य जीव (वन लेखे)	2011-12	1	18.11	-	-
		2012-13	9	170.64	9	170.64
		2013-14	21	506.23	11	431.34
		2014-15	85	522.72	70	442.46
		2015-16	227	1,360.39	111	500.35
			343	2,578.09	201	1,544.79
37	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा (वन लेखे)	2015-16	49	19,827.00	-	-
			49	19,827.00	-	-
38	2250-अन्य सामाजिक समुदाय	2014-15	4	502.12	3	2.12
		2015-16	5	3.04	5	3.04
			9	505.16	8	5.16
39	3425-अन्य विज्ञान सम्बन्धी	2014-15	3	80.20	3	80.20
		2015-16	30	547.39	16	9.62
			33	627.59	19	89.82
40	3053-पर्यटन व नागरिक	2015-16	1	76.18	-	-
			1	76.18	-	-
41	2435-वन लेखा	2015-16	1	1,000.00	-	-
			1	1,000.00	-	-
42	3454-जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	2014-15	23	5.42	-	-
		2015-16	6	14.53	-	-
			29	19.95	-	-
	सकल योग		17,826	4,83,767.35	2,587	2,91,067.22

परिशिष्ट - 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ: 48)

स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब (महीनों में)	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	वर्ष जब तक लेखे देय हैं तथा लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब
1.	हि0प्र0 राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 से आगे	2015-16	3 महीने	2015-16 (28.10.2016)	2015-16 (15.03.2017)	--
2.	हि0प्र0 खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, शिमला	01.04.2017 से 31.03.2022	2012-13	3 वर्ष 8 महीने	2012-13 (16.06.2016)	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं	2013-14 (2 वर्ष 11 महीने) 2014-15 (1 वर्ष 11 महीने) 2015-16 (11 महीने)
3.	हि0प्र0 शहरी परिवहन एवं बस स्टेण्ड प्रबंधन व विकास प्राधिकरण, शिमला	01.04.2000 से आगे	2015-16	4 महीने	2015-16 (25.01.2017)	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं	--
4.	हि0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग, शिमला	2007-08	2015-16	2 महीने	2015-16 (16.11.2016)	2015-16 (29.01.2017)	--
5.	हि0प्र0 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2009-10 से आगे	2013-14	--	2013-14	2011-12 (04.06.2015) 2012-13 (मार्च 2017) 2013-14 (मार्च 2017)	2014-15 (2 वर्ष) 2015-16 (11 महीने)

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 48)

चोरी, दुर्विनियोजन/हानि, आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध ब्योरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्ष से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1.	शिक्षा	02	2.55	-	-	01	0.93	-	-	-	-	-	-	03	3.48
2.	ग्रामीण विकास	-	-	02	4.68	-	-	-	-	-	-	-	-	02	4.68
3.	कृषि	-	-	-	-	01	9.20	01	0.26	-	-	-	-	02	9.46
4.	उद्यान	01	1.54	01	0.06	-	-	01	1.29	-	-	-	-	03	2.89
5.	भू-राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	01	2.57	-	-	01	2.57
6.	पुलिस	-	-	01	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.08
7.	मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	1.28
8.	नगर परिषद चम्बा	01	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.42
9.	राजस्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	0.40	02	0.40
10.	गृह रक्षा	-	-	-	-	-	-	03	25.42	-	-	-	-	03	25.42
11.	आयोजना निदेशक	-	-	-	-	01	2.97	-	-	-	-	-	-	01	2.97
12.	स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.95	-	-	-	-	-	-	01	0.95
13.	वन	-	-	01	2.38	01	0.63	-	-	-	-	02	0.40	04	3.41
14.	लोक निर्माण	-	-	-	-	-	-	06	7.43	01	1.05	08	2.69	15	11.17
15.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	-	-	-	-	01	0.89	02	7.72	-	-	02	0.31	05	8.92
	योग:	05	5.79	05	7.20	06	15.57	13	42.12	02	3.62	14	3.80	45	78.10

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ: 48)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध ब्यौरा
(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	02	1.60	01	1.88	03	3.48
ग्रामीण विकास	02	4.68	-	-	02	4.68
कृषि	-	-	02	9.46	02	9.46
भू-राजस्व	-	-	01	2.57	01	2.57
उद्यान	01	0.06	02	2.83	03	2.89
मत्स्यपालन	01	1.28	-	-	01	1.28
पुलिस	-	-	01	0.08	01	0.08
नगर परिषद चम्बा	-	-	01	0.42	01	0.42
राजस्व	-	-	02	0.40	02	0.40
गृह रक्षा	-	-	03	25.42	03	25.42
आयोजना निदेशक	01	2.97	-	-	01	2.97
स्वास्थ्य	-	-	01	0.95	01	0.95
वन	-	-	04	3.41	04	3.41
लोक निर्माण	01	0.22	14	10.95	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	01	0.25	04	8.67	05	8.92
योग:	09	11.06	36	67.04	45	78.10

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर-विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रियों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
7.	शुद्ध ऋण की उपलब्धता	राज्य को उपलब्ध शुद्ध ऋण की गणना, लोक ऋण प्राप्तियों में से लोक ऋण तथा उस पर ब्याज की अदायगी को घटाकर की जाती है।
8.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
9.	गारंटियां	कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2017
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in